उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मेनुअल

अध्याय-1
प्रस्तावना

1.1 मेनुअल की पृष्ठभूमि -

भारत सरकार के व्दारा पारित सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, जो 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावशील हो रहा है जो कि भारतीय संविधान के भाग-3 में वर्णित मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता,समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, जिसके पीछे सरकार की मंशा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना तथा सरकारी तंत्र को जन सामान्य के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आम जनता को यह अधिकार दिया गया है कि प्रशासन तंत्र में हो रहे गतिविधियों एवं कार्यो के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकेगा। इस अधिनियम के माध्यम से यह अपेक्षा की गयी कि प्रशासन तंत्र में जवाबदेही, जागरूकता, जिम्मेदारी, सहभागिता एवं संवेदनशीलता के साथ सुशासन लाया जा सके। इस अधिनियम के लागू होने से कोई भी व्यक्ति निश्चित समय-सीमा मेंकिसी भी लोक संस्था से संबंधित क्रियाकलापों, लिए गए निर्णयों व प्रक्रिया आदि की जानकारी/सूचना प्राप्त कर सकेगा। यह निर्देशिका सर्वप्रथम उन आम जनता को समर्पित है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं तथा उन संस्थाओं/संगठनों के लिए उपयोगी है जो आम जनता के अधिकारों एवं विकास के प्रति चिन्तनशील है ।

1.2 मेनुअल का उददेश्य:-

अधिनियम प्रभावशील होने की स्थिति में उद्योग विभाग के अन्तर्गत उद्योग संचालनालय व उसके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों, इस हेतु लागू नियमों-नीतियों, अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के साथ-साथ विभागीय कार्यो के निष्पादन हेतु विभिन्न स्त्रोत पर प्रत्यायोजित अधिकारों व इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों व उनके शक्तियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी है ताकि जनसामान्य को यह समझने में सुविधा हो कि उद्योग विभाग का क्रियाकलाप क्या है व उससे संबंधित सूचनाएँ किस प्राधिकारी से व कहॉ से प्राप्त कर सकेगें ।

ब

1.3 यह मेनुअल किन व्यक्तिया/संस्थाओं/संगठनों इत्यादि के लिए **उपयोगी है :-**

यह मेनुअलउन सरकारी/गैरसरकारी संस्थाओं के लिए विशेष रूप सेउपयोगी है जिन्हें औद्योगिक विकास के लिए योजनाऐं तैयार करने के प्रयोजन से उद्योग विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं व गतिविधियों की आवश्यकता पड़ती है व ऐसे उद्यमी जो प्रदेश में उद्योग स्थापना में रूचि रखते हैं उन्हें किस कार्य के लिए किस प्राधिकारी से मिलना है इस हेतु यह पुस्तिका एक मार्गदर्शिका का कार्य करेगी, साथ ही यह पुस्तिका ऐसे सामान्य व्यक्ति जो उद्योग विभाग के व्दारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी चाहते हैं के लिए आवश्यक सूचनाऐं उपलब्ध कराने के प्रयोजन से उपयोगी होगी ।

1.4 मेनुअल की संरचना:-

जनसामान्य को इस सुविधा के लिए इस पुस्तिका को 17 अध्यायों में विभाजित किया गया है । अध्यायों के विषय सूची से पाठक आसानी से उद्योग विभाग के कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली, योजनाओं तथा इस हेतु किस अधिकारी से किस स्तर पर मिलना है आदि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।

1.5 परिभाषाऐ:-

इस मेनुअल में जिन शब्दों का उपयोग हुआ है उससे आशय निम्नानुसार है:-

i. “सूचना“ से आशय, उद्योग संचालनालय स्तर पर संधारित दस्तावेज/ निष्पादित होने वाले कार्य के संबंध में चाही गयी जानकारी से, है ।

ii. “औद्योगिके नीति“:- औद्योगिक नीति से आशय, छत्तीसगढ़ शासन के

व्दारा लागू औद्योगिक नीति 2001-06 तथा नई औद्योगिक नीति से आशय औद्योगिक नीति 2014-19 से, है ।

iii. “अनुदान/रियायत/छूट“:- अनुदान/रियायत/छूट से आशय, बिन्दु

ii में वर्णित औद्योगिक नीति के अन्तर्गत घोषित अनुदान/रियायत/छूट सुविधा से, है ।

iv. “लोक सूचना अधिकारी“ से आशय, राज्य स्तर पर उप संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय से, है ।

v. “सहायक सूचना अधिकारी“ से आशय, राज्य स्तर पर उद्योग संचालनालय के विभिन्न्न कक्षों के प्रभारी उप संचालक से, है ।

vi. “अपीलीय अधिकारी- प्रथम अपील“ से आशय, राज्य स्तर पर उद्योग संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर से, है ।

vii. **“अपीलीय अधिकारी- प्रथम अपील“** जिला स्तर के अपील प्रकरण हेतुसंयुक्त संचालक/उप संचालक उद्योग जिन्हें समय-समय पर पारित आदेश व्दारा जिले/जिलों विशेष के लिए अपीलीय अधिकारी नामांकित किया गया से, है ।

1.6 मेनुअल में सम्मिलित विषयों के संबंधं में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए सम्पर्क व्यक्ति:-

मेनुअल में विभाग की सारगर्भित जानकारी सरल ढंग से दी गयी है तथापि और अधिक जानकारी के लिए कोई भी व्यक्ति उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़, उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 01, तेलीबांधा रायपुर में संचालक उद्योग /अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक स्तर के अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं ।

1.7 मेनुअल में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क:-

मेनुअल में दी गयी सूचना के अतिरिक्त यदि किसी सूचना की आवश्यकता किसी व्यक्ति को हो तो वह इस हेतु सादे कागज पर आवेदन लोक सूचना अधिकारी को देकर प्राप्त कर सकता है । इस हेतु उसे शासन व्दारा निर्धारित शुल्क देना होगा, आवेदन पत्र व्यक्तिशः/डाक/फैक्स/ई-मेल (जहॉ कम्प्यूटर/फैक्स उपलब्ध हों) के व्दारा दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सूचनाऐं विभाग के व्दारा तैयार की जा रही वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगी ।

अध्याय-2 (मैन्युअल-1)

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कत्र्तव्य

Capter-2 (Manual-1)

Particulars of Organization, Functions and Duties

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य -

राज्य का संतुलित चहुमुखी औद्योगिक विकास ।

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

प्रदेश के सभी वर्गों के आर्थिक उन्नयन व रोजगार के अवसरों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए व औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी से त्वरित औद्योगिकरण हेतु उन्नत अद्योसंरचना का विकास, बाहर के पूंजी निवेश को आकर्षित व उद्यमशीलता का विकास कर प्रदेश को अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित करना।

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास एवं इसके गठन का प्रसंग:-

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही योजना आयोग ने कृषि एवं उद्योग के त्वरित विकास की प्रबल संभावनाओं को प्राथमिकता देत हुए उद्योग विभाग का गठन किया ।

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में एवं छत्तीसगढ़ राज्य गठन 01 नवम्बर 2000 से शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य स्तर पर कार्यालय उद्योग संचालनालय गठित है तथा इसके अधीन राज्य के प्रत्येक जिले में कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र गठित हैं जो शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के औद्योगिक विकास से संबंधित गतिविधियों के निष्पादन हेतु उत्तरदायी हैं।

2.4 लोक प्राधिकरण के कत्र्तव्य:-

प्रदेश के औद्योगिक विकास के निमित्त राज्य शासन द्वारा घोषित नीति, नियमों, मार्गदर्शी सिद्धांतों, दिशा निर्देशों आदि को लागू करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों व विभागीय अमले पर प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण तथा समन्वय स्थापित कर औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करना ।

2.5 लोक प्राधिकरण के प्रमुख कृत्य:-

उद्योग विभाग का मुख्य कृत्य निम्नानुसार है:-

- नवीन लघु व वृहद मध्यम उद्योग की स्थापना हेतु प्रयास करना।
- उद्योगों हेतु नवीन औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों की स्थापना व विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र/संस्थाओं के रखरखाव की व्यवस्था करना।
- रूग्ण इकाईयों की पहचान व उनका पुनर्वास करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़े वर्ग की औद्योगिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- राज्य में उपलब्ध जल, खनिज, वन संसाधनों के राज्य हित में दोहन हेतु इस संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाआ की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण:-

बिन्दु क्रमांकक 2.4 तथा 2.5 में उल्लेखित कत्र्तव्य एवं मुख्य कृत्य के अतिरिक्त अन्य सेवाएं निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

1. प्रस्तावित उद्योगों की सहायता हेतु उन्हें एस्कॉर्ट सेवाएं उपलब्ध कराना।
2. लघु उद्योगों को दुर्लभ कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था करना।
3. लघु उद्योगों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराना।
4. उद्योग स्थापनार्थ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।
5. लघु उद्योग इकाईयों का पंजीयन करना।
6. राज्य शासन की नीति के अन्तर्गत घोषित सुविधाएं/छुट/रियायत/अनुदान उद्योगों को उपलब्ध कराना।
7. अनुकुल औद्योगिक वातावरण निर्मित करने हे प्रदर्शनी, सेमीनार, कार्यशाला आदि का आयोजन करना।
8. उदयमशीलता के विकास हेतु उद्यमिता विकास प्रशिक्षण आयोजित करना।
9. भारत सरकार द्वारा संचालित शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार योजना " प्रधानमंत्री रोजगार योजना" के लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्वयन आदि।

2.7 लोक प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा

संचालक

अपर संचालक

संयुक्त संचालक

उप संचालक

सहायक संचालक

सहायक प्रबंधक

लेखाधिकारी

सहायक लेखाधिकारी

अधीक्षक

सहायक अधीक्षक

शीघ्रलेखक

स्टेनोटायपिस्ट

सहायक वर्ग-1

सहायक वर्ग-2

सहायक वर्ग -3

मुख्य लेखापाल

लेखापाल

जूनियर आडिटर

कम्प्यूटर आपरेटर

वाहन चालक

दफ्तरी

जमादार

भृत्य

चैकीदार

2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं:-

तीव्र औद्योगिककरण के लिए किये जा रहे प्रयासों में जन सहयोग एवं जन भागीदारी का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि औद्योगिक शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहे।

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था

विभाग की समितियों में जन सहयोग सुनिश्चित करने हेतु उद्योग संघों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ।

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था:-

समय समय पर बैठकें लेकर शिकायतों का निराकरण नियमों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है । विभाग में जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निरकारण हेतु सिटीजन चार्टर लागू है जिसके अन्तर्गत प्रकरणों के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित है जो निम्नानुसार है:-

सरल क्रमांक	**कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम**	**छ.ग.लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है**		**सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)**
(1)	**(2)**	**(3)**		**(4)**
1.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	(1)	पंजीयन शुल्क पर छूट	21 दिवस
		(2)	भू-डायवर्सन शुल्क में छूट हेतु अनुशंसा	21 दिवस
		(3)	नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क से छूट बाबत् अनुशंसा	30 दिवस
		(4)	प्रवेश कर भुगतान से छूट स्वीकृति	90 दिवस
		(5)	मंडी शुल्क छूट की स्वीकृति	90 दिवस
		(6)	मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति	30 दिवस
		(7)	मार्जिन मनी अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(8)	ब्याज अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(9)	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृति	90 दिवस
		(10)	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(11)	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान स्वीकृति	30 दिवस

		(12)	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(13)	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(14)	विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(15)	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(16)	पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता स्वीकृति	90 दिवस
		(17)	केन्द्रीय विक्रयकर में छूट स्वीकृति	90 दिवस
		(18)	स्टाम्प शुल्क से छूट	15 दिवस
		(19)	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा लघु उद्योगों हेतु सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत पर्यावरण सम्मति	10 दिवस
2.	उद्योग संचालनालय	(1)	पंजीयन शुल्क पर छूट	21 दिवस
		(2)	भू-डायवर्सन शुल्क में छूट हेतु अनुशंसा	21 दिवस
		(3)	नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क से छूट बाबत् अनुशंसा	30 दिवस
		(4)	प्रवेश कर भुगतान से छूट स्वीकृति	90 दिवस
		(5)	मंडी शुल्क छूट की स्वीकृति	90 दिवस
		(6)	मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति	30 दिवस
		(7)	मार्जिन मनी अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(8)	ब्याज अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(9)	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृति	90 दिवस
		(10)	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(11)	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(12)	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(13)	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(14)	विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान स्वीकृति	30 दिवस

		(15) इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(16) पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता स्वीकृति	90 दिवस
		(17) केन्द्रीय विक्रयकर में छूट स्वीकृति	90 दिवस
		(18)स्टाम्प शुल्क से छूट	21 दिवस
		(19) उद्योग संचालनालय द्वारा निवेशक के शासकीय भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव का जिला कलेक्टर को अग्रेषण	21 दिवस
		(20) उद्योग संचालनालय द्वारा निवेशक के निजी भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव का जिला कलेक्टर को अग्रेषण	21 दिवस

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते:- (अ) मुख्यालय

क्र	कार्यालय का नाम	अधिकारी जिसे आबंटित है	दूरभाष की संख्या	दूरभाष नम्बर कार्यालय	निवास	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			1. विभागाध्यक्ष कार्यालय:-			
1.	उद्योग संचालनालय,रायपुर	संचालक	03	2583855 4068709	4013076	-
2.	उद्योग संचालनालय,रायपुर	अपर संचालक	01	2583653	-	-
3.	उद्योग संचालनालय,रायपुर	फैक्स	01	2583651	-	-
4.	उद्योग संचालनालय,रायपुर	इंटरकांम	01	2583650	-	-
5.	उद्योग संचालनालय,रायपुर	नेट$इंटरकांम	01	2583652	-	-
6.	उद्योग संचालनालय,रायपुर	इंटरकाम	01	2583654	-	-
		कुल योग:-	**08**	**07**	**01**	

2. अधीनस्थ कार्यालयों के दूरभाष की जानकारी:-

1.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर	मुख्य महाप्रबधक	01	0771-2426450	-	
2.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर	महाप्रबंधक	02	250082, 250083	-	
3.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग	महाप्रबंधक	04	0778-2323640,	0778-2224534	
4.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अम्बिकापुर सरगुजा	महाप्रबंधक	02	07774-222704,	--	
5.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्दं,जगदलपुर	महाप्रबंधक	02	07782-	227396	

				228157		
6.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राजनांदगॉव	महाप्रबंधक	02	07744-227313,	--	
7.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कबीरधाम	महाप्रबंधक	01	07741-233174	--	
8.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धमतरी	महाप्रबंधक	02	232966, 232975	--	
9.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, महासमुन्द	महाप्रबंधक	01	07723-233115	--	
10.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़	महाप्रबंधक	02	222914 225334		
11.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा	महाप्रबंधक	01	225643	--	
12.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,जॉजगीर चॉपा	महाप्रबंधक	--	--	--	
13.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दन्तेवाड़ा	महाप्रबंधक	01	07856-252923	-	
14.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरिया	महाप्रबंधक	01	07771-242725	-	
15.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कॉकेर	महाप्रबंधक	02	07868-241060,	--	
16.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,जशपुर नगर	महाप्रबंधक	01	07763-223144	--	
17.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बीजापुर	महाप्रबंधक	01	220362	--	
18.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नारायणपुर	महाप्रबंधक	01	252341	--	
19.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,बलोदाबाजार	महाप्रबंधक	01	07727-222131	--	---
20.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, गरियाबन्द	महाप्रबंधक	01	07706-241268	--	--"--
21.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बालोद	महाप्रबंधक	01	07749-223948	--	--"--
22.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बेमेतरा	महाप्रबंधक	02	07824-206005, 222520	--	--"--
23.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मुंगेली	महाप्रबंधक	01	07755-264179	--	--"--
24.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलरामपुर	महाप्रबंधक	--	--	--	--"--
25.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर	महाप्रबंधक	--	--	--	--"--
26.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सुकमा	महाप्रबंधक	02	284466	284467	--"--
27.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,कोण्डागांव	महाप्रबंधक	01	07786-242756	--	--"--
कुल योग:-			**36**	**33**	**03**	

अध्याय-3 (मेनुअल-2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तिया एवं कर्तव्य

Chapter-3 (Manual-2)

Powersand Duties of Officers and Employees

3.1 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	संचालक उद्योग	
शक्तियॉ	**प्रशासकीय**	प्रशासकीय समस्त शक्तियॉ जो विभागाध्यक्ष को शासन द्वारा प्रत्यायोजित हैं ।
	वित्तीय	समस्त वित्तीय शक्तियॉ जो विभागाध्यक्ष को शासन द्वारा प्रत्यायोजित हैं ।
	अन्य	**1.** एलएमआई को वाणिज्यिक कर, प्रवेश कर के प्रकरण पर राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पर प्रमाण पत्र जारी करना । **2.** वृहद एवं मध्यम इकाई को स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी करना । **3.** भूमि/भवन क्रय/लीज पर लेने पर उसके लिखितों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क छूट का प्रमाण पत्र जारी करना । 4. वृहद एवं मध्यम उद्योग को बैंक/वित्तीय संस्था से स्वीकृत ऋण के विरूद्ध किये जाने वाले लिखितों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी करना । 5. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा उद्योग का अपंजीयन किये जाने पर अपील की सुनवाई एवं निर्णय का अधिकार ।
<u>कत्र्तव्य</u>		1. अधिकारी/कर्मचारी पर स्थापना संबंधी प्रशासकीय नियंत्रण 2. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियोक्ता अधिकारी 3. राज्य के सभी 16 जिलों के जिला कार्यालयों का नियंत्रण 4. प्रदेश के औद्योगिक गतिविधियों पर सतत निगरानी 5. जिलो के क्रिया कलापों की समीक्षा

3.2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	अपर संचालक उद्योग	
शक्तियॉ	**प्रशासकीय**	1. उद्योग संचालनालय कार्यालय के कार्यालय प्रमुख के रूप में शासन द्वारा कार्यालय प्रमुखों को प्रत्यायोजित प्रशासकीय अधिकार
	वित्तीय	1. उद्योग संचालनालय कार्यालय के कार्यालय प्रमुख के रूप में शासन द्वारा कार्यालय प्रमुखों को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार
	अन्य	**1.** ब्याज अनुदान प्रकरण में अपील सुनने का अधिकार
कत्र्तव्य		1. प्रदेश के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास 2. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्य

3.3 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	संयुक्त संचालक उद्योग	
शक्तियॉ	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक

	अन्य	**निरंक**
कत्र्तव्य		1. इण्डस्ट्रीज फेसलेटेशन काउंसिल के सदस्य सचिव को नियमों के तहत प्रदत्त कार्य । 2. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्य

3.4 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	उप संचालक उद्योग	
शक्तियाॅ	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य		1. उद्योग संचालक द्वारा आवंटित कक्ष के **कार्यों** का सम्पादन 2. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्य

3.5 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

[illegible]

पद का नाम		
शक्तियाॅ	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	**निरंक**
कत्र्तव्य		1. उद्योग संचालक द्वारा आवंटित कक्ष के कार्यों का सम्पादन 2. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्य

3.6 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	सहायक प्रबंधक	
शक्तियाॅः	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. उद्योग संचालक द्वारा आवंटित कक्ष की नस्तियां प्रस्तुत करना । 2. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्यालयीन कार्य	

.

3.7 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	लेखाधिकारी	
शक्तियॉ	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य	

3.8 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	सहायक लेखाधिकारी	
शक्तियॉ	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य	

3.9 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	शीघ्रलेखक	
शक्तियॉ	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. श्रुत लेख, टंकन कार्य 2. नस्तियों का संधारण करना 3. निजी कक्ष का कार्य करना 4. अधिकारियों के निर्देशित अन्य कार्य	

3.10 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	स्टेनोटायपिस्ट	
शक्तियाॅं	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. श्रृत लेख, टंकन कार्य 2. नस्तियों का संधारण करना 3. अधिकारियों के निर्देशित अन्य कार्य	

3.11 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	अधीक्षक	
शक्तियाॅं	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. कक्ष सहायकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना 2. नस्तियों पर टीप अंकित कर प्रस्तुत करना 3. स्थापना एवं लेखा संबंधी कार्य करना 4. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्य	

3.12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	सहायक अधीक्षक	
शक्तियाॅं	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. अधीक्षक के सहायक के रूप में कार्य करना 2. नस्तियों पर टीप अंकित कर प्रस्तुत करना 3. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्य	

3.13 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	सहायक वर्ग-1	
शक्तियाॅं	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. कक्ष में प्राप्त पत्रों को नस्ति के माध्यम से प्रस्तुत करना 2. टंकण कार्य करना 3. नस्तियों का संधारण करना 4. अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्य	

3.14 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	सहायक वर्ग-2	
शक्तियाॅं	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. कक्ष में प्राप्त पत्रों को नस्ति के माध्यम से प्रस्तुत करना 2. टंकण कार्य करना 3. नस्तियों का संधारण करना 4. अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्य	

3.15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	सहायक वर्ग-3	
शक्तियॉं	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. कक्ष में प्राप्त पत्रों को नस्ति के माध्यम से प्रस्तुत करना 2. टंकण कार्य करना 3. नस्तियों का संधारण 4. अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्य	

3.16 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

3.16 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	मुख्य लेखापाल	
शक्तियॉं	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. संचालनालय के लेखा संबंधी कार्यों का निष्पादन 2. बिल व्याउचर आहरण वितरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना 3. अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्य	

3.17 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	लेखापाल	
शक्तियाॅः	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. मुख्य लेखापाल के सहयोगी के रूप में कार्य करना 2. आय-व्यय के अभिलेखों का संधारण 3. लेखा संबंधी कार्यों का निराकरण कराना 4. अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्य	

3.18 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

3.18 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	जुनियर आडिटर	
शक्तियाॅः	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. आडिट आपत्तियों का निराकरण 2. अभिलेख संधारित करना 3. अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्य	

3.19 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	कम्प्यूटर आपरेटर	
शक्तियाॅं	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. कम्प्यूटर से संबंधित समस्त कार्य करना 2. अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्य	

3.20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	वाहन चालक	
शक्तियाॅं	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. शासकीय वाहनों का चालन करना 2. वाहनों का रख रखाव करना 3. अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्य	

3.21 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्तव्य का विवरण

पद का नाम	दफतरी	
शक्तियॉं	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक

कत्तव्य	1. रिकार्ड दुरूस्त रखना 2. रिकार्ड प्रस्तुत करना 3. अधिकारियों के निर्देश पर अन्य कार्य करना

3.22 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्तव्य का विवरण

पद का नाम	जमादार	
शक्तियॉं	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्तव्य	1. अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करना 2. फोटो कापीयर का कार्य 3. अभिलेखों को रखवाना 4. अधिकारियों के निर्देश पर अन्य कार्य करना	

3.23 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	भृत्य	
शक्तियॉं	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. कार्यालय की देखभाल करना 2. टेबल कुर्सियों की साफ सफाई करना । 3. अधिकारियों के निर्देश पर अन्य कार्य करना	

3.24 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कत्र्तव्य का विवरण

पद का नाम	चैकीदार	
शक्तियॉं	**प्रशासकीय**	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कत्र्तव्य	1. कार्यालय की देखभाल करना 2. टेबल कुर्सियों की साफ सफाई करना । 3. अधिकारियों के निर्देश पर अन्य कार्य करना	

अध्याय-4 (मेनुअल-3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

अभिलेख

Chapter-4 (Manual-3)

Rules, Regulations, Instructions, Manual and Records, for Discharging Function

अध्याय 4

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

उद्योग विभाग का प्रमुख दायित्व प्रदेश के चहुंमुखी विकास में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से योगदान देना है । वृहद, मध्यम, लघु एवं सहायक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन, पूंजी निवेश द्वारा सभी क्षेत्रों का विकास, व्यापार एवं निर्यात वृद्धि के लिये विभाग उत्प्रेरक एवं सहायक की भूमिका निभाता है ।

दायित्व एवं कत्र्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासनए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचनाएंए नियम/प्रशासकीय आदेश पर जारी किये जाते हैं । जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाएं /नियम /प्रशासकीय आदेशए जो वर्तमान में लागू हैए निम्नानुसार हैः-

<u>औद्योगिक नीति 2014-19 के क्रियान्वयन हेतु जारी अधिसूचनाएं</u>

क्र.	विषय	शासन द्वारा जारी अधिसूचना का क्रमांक व दिनांक
1.	औ.नीति 2009-14 की अधिसूचनाओं में एकजाई संशोधन बाबत् संशोधित अधिसूचना	क्रमांक एफ 20-23/2015/11/(6), दिनांक 02.05.2015/ 05.05.2015
2.	प्राथमिकता उद्योग हेतु न्यूनतम पूंजी निवेश निर्धारण बाबत्	क्रमांक एफ 20-22/2015/11/(6), दिनांक 26.05.2015
3.	औद्योगिक क्षेत्रों / औद्योगिक पार्कों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/ रियायत	क्रमांक एफ 20-24/2015/11/(6), दिनांक 06.05.2015/ 07.05.2015
4.	स्टाम्प शुल्क से छूट	1. क्रमांक एफ 10-22/ 2015/ वा.क. (पं.)/पांच (41), दिनांक 23.04.2015 2. क्रमांक एफ 10-22/ 2015/ वा.क. (पं.)/पांच (42), दिनांक 23.04.2015 3. क्रमांक एफ 10-22/ 2015/ वा.क. (पं.)/पांच (43), दिनांक 23.04.2015 4. क्रमांक एफ 10-22/ 2015/ वा.क. (पं.)/पांच (44), दिनांक 23.04.2015
5.	छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम-2014	क्रमांक एफ 20-31/2015/11/(6), दिनांक 04.06.2015
6.	कंडिका 15.19 के प्रावधान अनुसार विकल्प प्रावधान का आदेश	क्रमांक एफ 20-27/2015/11/(6), दिनांक 18.05.2015
7.	कंडिका 6 के तहत् 1. ''उद्यमिता विकास समिति का गठन''	1. क्रमांक एफ

क्र.	विषय	शासन द्वारा जारी अधिसूचना का क्रमांक व दिनांक
	2. CGCON का गठन	20-28/2015/11/(6), दिनांक 02.05.2015/ 05.05.2015 2. क्रमांक एफ 20-28/2015/11/6, दिनांक 02.05.2015/ 05.05.2015
8.	विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट संबंधी अधिसूचना	क्रमांक एफ 21/07/ 2015/18/ 2/ऊवि दिनांक 18.03.2016
9.	छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम 2014	क्रमांक एफ 20-54/2015/11/(6), दिनांक 17.06.2015
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम 2014	क्रमांक एफ 20-63/2015/11/ (6), दिनांक 17.06.2015
11.	प्रवेश कर भुगतान से छूट संबंधी अधिसूचना	क्रमांक एफ- 10-28/2016/वाक/ पांच (67), दिनांक 19.07.2016
12.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान संबंधी अधिसूचना	क्रमांक एफ 20-68/2015/11/ 6, दिनांक 21.08.2015
13.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2014 अधिसूचना	क्रमांक एफ 20-82/2015/11/(6), दिनांक 24.09.2015
14.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2014 संबंधी अधिसूचना	क्रमांक एफ 20-81/2015/11/(6), दिनांक 24.09.2015
15.	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2014 संबंधी अधिसूचना	क्रमांक एफ 20-83/2015/11/(6), दिनांक 28.09.2015
16.	ब्रांड ''विश्वसनीय छत्तीसगढ़'' के कार्य हेतु प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी को नोडल अधिकारी नामांकित करने आदेश	क्रमांक एफ 20-77/2015/11/(6), दिनांक 28.09.2015
17.	उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करने सक्षम प्राधिकारी बाबत् आदेश	क्रमांक एफ 20-06/2016/11/ (6), दिनांक 13.04.2016
18.	छ.ग. बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2015	क्रमांक एफ 20-103/2015/11/ (6), दिनांक 09.06.2016
19.	छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों/ पार्को की स्थापना अनुदान नियम 2014	क्रमांक एफ 20-102/2015/ग्यारह /(छै), दिनांक 15.01.2016
20.	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान संबंधी अधिसूचना	क्रमांक एफ 20-23/2016/11/(6), दिनांक 22.07.2016

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012-19 के क्रियान्वयन हेतु जारी अधिसूचनाएं

क्र.	विषय	शासन द्वारा जारी अधिसूचना का क्रमांक व दिनांक
1.	पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20-9/2013/ग्यारह/ (छैः), दिनांक 30.11.2015
2.	प्रवेश कर छूट	वित्त तथा योजना विभाग (वाणिज्यिक कर) की अधिसूचना क्र. एफ-10/30/2013/वाक /पांच (38) दिनांक 29.05.2013
3.	विद्युत शुल्क से छूट	ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्र. 2897/एफ-21/06/2013/13/2, दिनांक 03.10.2016
4.	मण्डी शुल्क से छूट	कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2617/डी-15/ 116/पार्ट-2/14-2 दिनांक 11.06.2014 एवं क्र./2615/डी-15/ 116/पार्ट-2/2004/ 14-2 दिनांक 11.06.2014
5.	मॉडल प्रोजेक्ट प्रोफाईल बनाने विषयक	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20-25/2013/11/ (6) दिनांक 04.04.2013
6.	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगों के विकास हेतु लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना बाबत् नोडल अधिकारी की नियुक्ति	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20-26/2013/11/ (6) दिनांक 04.04.2013
7.	औद्योगिक नीति में प्रचलित अनुदान, छूट व रियायतें दिये जाने विषयक	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20-12/2013/ग्यारह/ (छैः) दिनांक 15.04.2013

आटोमोटिव उद्योग नीति 2012-19 के क्रियान्वयन हेतु जारी अधिसूचनाएं

क्र.	विषय	शासन द्वारा जारी अधिसूचना का क्रमांक व दिनांक
1.	प्रवेश कर छूट	वित्त तथा योजना विभाग (वाणिज्यिक कर) की अधिसूचना क्र. एफ-10/29/2013/वाक /पांच (37) दिनांक 29.05.2013
2.	विद्युत शुल्क से छूट	ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्र. 2899/एफ-21/25/2013/13/2, दिनांक 03.10.2016
3.	पंजीयन शुल्क में छूट	वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 10-32/2013/वाक.(पं.)/पांच (43) दिनांक 25.06.2013
4.	आटो कम्पोनेंट्स की सूची तैयार करने हेतु समिति गठित करने संबंधी आदेश	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20-24/2013/11/ (6) दिनांक 04.05.2013

क्र.	विषय	शासन द्वारा जारी अधिसूचना का क्रमांक व दिनांक
5.	औद्योगिक नीति में प्रचलित अनुदान, छूट व रियायतें दिये जाने विषयक	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. 2080/2013/11/6, दिनांक 04.04.2013

नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका/अधिसूचनाएं प्राप्त करने का स्थानः-

पता- उद्योग संचालक

उद्योग संचालनालय

छत्तीसगढ़

उदयोग भवन रिंग रोड़ नम्बर 01 सोनाखान के सामने तेलीबांधा
रायपुर - 492004

दूरभाष- (0771) 2583650ए 51ए 52ए 53ए 54 एवं 2583855

फैक्स- (0771) 2583651

ई मेल- dtic-directorate.cg@gov.in

नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका /अधिसूचनाएं प्राप्त करने का शुल्क- --

अध्याय-5 (मेनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधी से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

Chapter-5 (Manual-4)

Particulars of any arrangement the exists for

consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation there of

नीति निर्धार्रण हेतु

5.1 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का कोई प्राविधान है ? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें ।

क्र0सं0	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी	जनता कि भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये

		अनिवार्य है ? (हॉ/नहीं)	की गयी व्यवस्था
	निरंक	निरंक	निरंक

<u>Formulation of Policy</u>

5-1- whether there is any provision to seek consultation/participation of public or its representatives for formulation of policies ? If there is, please provide details of sich policy In following format.

Sr.No.	Subject /Topic	Is it mandatory to ensure public participation (yes/No)	Arrangements for seeking public participation
	Nil	Nil	Nil

नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.2. क्या लोक पा्रधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से/ की परामर्श/ भागीदारी का कोई प्राविधान है ? यदि हैे तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें ।

Template for Information Handbook
version 1-0

क्र0सं0	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हॉ/नहीं)	जनता कि भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
	निरंक	निरंक	निरंक

Implementation of Policy

5-2- whether there is any any provision to seek consultation/participation of public or its representatives for implementation of policies ? If there is, please provide details of provisions in following format.

Sr.No.	Subiect /Topic	Is it mandatorv to ensure public participation	Arrangements for seeking public participation
		(yes/No)	
	Nil	Nil	Nil

अध्याय-6(मैन्युअल-5)

लोकप्राधिकारी के पास उनके नियंत्रण में उपलब्ध

दस्तावेजों का प्रवर्गो (Categories) के अनुसार विवरण

A statement of the Categories of Documents that are held by it or under its control

उद्योग संचालनालय,छत्तीसगढ,रायपुर के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की कक्षवार जानकारी निम्नानुसार है । जिसे प्राप्त करने हेतु व्यक्ति संबंधितं कक्ष के उप संचालक से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकता है ।

क्र0सं0	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1.	स्थापना	स्थापना कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	निर्धारित आवेदन पत्र में निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत दिये गये समय के पश्चात दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करना	उप संचालक उद्योग कक्ष प्रभारी
2.	कच्चामाल	कच्चामाल कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
3.	लघु उद्योग	लघु उद्योग कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
4.	सामान्य कक्ष	सामान्य कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
5.	आई.एफ.सी.	इन्वेस्ट फेसिलीटेशन काउंसिल कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
6.	सतर्कता	सतर्कता कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
7.	लेखा कक्ष	लेखा कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
8.	बजट आडिट	बजट आडिट कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
9.	नवीन औद्योगिक नीति	नवीन औद्योगिक नीति से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
10.	वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
11.	समन्वय	समन्वय कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
12.	अधो संरचना विकास	अधो संरचना विकास कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
13.	विधी	विधि कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
14.	प्रधानमंत्री	प्रधान मंत्री रोजगार योजना	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

	रोजगार योजना	कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज		
15	वृहद मध्यम उद्योग	वृहद मध्यम उद्योग कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
16.	बी.आई. एफ. आर	बी. आइ.एफ.आर. कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
17.	सर्वे	सर्वे कक्ष से संबंधित समस्त दस्तावेज	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

अध्याय-7(मैन्युअल-6)

बोर्ड परिषदों समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

Chapter-7 (Manual-6) A statement of board, council , committees and other bodies constituted as its part

1.	संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता	विभागीय परामर्शदात्री समिति उद्योग संचालनालय
2.	संबंद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	समिति
3.	संबंद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उददेश्य/मुख्य कृत्य)	कार्यालय के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण
4.	संबंद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री /प्रबंधकारिणी/ कार्यकारिणी/अन्य)	परामर्शदात्री
5.	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	1. संचालकउद्योग अध्यक्ष 2. श्री सी.के.शुक्ला, अपर संचालक सदस्य श्री डी.आर.वाधवानी संयुक्त 3. संचालक 4. श्री बी.के.शर्मा. उप संचालक 5. श्री एल.एन.देवांगन, सहायक संचालक श्री नील कुसुम टोप्पों, सहायक 6. प्रबंधक 7. श्री जगदीश जमादार 8. छ0ग0राज्य कर्मचारी संघ दवारा नामजद सदस्य 9. छ0ग0 लघु वेतन, शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा नामजद सदस्य
6.	मुख्य अधिकारी का नाम	संचालक उदयोग
7.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	उद्योग संचालनालय, रायपूर
8.	बैठक की आवृत्ति	त्रैमासिक
9.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?	नहीं
10.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हॉं, तो प्रक्रिया का	नहीं

	विवरण दें ।	

1.	संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता	राज्य स्तरीय समिति (वाणिज्यिक कर रियायत समिति) उद्योग संचालनालय
2.	संबंद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	समिति
3.	संबंद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उददेश्य/मुख्य कृत्य)	एल0एम0आई0 उद्योगों के वाणिज्यिक कर छूट से संबंधित प्रकरण का निराकरण
4.	संबंद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री /प्रबंधकारिणी/ कार्यकारिणी/अन्य)	कार्यकारिणी
5.	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर अध्यक्ष 2. संचालक उद्योग/उद्योग आयुक्त सदस्य सचिव 3. एम0डी0 सीएसआईडीसी सदस्य
6.	मुख्य अधिकारी का नाम	आयुक्त, वाणिज्यिक कर
7.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	उद्योग संचालनालय, रायपुर
8.	बैठक की आवृत्ति	आवश्यकतानुसार
9.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?	नहीं
10.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हॉ, तो प्रक्रिया का विवरण दें ।	नहीं

1.	संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता	राज्य स्तरीय समिति (लागत पूंजी सहायता) उद्योग संचालनालय
2.	संबंद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	समिति
3.	संबंद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उददेश्य/मुख्य कृत्य)	एल0एम0आई0 उद्योगों के लागत पूंजी अनुदान प्रकरणों का निराकरण
4.	संबंद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री /प्रबंधकारिणी/ कार्यकारिणी/अन्य)	कार्यकारिणी
5.	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	1. आयुक्त, संचालक अध्यक्ष 2. एम0डी0/एडीशनलएम0डी0 सीएसआईडीसी 3. डिप्टी जनरल मैनेजर, एसबीआई 4. अपर संचालक, एम0एस0

6.	मुख्य अधिकारी का नाम	आयुक्त उद्योग/संचालक उद्योग
7.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	उद्योग संचालनालय, रायपुर
8.	बैठक की आवृत्ति	मासिक
9.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?	नहीं
10.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हॉ, तो प्रक्रिया का विवरण दें ।	नहीं

1.	संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता	राज्य स्तरीय समिति (अधोसंरचना सहायता अनुदान) उद्योग संचालनालय
2.	संबंद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	समिति
3.	संबंद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उददेश्य/मुख्य कृत्य)	अधोसंरचना विकास सहायता से संबंधित प्रकरणों का निराकरण
4.	संबंद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री /प्रबंधकारिणी/ कार्यकारिणी/अन्य)	कार्यकारिणी
5.	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	1. आयुक्त, संचालक अध्यक्ष 2. एम0डी0/एडीशनलएम0डी0 सीएसआईडीसी 3. डिप्टी जनरल मैनेजर, एसबीआई 4. अपर संचालक, एम0एस0
6.	मुख्य अधिकारी का नाम	आयुक्त उद्योग/संचालक उद्योग
7.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	उद्योग संचालनालय, रायपुर
8.	बैठक की आवृत्ति	आवश्यकतानुसार
9.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?	नहीं
10.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हॉ, तो प्रक्रिया का विवरण दें ।	नहीं

1.	संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता	इण्डस्ट्रियल फेसीलिटेशन कॉन्सिल उद्योग संचालनालय
2.	संबंद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	परिषद

3.	संबंद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उददेश्य/मुख्य कृत्य)	लघ उद्योगों के विलम्बित संदायों का बयाज सहित भगतान
4.	संबंद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री /प्रबंधकारिणी/ कार्यकारिणी/अन्य)	आर्बिट्रेशन
5.	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	1. संचालक उद्योग, — अध्यक्ष 2. उप महाप्रबंधक स्टेट बैंक आफ इंडिया — सदस्य 3. श्री सत्यनारायण अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती रायपुर — सदस्य 4. श्री अनिल शिवदासानी, — सदस्य 5. श्री विजय देशमुख, अधिवक्ता, शिवानंद नगर, सेक्टर-2, खमतराई रायपुर — सदस्य
6.	मुख्य अधिकारी का नाम	उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग
7.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	उद्योग संचालनालय, रायपुर
8.	बैठक की आवृत्ति	त्रैमासिक
9.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?	नहीं
10.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हॉ, तो प्रक्रिया का विवरण दें ।	नहीं

1.	संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता	विभाग प्रमुख स्तर पर क्रय समिति, उद्योग संचालनालय
2.	संबंद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	समिति
3.	संबंद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उददेश्य/मुख्य कृत्य)	संचालनालय व्दारा खुले बाजार से क्रय की जाने वाली सामग्री के क्रयादेश किस मूल्य पर तथा किस संस्था को दिये जावें इस पर निर्णय लेना।
4.	संबंद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री /प्रबंधकारिणी/ कार्यकारिणी/अन्य)	कार्यकारिणी
5.	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	1. श्री डी.आर.वाधवानी, संयुक्तसंचालक उद्योग अध्यक्ष 2. श्री व्ही.पी. दानी, उप संचालक उद्योग, सदस्य 3. श्री ए.एच.यजदानी, उप संचालक उद्योग, सदस्य 4. श्रीमती सुषमा ठाकुर उप संचालक वित्त सदस्य 5. श्री सुभाष भगत, विपणन प्रबंधक, CSIDC रायपुर सदस्य
6.	मुख्य अधिकारी का नाम	संयुक्त संचालक उद्योग
7.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	उद्योग संचालनालय, रायपुर
8.	बैठक की आवृत्ति	आवश्यकतानुसार
9.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?	नहीं
10.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हॉ, तो प्रक्रिया का विवरण दें।	नहीं

उपरोक्त वर्णित समितियों की सभा में सर्वसाधारण जनता को उपस्थित रहने का अधिकार नहीं है।

अध्याय-8 (मेनुअल-7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टिया

Chapter-8 (Manual-7)

The names, designations and other particulars of the public Information Ofiicers

विभागीय लोक सूचना अधिकारी

क्र0	नाम	पदनाम	एसटीडी	दूरभाष		फैक्स ई-मेलेल	पता
				कार्यालय	निवास		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	श्री ए.एच.यजदानी	उप संचालक उद्योग	0771	2583650-54		2583651	उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर

विभागीय सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र0	नाम	पदनाम	एसटीडी	दूरभाष		फैक्स ई-मेल	पता
				कार्यालय	निवास		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	श्री अजय श्रीवास्तव	उप संचालक	0771	2583652		2583651	उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर
2.	श्री बी.के.शर्मा	उप संचालक	0771	2583652		2583651	उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपर
3.	श्री के.एन.फुलझेले	उप संचालक	0771	2583652		2583651	उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर
4.	श्री डी.एस.धुर्वा	उप संचालक	0771	2583652		2583651	उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर
5.	श्री एम.बी. सिह	उप संचालक	0771	2583652		2583651	उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर
6.	श्री व्ही.पी.दानी	उप संचालक	0771	2583652		2583651	उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर
7.	श्री संजय राणे	उप संचालक	0771	2583652		2583651	उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर
8.	श्री ए.के.जैन	सहायक संचालक	0771	2583652		2583651	उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर

विभागीय अपीलेट अधिकारी

क्र0	नाम	पदनाम	एसटीडी	दूरभाष कार्यालय	 निवास	फैक्स ई-मेलेल	पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	श्री डी.आर.वाधवानी	सयुक्त संचालक	0771	2583650 2583652-54		2583651	उद्योग संचालनालय छतीसगढ़ रायपुर

जिलों में पदस्थ लोक सूचना अधिकारी

क्र.	जिला का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम	दूरभाष क्रमांक	पता
1	रायपुर	श्री एस.एल. देवांगन	श्री टी.आर.वैद्य	0771-2426450	जि.व्या.उ.के. रायपुर
2	दुर्ग	श्री अनिल श्रीवास्तव	श्री प्रवीण शुक्ला	0788-2323640	जि.व्या.उ.के. दुर्ग
3	रायगढ़	श्री ए.के.तिर्कि	श्री के एल.उईके	07762-222914	जि.व्या.उ.के. रायगढ़
4	बिलासपुर	श्री टी.आर.कश्यप	श्री आर.के.दत्ता	07752-250082	जि.व्या.उ.के. बिलासपुर
5	राजनांदगांव	श्री एल.के.साहू	श्री राजीव शुक्ला	07744-224134	जि.व्या.उ.के. राजनांदगांव
6	महासमुन्द	श्री जीवन लाल बंजारे	श्री संजय गजघाटे	07723-223115	जि.व्या.उ.के. महासमुन्द
7	कबीरधाम	श्री सीस.डी.प्रसाद	श्री अजय पाठक	07741-233174	जि.व्या.उ.के. कबीरधाम
8	कोरबा	श्री अमर सिंह	श्री आर.सी.एस.ठाकुर	07759-225643	जि.व्या.उ.के. कोरबा
9	धमतरी	श्री एस.पी. गोस्वामी	श्री सी.एस.पाण्डे	07722-232966	जि.व्या.उ.के. धमतरी
10	दन्तेवाड़ा	श्री टी.कुजूर	श्री अजीत बिलुंग	07856-252923	जि.व्या.उ.के. दन्तेवाड़ा
11	जगदलपुर	श्री डी.एल.पुसाम	श्री शिवकुमार राठौर	07782-205399	जि.व्या.उ.के. जगदलपुर
12	सरगुजा	श्री अनिल श्रीवास्तव	श्री संजय सिंह	07774-222704	जि.व्या.उ.के. सरगुजा
13	कोरिया	श्री अमिताभ मुखर्जी	श्री आर.सी.जैन	07771-242725	जि.व्या.उ.के. कोरिया
14	जांजगीर-चांपा	श्री फिलिप तिग्गा	श्री संजीव सुखदेवे	07819-244201	जि.व्या.उ.के. जांजगीर-चांपा
15	जशपुरनगर	श्री एम.एस.पैकरा	श्री सी.आर.टेकाम	07763-223144	जि.व्या.उ.के. जशपुरनगर
16	नारायणपुर	श्री बी.डी.एस.बघेल	श्री शैलेन्द्र रंगा	07781-252341	जि.व्या.उ.के. नारायणपुर

17	कांकेर	श्री जागेश्वर मेश्राम	श्री एस.सी.राही	07868-241064	जि.व्या.उ.के. कांकेर
18	बीजापुर	श्री बी.आर निकुंज	श्री सुरेश कच्छप	07853-220362	जि.व्या.उ.के. बीजापुर
19	बालोद	श्री एस.के.सिंह	श्री बी.पी.वासनिक	07749-223948	जि.व्या.उ.के. बालोद
20	बेमेतरा	श्रीमती विद्या भंण्डारी	श्री एस मीणा	07824-206005	जि.व्या.उ.के. बेमेतरा
21	बलौदाबाजार	श्री मोहन लाल साहू	श्री एस.एस.बघेल	07727-222131	जि.व्या.उ.के. बलौदाबाजार
22	बलरामपुर	श्री पी.आर.खण्डेलवाल	--	07831-	जि.व्या.उ.के. बलरामपुर
23	गरियाबन्द	श्री ए.के.सिंह	श्री संतोष कुमार सिंह	07706-241268	जि.व्या.उ.के. गरियाबन्द
24	मुंगेली	श्री अर्जुन जुर्री	श्री एम.एल.कुशरे	07755-264179	जि.व्या.उ.के. मुंगेली
25	कोण्डागांव	श्री आर.के. कुमार	श्री अजीत टोप्पो	07786-242756	जि.व्या.उ.के. कोण्डागांव
26	सूरजपुर	श्री एस.एस.राठिया	श्री मितवा बड़ा	07775-	जि.व्या.उ.के. सूरजपुर
27	सुकमा	श्री दीनबन्दु धुरव	श्री सी.केरकेट्टा	07864-284466	जि.व्या.उ.के. सुकमा

अध्याय-9 (मेनुअल-8)
निर्णय लेने की प्रक्रिया

Chapter-9 (Manual-8)

Procedure followed in Decision Making Process

अध्याय-9

निर्णय लेने की प्रक्रिया

उद्योग विभाग का प्रमुख दायित्व प्रदेश के चहुंमुखी विकास में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से योगदान देना है। वृहद, मध्यम, लघु एवं सहायक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन, पूंजी निवेश द्वारा सभी क्षेत्रों का विकास, व्यापार एवं निर्यात वृद्धि के लिये विभाग उत्प्रेरक एवं सहायक की भूमिका निभाता है।

विभाग के उपरोक्त दायित्वों एवं कत्र्तव्यों के निर्वहन हेतु राज्य स्तर पर मंत्रालय, संचालनालय एवं जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में निर्णय की शक्तियां निहित हैं ।

आम जनता का सम्बन्ध विभाग से उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में होता है, विभाग से संबंधित औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न कार्यो में निर्णय लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः-

1. लघु उद्योग पंजीयन-

औद्योगिक विकास एंव नियमन अधिनियम 1951 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ''अनुसूची'' में दिये गये लघु उद्योगों का ''अनंतिम पंजीयन'' एवं ''स्थायी पंजीयन'' जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जाता है । ''अनंतिम पंजीयन'' उद्योग प्रारंभ करने हेतु प्रारंभिक स्थिति है एवं उद्योग आधार प्रारंभ होने के पश्चात की स्थिति है ।

अनंतिम पंजीयन प्रमाण पत्र के अधिकार राज्य में प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को हैं तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र के अधिकार संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को हैं ।

लघु उद्योग पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होता है आवेदन पत्र में अनंतिम पंजीयन के संदर्भ में प्रस्तावित उद्योग के नाम, उत्पाद, पूंजी निवेश, उद्योग के कार्य स्थल, रोजगार, उत्पाद क्षमता के संबंध में जानकारी उद्यमी द्वारा प्रदान की जाती है जिसके आधार पर प्रबंधक ''अनंतिम लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण-पत्र'' जारी करते है ।

स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व, आवेदन के पश्चात जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधक/सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारी उद्योग स्थल का निरीक्षण करते है एवं इस निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करते है ।

लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में अर्थात् मध्यम-वृहद श्रेणी के उद्योगों में जिला स्तर पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं मेगा प्रोजेक्ट (रूपये 100.00 करोड़ से अधिक पंूंजी निवेश वाली परियोजनाएं) के प्रकरणों में उद्योग संचालनालय द्वारा उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किये जाते है ।

अनंतिम लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र एवं स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा क्रमशः 3 दिवस एवं 21 दिवस निर्धारित की गई है ।

2. औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन -

उद्यमियों द्वारा लघु उद्योग पंजीयन के उपरांत/भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से आई0ई0एम0 प्राप्त करने उपरांत उद्योग स्थापनार्थ भूमि आवंटन हेतु संपर्क केन्द्र जिले में ''जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र'' एवं राज्य स्तर पर ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन'' है ।

औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित प्रारूप में भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र, उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र होने पर संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के अधीन औद्योगिक क्षेत्र होने पर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर को प्रस्तुत करना होता है । आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु एक निर्धारित शुल्क है ।

पूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर तथा आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा उद्यमी के पक्ष में भू-आशय पत्र जारी किया जाता है जो विभाग/ छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन की ओर से उद्यमी को भूमि आवंटन का प्रस्ताव है । इस आशय पत्र में भूमि आवंटन की दरें एवं भू-आवंटन की शर्तो का उल्लेख होता है ।

भूमि आवंटन से संबंधित वंाछित शुल्क का भुगतान एवं शर्तो की पूर्ति हेतु सहमति दिये गये समय सीमा में करने के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा भू-आवंटन पत्र जारी किया जाता है जो भू-अधिकार दिये जाने से संबंधित है, भू-आवंटन के उपरांत आवंटी औद्योगिक इकाई एवं शासन की ओर से अधिकृत प्राधिकार के मध्य एक अनुबंध का निष्पादन होता है जिसमें भूमि आवंटन से संबंधित संपूर्ण शर्तो का उल्लेख होता है जिसकी पूर्ति आवंटी औद्योगिक इकाई को उद्योग स्थापना पर्यन्त करती होती है ।

उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र होने पर भूमि आवंटन के अधिकार पांच एकड़ सीमा तक महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को है एवं इससे अधिक भूमि का रकबा होने पर भू-आवंटन के अधिकार उद्योग आयुक्त/संचालक/शासन को है ।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के लिए क्षेत्राधिकार मेे आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन का कार्य छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2002 में भूमि आवंटन संबंधी अधिकार जिला निवेश प्रोत्साहन समिति एवं राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को है अतः भू-आवंटन के संबंध मंे नये नियम बनाये जा रहे है ।

3. औद्योगिके निवेश प्रोत्साहने हेतु छूट/रियायतों के प्रकरणों का निराकरण-

राज्य शासन द्वारा औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली छूट/रियायतें निम्नानुसार है-

1- ब्याज अनुदान

1- ब्याज अनदान
2- अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान
3- विद्युत शुल्क से छूट
4- स्टाम्प शुल्क से छूट
5- प्रवेश कर से छूट
6- औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूमि पर प्रीमियम में छूट / रियायत
7- परियोजना प्रतिवेदन अनुदान
8- प्रौद्योगिकी प्रौन्नति हेतु ब्याज अनुदान
9- भूमि व्यपवर्तन शुल्क से छूट
10- औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू-आवंटन सेवा शुल्क
11- गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान
12- तकनीकी पेटेंट अनुदान
13- मंडी शुल्क से छूट

अनुदान योजनाओं के प्रकरणों के निराकरण हेतु अधिसूचित नियमों में योजनावार ''प्रकिया/प्रक्रिया व अधिकार'' के तहत प्रक्रिया अधिसूचित की गई है ।

उपरोक्त छूट/रियायतें प्राप्त करने हेतु औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में निर्धारित अवधि (वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के एक वर्ष के भीतर) में प्रस्तुत करना होता है ।

आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात आवेदन पत्र के निरीक्षण/परीक्षण की कार्यवाही की जाती है व तदुोपरांत प्रकरण पर निर्णय लिया जाता है ।

लघु उद्योगों के प्रकरणों में ब्याज अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, स्टाम्प शुल्क से छूट, भूमि व्यपर्वन से छूट हेतु अनुशंसा एवं औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूमि पर प्रीमियम में छूट /रियायत प्रकरणों में तथा लघु उद्योगों व लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान /तकनीकी पटेन्ट अनुदान स्वीकृत करने के अधिकार महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दिये गये है ।

जिला स्तर पर लघु उद्योगों के प्रवेश कर से छूट एवं अधोसंरचना लागत - स्थायी पंूजी निवेश अनुदान (रूपये 15.00 लाख के अनुदानकी सीमा तक) एवं प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान

के प्रकरणों का निराकरण संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति को है ।

लघु उद्योगों से भिन्न औद्योगिक इकाइयों के परियोजना प्रतिवेदन अनुदान प्रकरणों के निराकरण के अधिकार अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को है एवं लघु उद्योगों से भिन्न औद्योगिक इकाइयों के स्टाम्प शुल्क से छूट / ब्याज अनुदान एवं औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूमि पर प्रीमियम में छूट/रियायत संबंधी प्रकरणों के निराकरण के अधिकार उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक को हैं ।

लघु उद्योगों से भिन्न औद्योगिक इकाइयों के अधोसंरचना लागत-स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान एवं प्रवेश कर से छूट के प्रकरणों के निराकरण हेतु राज्य स्तरीय समिति है।

जिन प्रकरणों में निराकरण संचालनालय स्तर पर / राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाना है उनके संबंध में आवेदन पत्र संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से परीक्षण व अनुशंसा उपरांत उद्योग संचालनालय प्रेषित किये जाते है व संचालनालय में यथास्थिति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जाता है ।

अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई के अधिकार अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को दिये गये है एवं उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रमुख सचिव/सचिव को किये जाने को प्रावधान है। आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपील की जाती है । अधिसूचित नियमों में कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग को अधिकृत किया गया है ।

नियमों की व्याख्या, पात्रता या किसी अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है एवं इन योजनाओं के अन्तर्गत कोई विवाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकता है ।

प्रकरणों के निराकरण की सीमा निम्नानुसार निर्धारित है-

सरल क्रमांक	**कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम**		**छ.ग.लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है**	**सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)**
(1)	**(2)**	**(3)**		**(4)**
1.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	(1)	पंजीयन शुल्क पर छूट	21 दिवस
		(2)	भू-डायवर्सन शुल्क में छूट हेतु अनुशंसा	21 दिवस
		(3)	नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क से छूट बाबत् अनुशंसा	30 दिवस
		(4)	प्रवेश कर भुगतान से छूट स्वीकृति	90 दिवस
		(5)	मंडी शुल्क छूट की स्वीकृति	90 दिवस
		(6)	मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति	30 दिवस
		(7)	मार्जिन मनी अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(8)	ब्याज अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(9)	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृति	90 दिवस
		(10)	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(11)	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(12)	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(13)	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(14)	विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(15)	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(16)	पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता स्वीकृति	90 दिवस
		(17)	केन्द्रीय विक्रयकर में छूट स्वीकृति	90 दिवस
		(18)	स्टाम्प शुल्क से छूट	15 दिवस

		(19) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा लघु उद्योगों हेतु सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत पर्यावरण सम्मति	10 दिवस
2.	उद्योग संचालनालय	(1) पंजीयन शुल्क पर छूट	21 दिवस
		(2) भू-डायवर्सन शुल्क में छूट हेतु अनुशंसा	21 दिवस
		(3) नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क से छूट बाबत् अनुशंसा	30 दिवस
		(4) प्रवेश कर भुगतान से छूट स्वीकृति	90 दिवस
		(5) मंडी शुल्क छूट की स्वीकृति	90 दिवस
		(6) मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति	30 दिवस
		(7) मार्जिन मनी अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(8) ब्याज अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(9) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृति	90 दिवस
		(10) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(11) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(12) तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(13) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(14) विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(15) इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान स्वीकृति	30 दिवस
		(16) पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता स्वीकृति	90 दिवस
		(17) केन्द्रीय विक्रयकर में छूट स्वीकृति	90 दिवस
		(18) स्टाम्प शुल्क से छूट	21 दिवस
		(19) उद्योग संचालनालय द्वारा निवेशक के शासकीय भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव का जिला कलेक्टर को अग्रेषण	21 दिवस

		(20) उद्योग संचालनालय द्वारा निवेशक के निजी भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव का जिला कलेक्टर को अग्रेषण	21 दिवस

विद्युत शुल्क से छूट संबंधी प्रकरणों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से आवेदन पत्र परीक्षण उपरांत उद्योग संचालनालय में प्राप्त होते है एवं उद्योग संचालनालय से अनुशंसा कर मुख्य विद्युत निरीक्षकालय को भेजे जाते है जहां पर नियमानुसार विद्युत शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाते है ।

4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना का क्रियान्वयन-

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना दिनांक 02 अक्टूबर 1993 से क्रियाशील है पात्र युवाओं को उद्योग व्यापार एवं सेवा क्षेत्र के कार्यो को स्वरोजगार के रूप में अपनाने में यह योजना सहायक है ।

इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जाता है पात्रतानुसार प्रकरणों के निराकरण हेतु महाप्रबंधकए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में टास्क फोर्स समिति गठित है जिनकी अनुशंसा पर प्रकरणों को स्वीकृत कर विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है ।

ऋण स्वीकृति के उपरांत लाभार्थी हितग्राहियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत अनुदान सीधे बैंकों को प्राप्त होता है ।

राज्य स्तर पर योजना की समीक्षा के लिए राज्य समिति गठित है ।

5. कच्चे माल का आवंटन हेतु व्यवस्था-

वर्तमान में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा औद्योगिक इकाइयों को उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कोयले की आपूर्ति हेतु उद्योग की आवश्यकतानुसार जांच कर उद्योग संचालनालय /छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को आवेदन पत्र प्रेषित किये जाते है । राज्य के लघु उद्योगों को कोयले आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है ।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा लघु उद्योगों को लौह एवं स्टील की आपूर्ति भी डिपो के माध्यम से की जाती है ।

6. निजी भूमि का अधिग्रहण /शासकीय भूमि का हस्तांतरण-

राज्य के किसी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु / निवेशक हेतु उद्योगों की स्थापना के संबंध में वांछित निजी भूमि के अधिग्रहण /शासकीय भूमि के हस्तांतरण हेतु निवेशक को रूपये 10.00 करोड़ तक की परियोजना से संबंधित उद्योगों के प्रकरणों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को एवं रूपये 10.00 करोड़ से अधिक परियोजना लागत वाले उद्योगों में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ परियोजना रिपोर्ट, परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का विवरण, वांछित भूमि के खसरा नक्शा पांचसाला आदि के साथ आवेदन देना होता है ।

शासकीय भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति उद्योग आयुक्त /संचालक स्तर से प्रदाय की जाती है एवं स्वीकृति उपरांत शासकीय भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रेषित किये जाते है ।

निजी भूमि के अर्जन हेतु भू-अर्जन की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदत्त की जाती है प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत संबंधित जिले के कलेक्टर / भू-अर्जन अधिकारी द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही **भू-अर्जन अधिनियम 2013** के प्रावधानों के अनुसार की जाती है ।

निजी भूमि के अधिग्रहण /शासकीय भूमि के हस्तांतरण के उपरांत भूमि का आधिपत्य राजस्व विभाग से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्राप्त होता है । वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा यह भूमि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीय डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को आधिपत्य में दी जाती है एवं कार्पोरेशन द्वारा शासन /कार्पोरेशन के नियमों के अनुसार भूमि निवेशक को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित की जाती है ।

7. लघु उद्योगों हेतु सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत पर्यावरण सम्मति-

शासन द्वारा 503 प्रकार के उद्योगों को सरलीकृत सम्मति प्रक्रिया के तहत पर्यावरण सम्मति दिये जाने हेतु चिन्हित किया गया है जिसके अन्तर्गत उद्योगों में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा निर्धारित है । इस सीमा के अन्तर्गत जल का प्रयोग होने पर जल एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अधीन कार्यवाही नहीं होती अपितु इन प्रकरणों में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को सम्मति जारी करने के अधिकार है ।

8. उद्योगों के निर्बाधनों का निराकरण -

औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु निम्नांकित निर्बाधन प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2002 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम 2004 में एकल संपर्क केन्द्र निर्धारित किये गये हैं जिसके तहत रूपये 10.00 करोड़ तक की परियोजनाओं में जिला निवेश प्रोत्साहन समिति एवं रूपये 10.00 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली अनापत्ति /सम्मति /पंजीयन/अनुज्ञा/अनुमोदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है एवं संबंधित विभागों से वांछित निराकरण प्राप्त होने पर इनकी सूचना निवेशकों को दी जाती है ।

9. उद्योग विभाग के अधिकारियों एंव कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया-

वर्तमान में उद्योग विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति निम्नांकित नियमों के अधीन है:-

1- छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (राजपत्रित) छ.ग.लोक सेवा (पदोन्नति नियम 2003)

1- छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (राजपत्रित) छ.ग.लोक सेवा (पदोन्नति नियम 2003)

2- छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग ततीय श्रेणी (कार्यपालिक) छ.ग.राज्य उद्योग सेवा भर्ती नियम 2007

3- छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग ततीय श्रेणी (लिपिकीय) छ.ग.राज्य उद्योग सेवा भर्ती नियम 2007

4- उद्योग संचालनालयए विभागीय कार्यभारित तथा आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1976

10. वित्तीय स्वीकृति से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया -

वित्तीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों में छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-1 एवं भाग-2, छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग-1 एवं भाग-2, सामान्य भविष्य निधि नियम, यात्रा भत्ता नियम, अवकाश यात्रा सुविधा, परिवार कल्याण निधि नियम, समूह बीमा योजना नियम तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासकीय निर्देशों तथा निर्धारित प्रक्रिया से शासित होते हैं ।

उद्योग संचालनालय में राशि के आहरण एवं संवितरण का कार्य करने हेतु केशियर, लेखापाल, अधीक्षक, उद्योग सहायक संचालक, उद्योग संयुक्त संचालक, उद्योग अपर संचालक की कड़ी है ।

अध्याय - 10 (मैनुअलु- 9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

Chapter 10 (Manual-9)

Directory of Officers and Employee

dzekad	vf/kdkjh dk uke o inuke	inLFkkiuk LFky	nwjHkk'k Øekad
1.	Jh lh- ds- 'kqDyk] vij lapkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
2.	Jh ih-ds- 'kqDyk] la;qDr lapkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
3.	Jh Mh-vkj-ok/kokuh] la;qDr lapkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
4.	Jh ds- ,u- Qqy>sys] mi lapkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
5.	Jh ,-,p- ;tnkuh] mi lapkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
6.	Jh ch- ds- 'kekZ] mi lapkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
7.	Jh Mh0,l0/kzqok] mi lapkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
8.	Jh vt; JhokLro] mi lapkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
9.	Jh ,e0 ch0 flag] mi lapkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
10.	Jh lat; jk.ks] mi lapkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
11.	Jh Ogh- ih- nkuh] mi lapkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
12.	Jherh lq"kek Bkdqj] mi lapk-	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
13.	Jh ,y0,u0nsokaxu] lgk- lapkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
14.	Jh ,-ds- tSu] lgk;d lapkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
15.	Jh 'kjnpUnz vxzoky] o-fu-lgk-	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
16.	Jh Mh0ih0vkxjs] o-fu-lgk-	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
17.	Jh ch-,y- iVys] o-fu-lgk-	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54

कर्मचारियों की सूची

dzekad	deZpkjh dk uke o inuke	inLFkkiuk LFky	nwjHkk"k
1.	Jh vt; dqekj vkfnR;] lgk- ys[kkf/kdkjh	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
2.	Jherh js[kk {k=h;] lgk;d izca/kd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
3.	Jh uhydqlqe Vkslks] lgk;d izca/kd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
4.	Jh pSrU; dqekj] lgk;d izca/kd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
5.	Jh izkapy lko] lgk;d izca/kd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
6.	dq- ikoZrh Bkdqj] lgk;d izca/kd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
7.	Jh jfoUnz dslfj;k] lgk;d izca/kd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
8.	Jherh ljkst >kfj;k] lgk- izca/kd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
9.	Jh _f"k HkV~V] lgk;d izca/kd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
10.	Jherh ljkst ekyoh;k] lgk;d v/kh{kd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
11.	Jh ekfydjke iVsy] lgk;d oxZ&1	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
12.	Jh nqykjflag iSdjk] twfu;j vkfMVj	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
13.	Jh pkysZl ,Ddk] lgk;d oxZ&1	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
14.	Jh jkes'oj gsM+kÅ] lgk;d oxZ&1	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
15.	Jh Mh-Mh- dkslek] lgk;d oxZ&1	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
16.	Jh jken;ky oekZ] lgk;d oxZ&1	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
17.	Jh Vhdeyky /kzqo] LVsuksVk;fiLV	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
18.	Jh f'kojke eljke] lgk;d oxZ&2	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
19.	Jh eqdaqn jke] lgk;d oxZ 02	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
20.	Jh mesUn flax daoj] lgk-oxZ&3	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
21.	Jherh fo|k 'kekZ] lgk;d oxZ&3	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
22.	Jh ehus'k dqekj iVsy] lgk-oxZ 03	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
23.	Jh dUgS;k yky egksfc;k] lgk;d	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
24.	Jherh jhuk lkgw] lgk-oxZ 03	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
25.	Jh dqys'oj dqekj mbds] lgk-oxZ 03	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
26.	Jh vtqZu dqekj lkgw] lgk-oxZ 03	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
27.	Jh v'kksd dqekj lkgw] lgk-oxZ 03	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
28.	dq- pesyh tkaxMs+] lgk-oxZ 03	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
29.	Jh risUnz flag Bkdqj] lgk-oxZ 03	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54

dzekad	deZpkjh dk uke o inuke	inLFkkiuk LFky	nwjHkk"k
30.	Jherh 'kckuk 'kEl fjtoh] lgk-oxZ 03	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
31.	Jh 'k'khdkar ukxs'oj] okgu pkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
32.	Jh jks'ku fedk] okgu pkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
33.	Jh [ksyu nkl catkjs] okgu pkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
34.	Jh larks"k nsokaxu] okgu pkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
35.	Jh fnyhi dqekj] okgu pkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
36.	eks- 'ks[k ltj] okgu pkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
37.	Jh izeksn pkSgku] okgu pkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
38.	Jh lanhi [ksl] okgu pkyd	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
39.	Jh Hkkxor jke eaMkoh] teknkj	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
40.	Jh txnh'k] teknkj	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
41.	Jh dey] Hk`R;	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
42.	Jh _"kHk nso] Hk`R;@pkSdhnkj	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
43.	Jh /khjsUnz flag jktiwr] Hk`R;@pkSdhnkj	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
44.	Jh xs'oj jke] Hk`R;@pkSdhnkj	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
45.	Jh gfjizlkn eUgj] Hk`R;@pkSdhnkj	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
46.	Jh v:.k dqekj flnkj] Hk`R;@pkSdhnkj	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
47.	Jh d`iky flag] Hk`R;@pkSdhnkj	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
48.	Jh dkS'ky dqekj] Hk`R;@pkSdhnkj	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
49.	dq- lqu;uk [ky[kks] Hk`R;@pkSdhnkj	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54
50.	Jherh iq"ikatyh 'kqDyk] Hk`R;@pkSdhnkj	m|ksx Lkapkyuky;	0771& 2583650&54

जिला कार्यालयों में पदस्थ मुख्य महाप्रबंधक/प्रबंधकों की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	दूरभाष क्रमांक	पता
1	रायपुर	श्री टी.आर.वैद्य	0771-2426450	जि.व्या.उ.के. रायपुर
2	दुर्ग	श्री प्रवीण शुक्ला	0788-2323640	जि.व्या.उ.के. दुर्ग
3	रायगढ़	श्री के एल.उईके	07762-222914	जि.व्या.उ.के. रायगढ़
4	बिलासपुर	श्री आर.के.दत्ता	07752-250082	जि.व्या.उ.के. बिलासपुर
5	राजनांदगांव	श्री राजीव शुक्ला	07744-224134	जि.व्या.उ.के. राजनांदगांव
6	महासमुन्द	श्री संजय गजघाटे	07723-223115	जि.व्या.उ.के. महासमुन्द
7	कबीरधाम	श्री अजय पाठक	07741-233174	जि.व्या.उ.के. कबीरधाम
8	कोरबा	श्री आर.सी.एस.ठाकुर	07759-225643	जि.व्या.उ.के. कोरबा
9	धमतरी	श्री सी.एस.पाण्डे	07722-232966	जि.व्या.उ.के. धमतरी
10	दन्तेवाड़ा	श्री अजीत बिलुंग	07856-252923	जि.व्या.उ.के. दन्तेवाड़ा
11	जगदलपुर	श्री शिवकुमार राठौर	07782-205399	जि.व्या.उ.के. जगदलपुर
12	सरगुजा	श्री संजय सिंह	07774-222704	जि.व्या.उ.के. सरगुजा
13	कोरिया	श्री आर.सी.जैन	07771-242725	जि.व्या.उ.के. कोरिया
14	जांजगीर-चांपा	श्री संजीव सुखदेवे	07819-244201	जि.व्या.उ.के. जांजगीर-चांपा
15	जशपुरनगर	श्री सी.आर.टेकाम	07763-223144	जि.व्या.उ.के. जशपुरनगर
16	नारायणपुर	श्री शैलेन्द्र रंगा	07781-252341	जि.व्या.उ.के. नारायणपुर
17	कांकेर	श्री एस.सी.राही	07868-241064	जि.व्या.उ.के. कांकेर
18	बीजापुर	श्री सुरेश कच्छप	07853-220362	जि.व्या.उ.के. बीजापुर
19	बालोद	श्री बी.पी.वासनिक	07749-223948	जि.व्या.उ.के. बालोद
20	बेमेतरा	श्री एस मीणा	07824-206005	जि.व्या.उ.के. बेमेतरा

21	बलौदाबाजार	श्री एस.एस.बघेल	07727-222131	जि.व्या.उ.के. बलौदाबाजार
22	बलरामपुर	--	07831-	जि.व्या.उ.के. बलरामपुर
23	गरियाबन्द	श्री संतोष कुमार सिंह	07706-241268	जि.व्या.उ.के. गरियाबन्द
24	मुंगेली	श्री एम.एल.कुुशरे	07755-264179	जि.व्या.उ.के. मुंगेली
25	कोण्डागांव	श्री अजीत टोप्पो	07786-242756	जि.व्या.उ.के. कोण्डागांव
26	सूरजपुर	श्री मितवा बड़ा	07775-	जि.व्या.उ.के. सूरजपुर
27	सुकमा	श्री सी.केरकेट्टा	07864-284466	जि.व्या.उ.के. सुकमा

अध्याय-11 (मैन्युअल-10)
प्रत्येकेक अधिकारी और कर्मचारी व्दारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

Chapter-11 (Manual-10)

The Monthly Remuneration Received By Each of its Officers and Employees, Including the system of Compensation as provided in Regulations

अध्याय 11 (मैनुअल-10)

प्रत्येकेक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

और

उसके निर्धारण की पद्वति

स.क्र.	नाम	पदनाम	मूल वेतन	मासिक पारिश्रमिक					
				मूल वेतन	ग्रेड पे	डी.ए.	एच.आर.ए.	अन्य भत्ता	[illegible]
1	श्रीमती अलरमेल मंगई डी	संचालक	15600-39100	76200	0	1524		75	7
2	श्री संजय राणे	उप संचालक	37400-67000	30340	6600	48761	3694	75	8
3	श्री आर0 के0 श्रीवास्तव	संयुक्त संचालक	37400-67000	53320	8700	81866	6202	1295	15
4	श्री के0 एल उईके	संयुक्त संचालक	15600-39100	31970	7600	52232	0	75	9
5	श्री डी आर0 वाधवानी	संयुक्त संचालक	15600-39100	53320	8700	81866	6202	75	15
6	श्री के0एन0फुलझेले	उप संचालक	37400-67000	30730	6600	49276	3733	75	9
7	श्री अजय श्रीवास्तव	उप संचालक	37400-67000	32110	7600	52417	3971	75	9
8	श्री प्रवीण कुमार शुक्ना	संयुक्त संचालक	15600-39100	53320	8700	81866	6202	75	15
9	श्रीमति सुषमा ठाकुर	उप संचालक	15600-39100	23700	5400	38412	0	75	6
10	श्री एम0 बी0 सिंह	उप संचालक	15600-39100	25250	6600	42042	3185	75	7
11	श्री डी0 एस0 ध्रुर्वा	उप संचालक	15600-39100	28160	6600	45883	3476	75	8
12	श्री व्ही.पी.दानी	उप संचालक	15600-39100	28130	6600	45844	3473	75	8
13	श्री सी0 के0 शुक्ला	अपर संचालक	15600-39100	53320	8700	81866	6202	75	15
14	श्री ए0 एच0 यजदानी	उप संचालक	15600-39100	32870	7600	53420	4047	75	9
15	श्री बी.के.शर्मा	उप संचालक	15600-39100	32110	7600	52417	3971	75	9

16	श्री सिमोन एक्का	संयुक्त संचालक	15600-39100	31970	7600	52232	0	75	9
17	श्री आर0के0शर्मा	संयुक्त संचालक	15600-39100	40510	7600	63505	0	75	1
18	श्री एस0के0सूर्यवंशी	उप संचालक	15600-39100	30300	6600	48708	3690	75	8
19	श्री आर0के0 पाल	सहायक संचालक	9300-34800	28060	6600	45751	3466	75	8
20	श्रीमति मधुबाला सिंह	सहायक संचालक	15600-39100	20670	5400	34412	2607	75	6
21	श्री अजय कुमार आदित्य	सहा.लेखा अधि.	9300-34800	13080	4300	22942	1589	75	4
22	श्री बी0एल0पटले	ाीघ्रलेखक वर्ग-1	9300-34800	24280	4800	38386	2908	325	7
23	श्रीमति मुक्तिलता	सहायक संचालक	15600-39100	17870	4400	29396	0	375	5
24	श्री के.के.श्रीवास्तव	सहायक प्रबंधक	15600-39100	17740	4400	29225	2214	175	5
25	श्री जे0 पी0 तिवारी	सहायक प्रबंधक	9300-34800	15300	4300	25872	0	375	4
26	श्री के0एस0गोरे	निज सहायक	9300-34800	15700	4300	26400	2000	375	4
27	श्री एस0के0चैधरी	सहायक संचालक	9300-34800	22710	5400	37105	2811	75	6
28	श्री ए0के0जैन	सहायक संचालक	9300-34800	23120	5400	37646	2852	75	6
29	श्री डी0 पी0 आगरे	निज सहायक	9300-34800	25690	4400	39719	0	325	7
30	श्रीमति रेखा क्षत्रिय	सहायक पबंधक	5200-20200	17220	4300	28406	2152	375	5
31	श्री एस0 एस0 जात्रा	निज सहायक	5200-20200	17220	4300	28406	2152	1165	5
32	श्री काशमीर खलको	ाीघ्रलेखक	9300-34800	16130	4300	26968	0	425	4
33	श्रीमती सरोजा मालवीय	सहायक अधीक्षक	5200-20200	16210	4200	26941	0	625	4
34	श्री बिलास कुमार साखरे	जूनियर आॅडीटर	5200-20200	14190	2800	22427	0	425	3

35	श्री डी. एस.पैकरा	जूनियर आॅडीटर	9300-34800	14190	2800	22427	0	625	4
36	श्री एम.आर.पटेल	सहयक वर्ग 1	5200-20200	14460	2800	22783	1726	625	4
37	श्री चार्लेस एक्का	सहयक वर्ग 1	5200-20200	13850	2800	21978	0	625	3
38	श्री आर.डी.वर्मा	सहयक वर्ग 1	5200-20200	11330	2800	18652	0	475	3
39	श्री चेतन्य भतरिया	सहायक प्रबंधक	5200-20200	11760	2800	19219	1456	375	3
40	श्री प्राचल सॉव	सहायक प्रबंधक	5200-20200	9420	2800	16130	1222	375	2
41	कु. पार्वती ठाकुर	सहायक प्रबंधक	5200-20200	9420	2800	16130	1222	375	2
42	श्री डी.डी.कोसमा	सहयक वर्ग 1	5200-20200	12140	2800	19721	0	625	3
43	श्री एम. डी.. सिंह	सहयक वर्ग 1	5200-20200	11470	2800	18836	0	965	3
44	श्री रामेश्वर हेडाऊ	सहयक वर्ग 1	5200-20200	11500	2800	18876	1430	425	3
45	श्री नीलकुसुम टोप्पो	सहायक प्रबंधक	5200-20200	11760	2800	19219	0	175	3
46	श्री जगत राम धुव	सहायक प्रबंधक	5200-20200	11380	2800	18718	0	175	3
47	श्री रविन्द्र केसरिया	सहायक वर्ग 2	5200-20200	9570	2800	16328	1237	375	3
48	श्री मुकुन्द राम	सहायक वर्ग 2	5200-20200	9730	2400	16012	1213	625	2
49	श्री टीकम लाल	स्टेनोटायपिस्ट	5200-20200	11770	2800	19232	0	875	3
50	श्री शिवराम मसराम	सहायक वर्ग 2	5200-20200	9530	2400	15748	1193	625	2
51	श्रीमती सरोजा झारिया	सहायक प्रबंधक	5200-20200	8370	2800	14744	0	625	2
52	श्रीमती विद्या शर्मा	सहायक वर्ग 3	4750-7440	5680	1900	10006	0	425	1
53	श्री उमेद सिंह कंवर	सहायक वर्ग 3	5200-20200	5680	1900	10006	758	625	1
54	श्री मीनेश कुमार पटेल	सहायक वर्ग 3	15600-39100	6400	1900	10956	0	625	1

55	श्री अशोक कुमार साहू	सहायक वर्ग 3	15600-39100	6400	1900	10956	830	875	2
56	क0 रीना साहू	सहायक वर्ग 3	5200-20200	6400	1900	10956	830	625	2
57	श्री अर्जुन कुमार साहू	सहायक वर्ग 3	5200-20200	6400	1900	10956	0	875	2
58	श्री कुलेश्वर कुमार उइके	सहायक वर्ग 3	5200-20200	6400	1900	10956	830	875	2
59	श्री कन्हैयालाल महोबिया	सहायक वर्ग 3	5200-20200	6400	1900	10956	0	875	2
60	श्री मिलिंद कुमार छेदैया	सहायक वर्ग 3	5200-20200	6400	1900	10956	830	875	2
61	श्री तपेन्द्र सिंह ठाकुर	सहायक वर्ग 3	5200-20200	6400	1900	10956	830	875	2
62	श्री सागर राम	सहायक वर्ग 3	5200-20200	6400	1900	10956	0	875	2
63	कु0 चमेली जांगड़े	सहायक वर्ग 3	5200-20200	6400	1900	10956	0	875	2
64	श्रीमती शवाना शम्स रिजवी	सहायक वर्ग 3	4750-7440	5680	1900	10006	758	175	1
65	श्री भागवत मंडावी	भृत्य	4750-7440	8870	1400	13556	400	450	2
66	श्री जगदीश	भृत्य	4750-7440	9560	1800	14995	1136	250	2
67	श्री कमल	भृत्य	4750-7440	9560	1800	14995	1136	450	2
68	श्री कृपाल सिंह पैकरा	भृत्य/चैकीदार	4750-7440	5330	1300	8752	0	450	1
69	श्री चन्द्रकात	भृत्य/चैकीदार	4750-7440	5330	1300	8752	0	450	1
70	श्रीमति पुष्पांजलि शुक्ला	भृत्य/चैकीदार	4750-7440	5330	1300	8752	0	450	1
71	श्री धीरेन्द्र राजपूत	भृत्य/चैकीदार	4750-7440	5330	1300	8752	0	450	1
72	श्री को◌ैशल कुमार	भृत्य/चैकीदार	4750-7440	5330	1300	8752	663	450	1
73	श्री गेश्वर राम सिन्हा	भृत्य/चैकीदार	4750-7440	5330	1300	8752	0	450	1
74	श्री ऋषभदेव यादव	भृत्य/चैकीदार	4750-7440	5330	1300	8752	0	450	1
75	कु0 सुनयना खलखो	भृत्य/चैकीदार	4750-7440	5330	1300	8752	0	450	1

76	श्री हरिप्रसाद मनहर	भृत्य/चैकीदार	4750-7440	5330	1300	8752	0	450	1
77	श्री अरूण सिदार	भृत्य/चैकीदार	4750-7440	5330	1300	8752	663	450	1
78	श्री मनिन्दर सिंह	वाहन चालक	5200-20200	5680	1900	10006	531	475	1
79	श्री शाशि कान्त	वाहन चालक	5200-20200	6400	1900	10956	830	650	2
80	श्री रो◌ेशन मिका	वाहन चालक	5200-20200	6400	1900	10956	830	650	2
81	श्री प्रमोद कुमार चैहान	वाहन चालक	5200-20200	6400	1900	10956	0	650	1
82	श्री मो0 शेख सजर	वाहन चालक	5200-20200	6400	1900	10956	830	650	2
83	श्री खेलन दास बंजारे	वाहन चालक	5200-20200	6400	1900	10956	830	650	2
84	श्री संतोष देवांगन	वाहन चालक	5200-20200	6400	1900	10956	830	650	2
85	श्री दिलीप ऐ◌ेक्का	वाहन चालक	5200-20200	6400	1900	10956	0	650	1
86	श्री संदीप खेस	वाहन चालक	5200-20200	6400	1900	10956	0	650	1

अध्याय - 12 (मैनुअल- 11)
प्रत्येक्र अभिकरण को आबंटित बजट
(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

Chapter 12 (Manual-11)

The Budget Allocated to each Agency

(Particularsa s of all plans,s, proposed expendituress ndaa reports s on disbursement made)

Xi. विभिन्न एजसियों को दिये गये बजट, खर्च करने की प्रक्रिया व उस पर प्रतिवेदने करने की प्रक्रिया

उद्योग संचालनालय को वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, से विभिन्न योजनाओं में बजट आवंटन प्राप्त होता है। संचालनालय को आवंटन चार मुख्य शीर्षो यथा 2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 4851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय, 6851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिए उधार, में प्राप्त होता है। इन शीर्षो में आवंटन आयोजना एवं आयोजनेत्तर मद से संबंधित योजनाओं के संचालन में लिए प्राप्त होता है।

आयोजना - आयोजना मद में उद्योग संचालनालय को वर्ष 2017-18 में 43योजनाओं के संचालन के लिए रूपये 295.15 करोड़ का बजटीय प्रावधान प्राप्त हुआ है । इन योजनाओं में तीन योजनाएं छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी से संबंधित है तथा शेष सभी उद्योग संचालनालय से संबंधित है। आयोजना मद की योजनाओं से मुख्यतः अधोसंरचना विकास संबंधी कार्य, विभिन्न उद्योगों को अनुदान तथा उद्योगों के संर्वधन संबंधी कार्य संचालन हेतु राशियों का प्रदाय किया जाता है।

आयोजनेत्तर - आयोजनेत्तर मद में उद्योग संचालनालय को वर्ष 2017-18 में चारयोजनाओं के अन्तर्गत रूपये 40.48 करोड़ का बजटीय प्रावधान रखा गया है । आयोजनेत्तर मद की योजनाओं से उद्योग संचालनालय एवं 27 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में पदस्थ अमले को वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया जाता है।

एजसियों को दिये गये बजट एवं खर्च करने की प्रक्रिया -

उद्योग संचालनालय 27 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों एवं एक विभागीय निगम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के माध्यम से राज्य में अधोसंरचना विकास, विभिन्न अनुदान योजनाओं तथा अन्य संवर्धन योजनाओं का क्रयान्वयन करता है। इन सभी को बजट आवंटन विभिन्न योजनाओं में उनकी मांग के अनुसार किया जाता है।

अधोसंरचना विकास संबंधी योजनाएं औद्योगिक क्षेत्रों से सबंधित होती हैं। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का संचालन तथा संधारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में संधारण एवं नवीन विकास की आवश्यकता एवं संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्राक्कलन छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर द्वारा तैयार किये जाते हैं। इन प्राक्कलनों के साथ योजनावार मांग उद्योग संचालनालय को छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर अथवा संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त होती है। मांग पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण किया जाता है तथा परीक्षणोंपरान्त संबंधित कार्य के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी करने के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाते हैं। प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी करने के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाते हैं। प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के उपरान्त बजट में योजनानुसार उपलब्ध राशि आहरित कर छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर को कार्य पूर्ण कराने हेतु दी जाती है।

अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में स्थापित विभिन्न उद्योग संबंधित अनुदान योजना के अन्तर्गत अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत हो जाने के उपरान्त संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनुदान योजना अनुसार राशि की मांग संबंधित इकाई के प्रकरण में स्वीकृति का विवरण देते हुए उद्योग संचालनालय से करता है। उद्योग संचालनालय में मांग पत्र प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित योजना में बजट की उपलब्धता के अनुसार राशि का आबंटन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को किया जाता है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बजट प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित अनुदान योजना में वितरण के पूर्व की औपचारिक्ताएं पूर्ण कराकर कोषालयों के माध्यम से राशि का आहरण कर संबंधित उद्योग को प्रदान करते हैं ।

अन्य संवर्धन योजनाओं के संबंध में उद्योग संचालनालय द्वारा राशि का आवंटन संबंधित योजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को उनसे प्राप्त मांग पत्र के आधार पर किया जाता है । राशि प्राप्त होने के उपरांत संबंधित एजेंसी अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र योजना का कार्य निष्पादित करते हैं ।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर से संबंधित तीन याजनाओं में योजनानुसार मांग प्राप्त होने के उपरान्त उद्योग संचालनालय राशियों के आहरण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए कार्यवाही करता है । प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुसार राशि छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर को प्रदान कर दी जाती है ।

वर्ष 2017-18 में उद्योग संचालनालय से विभिन्न योजनाओं में आवंटित बजट का विवरण तथा विभिन्न एजेंसियों को प्रदत्त बजट का विवरण नीचे संलग्न है ।

प्रतिवेदन करने की प्रक्रिया -

उद्योग संचालनालय को 27 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्रत्येक माह आय-व्यय पत्रक प्राप्त होता है, जिसमें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उन्हें प्राप्त राशियों में योजनावार व्यय की स्थिति दर्शाते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर को विभिन्न कार्यों हेतु राशियों का प्रदाय मुख्यतः उद्योग संचालनालय द्वारा किया जाता है। 27 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त आय-व्यय पत्रकों तथा उद्योग संचालनालय के व्यय पत्रक को संकलित कर माहवार योजनानुसार व्यय की स्थिति का पत्रक बनाया जाता है तथा इस प्रत्येक माह वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा संधारित एफ.एम.आई.एस. में अपलोड किया जाता है । वित्तीय वर्ष के अन्त में योजनानुसार समर्पण प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाता है जिसमें योजनानुसार आवंटन तथा व्यय की स्थिति अंकित की जाती है।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर को प्रदत्त राशियों में व्यय की स्थिति इस निगम द्वारा कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त अथवा संबंधित योजना में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर मांग पत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी कर उद्योग संचालनालय को सूचित की जाती है।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर को प्रदत्त राशियों में व्यय की स्थिति इस सोसायटी द्वारा कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त अथवा संबंधित योजना में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर मांग पत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी कर उद्योग संचालनालय को सूचित की जाती है ।

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/09/योजना बजट/2017/421 रायपुर, दिनांक 20.04.2017

-ः आंबटन आदेशः-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक **1**/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04-2017 प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-11 व 41 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2851 ,2852 एवं 4851 (आयोजना) में वर्ष 2017-18 के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उद्योग संचालनालय रायपुर को निम्नानुसार राशि रूपये 39,33,41,000/-**(रूपयेउनचालीस करोड़ तैंतीस लाख इकतालीस हजार मात्र**) का निम्नानुसार योजनाओं में आबंटन किया जाता है।

(राशि रू. लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2017-18	प्रथम छःमास हेतु आबंटित राशि
1	2	3	4	5
	आयोजना मांग संख्या-11			
	2852-उद्योग			
1	5452	निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना(SIPB)	25.00	10.00
2	4197	शासकीय कर्मचारियों / अशासकीय व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम	7.00	7.00
3	5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (IIDC)	1389.52	554.41
4	8237	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए अनुदान (IITF)	150.00	60.00
5	9283	प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां तथा प्रचार (2000.00=1950.00+50.00)	1950.00	780.00
		योगः-	**3521.52**	**1411.41**
		4851-दो पूंजी अनुभाग		
6	5586	निर्यात अधोसंरचना विकास के लिए सहायता (ASIDE)	1.00	0.00
7	5614	उद्योग भवन का निर्माण	10.00	4.00
8	6742	औद्योगिक पार्को के लिये अनुदान	1700.00	500.00
9	6888	छत्तीसगढ़ ब्यापार केेन्द्र की स्थापना	1.00	0.00
10	7480	जिला उद्योग कार्यालय भवन की स्थापना	295.00	118.00

11	8983	औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना उन्नयन कार्य	4181.20	1100.00
12	9219	भू-अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान		
	#15	डिक्रीधन का भुगतान	5.00	0.00
	#31	क्षतिपूर्ति भुगतान अधिग्रहित भूमि मुआवजा	910.00	300.00
13	9220	सर्वे तथा डिमार्केशन	5.00	0.00
		योग:-	**7108.20**	**2022.00**
		मांग संख्या -11 महायोग	**10629.72**	**3433.41**
		मांग संख्या-41		
14	5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (IIDC)	1967.18	500.00
15	6932	अपारेल ट्रेनिंग डिजाईन सेंटर (ATDC) की स्थापना	20.00	0.00
		योग मांग संख्या-41	**1987.18**	**500.00**
		महायोग मांग संख्या-11, 41	**12616.90**	**3933.41**

संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित

सही/-

उप संचालक (वित्त)

क्रमांक 09/योजना बजट /2017/8733-40 रायपुर, दिनांक 20.04.2017

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर ।

4- प्रबन्ध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

5- आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उद्योग संचालनालय, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। शासन द्वारा जारी प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही आहरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

6- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर ।

7- उप संचालक, (अधो.वि. कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर।

8- श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक (वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़

(योजना बजट कक्ष)

क्रमांक/8/यो.ब./2017/394 रायपुर, दिनांक 17.04.2017

-ः आबंटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरके बजट संसूचना क्रमांक **1/**वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ः-2017 से प्राप्त आवंटन मंे से मांग संख्या-11 मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग (80) सामान्य (001) निर्देशन और प्रशासन 0000- (3370) संचालनालय उद्योग मद के अन्तर्गत वर्ष2017-18 के लिए अपर संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को निम्नानुसार राशि रूपये **10,61,25,000/-** (शब्दों में दस करोड़ इकसठ लाख पचीस हजार मात्र) का आबंटन किया जाता है ।

(राषि हजार रूपयों में)

उद्देष्य शीर्ष	आवंटित राषि
01 वेतन भत्ते आदि	
001 वेतन	39600
003 मंहगाई भत्ता	41066
006-मकान किराया भत्ता	1500
014 अन्य भत्ते	900
015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1000
020 त्यौहार अग्रिम	500
021 घटाईये वापसियां त्यौहार अग्रिम	-500
024 चिकित्सा अग्रिम	800
025 घटाईये वापसियां चिकित्सा अग्रिम	-800
026 नियमित कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना	0
योग उद्देश्य 01	**84066**
02-मजदूरी	
005-दैनिक वेतन भोगी	**1250**
3 यात्रा भत्ता	
001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	500
003 यात्रा भत्ता प्रषिक्षण पर	100
006 अवकाश यात्रा सुविधा	50
योग उद्देश्य 03	**650**

04 कार्यालय व्यय

001 डाक एवं तार व्यय	150
002 दूरभाष व्यय	250
003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	500
005 बिजली एवं जल प्रभार	800
006- वर्दीयंा	60
007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	700
008 अन्य आकस्मिक व्यय	400
009 सूचना प्रौद्योगिकी	11200
011 पेेेट्रोल तेल आदि	1250
012 आतिथ्य पर व्यय	100
013 किराया,महसूल, कर	1500
योग उद्देश्य 04	**16910**
#07-कार्यभारिता/आकस्मिकता स्थापना	
001 वेतन	1034
003 महंगाई भत्ता	1240
006 मकान किराया भत्ता	100
008 नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	50
012 वाहन भत्ता	20
013 यात्रा भत्ता	20
014 अन्य भत्ते	75
015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	200
020 त्यौहार अग्रिम	100
021 घटाईये-वापसियां	-100
024 चिकित्सा अग्रिम	200
025 घटाईये-वापसियां	-200
योग उद्देश्य #07	**2739**
#10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां	
005- प्रायवेट अभिभाषकों को फीस	10
011-सफाई व्यवस्था	500
योग योजना- 3370	**106125**

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

सही/-

उप संचालक(वित्त)

पृ0 क्रमांक/8/यो.ब./2017/8426-32 रायपुर, दिनांक 17.04.2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर ।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, (लेखा कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर । **वे व्यय का मासिक प्रतिवेदन योजना बजट कक्ष को नियमित रूप से तीन तारीख तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें एवं आबंटित राषि से अधिक व्यय न करें ।**
6. उप संचालक, सामान्य कक्ष, उद्योग संचालनालय, की ओर सूचनार्थ ।
7. श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनाल रायपुर की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि करने हेतु।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़

(योजना बजट कक्ष)

क्रमांक/08/यो.ब./2017/393   रायपुर, दिनांक 17.04.2017

-ः आवंटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरके बजट संसूचना क्रमांक **1**/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04-2017 से प्राप्त आवंटन में से मांग संख्या-11 शीर्ष- 2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, 200-अन्य ग्रामोद्योग (0000) 1464-जिला उद्योग केन्द्र मद के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को संलग्न **"परिशिष्ट-एक"** के अनुुसार राशि रूपये **20,87,32,000**/- (शब्दों में बीस करोड़ सत्यासी लाख बत्तीस हजार मात्र) का आबंटन किया जाता है।

संचालक द्वारा अनुमोदित

सही/-

उप संचालक(वित्त)

पृ0 क्रमांक/08/यो.ब./2017/8367-425   रायपुर, दिनांक 17.04.2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर/दुर्ग/ जगदलपुर/रायगढ/रायपुुर/दन्तेवाड़ा/राजनांदगांव/अम्बिकापुर/उत्तरबस्तर कांकेर/जांजगीर-चांपा/धमतरी/कबीरधाम/महासमुन्द/कोरबा/मनेन्द्रगढ/जशपुरनगर/नारायणपुर/बीजापुर/बलौदाबाजार/ गरियाबंद/बालोद/बेमेतरा/ मुंगेली/ बलरामपुर/सूरजपुर/कोण्डागांव/सुकमा ।

शासन द्वारा मितव्ययता के संबंध में जारी निर्देशो का कड़ाई से पालन हो एवं किसी भी दशा में आवंटित राशि से अधिक व्यय न करें । मासिक व्यय पत्रक प्रत्येक माह के 3 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कार्यभारित/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन #07-

कार्यभारित/आकस्मिकता मद से ही आहरित किया जाना सुनिश्चित करें।

5. कोषालय, अधिकारी, जिला कोषालय बिलासपुर/दुर्ग/ जगदलपुर/रायगढ़/रायपुुर /दन्तेवाड़ा/राजनांदगांव/अम्बिकापुर/कांकेर/जांजगीर-चांपा/धमतरी/कबीरधाम/महासमुन्द/कोरबा/मनेन्द्रगढ़/जशपुरनगर/नारायणपुर/बीजापुर/बलौदाबाजार / गरियाबंद/बालोद/बेमेतरा/मुंगेली/बलरामपुर/सूरजपुर/कोण्डागांव/सुकमा।

6. उप संचालक, सामान्य कक्ष, उद्योग संचालनालय रायपुर।

7. श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय रायपुर की ओर मेन सर्वर में आवंटन की आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

परिशिष्ट-1

वर्ष 2017-18 (01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक) के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को मांग संख्या-11 शीर्ष-2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (200) अन्य ग्रामोद्योग-0000-1464-जिला उद्योग केन्द्र में बजट आवंटन का वितरणः-

राशि रू हजार में

	रायपुर	दुर्ग	राजनांदगांव	जगदलपुर	बिलासपुर	सरगुजा	रायगढ़	दन्तेवाड़ा	धमतरी	जांजगीरचांपा	जशपुरनगर	कांकेर	कवर्धा
उद्देश्य शीर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 वेतन भत्ते आदि													
001 वेतन	5800	5200	4200	3100	6200	3400	4000	2400	2900	3000	3400	2500	2000
003 मंहगाई भत्ता	7656	6864	5544	4092	8184	4488	5280	3168	3828	3960	4488	3300	2640
006 मकान किराया भत्ता	450	550	300	110	455	300	300	140	140	300	170	180	120
014 अन्य भत्ते	125	115	100	135	100	100	75	110	55	50	75	150	20
015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	10	10	10	10	10	10	15	10	10	10	10	10	10
020 त्यौहार अग्रिम	38	38	38	38	38	38	38	20	24	24	24	24	24
021 घटाईये-वापसियां	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-20	-24	-24	-24	-24	-24
022 अनाज अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023 घटाईये-वापसियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024 चिकित्सा अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025 घटाईये-वापसियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
026 नियमित कार्यभारित/आ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

कस्मिकता स्थापना													
योग उद्देश्य 01	**14041**	**12739**	**10154**	**7447**	**14949**	**8298**	**9670**	**5828**	**6933**	**7320**	**8143**	**6140**	**4790**
02-मजदूरी													
005-दैनिक वेतन भोगी	**100**	**0**	**100**	**0**	**60**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**80**
03 यात्रा भत्ता													
001यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	30	30	35	35	35	35	30	20	30	30	30	30	30
003 यात्रा भत्ता प्रशिक्षण पर	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
006 अवकाश यात्रा सुविधा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
योग उद्देश्य 03	**32**	**35**	**40**	**40**	**40**	**40**	**35**	**25**	**35**	**35**	**36**	**36**	**36**
04- कार्यालय व्यय													
001 डाक तार पर व्यय	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
002 दूरभाष पर व्यय	35	35	35	35	35	35	35	20	20	22	23	20	20
003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	25	25	40	25	25	25	12	12	12	12	12	12	12
004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	10	10	10	10	10	10	10	7	10	10	10	8	7
005 बिजली एवं जल प्रभार	60	55	50	45	70	40	50	30	30	30	25	25	35
006 वर्दियां	10	10	10	10	15	10	10	10	10	10	10	10	10
007 लेखन सामग्री एवं	50	50	45	40	45	45	45	20	20	30	30	30	30

फार्मों की छपाई													
008 अन्य आकस्मिक व्यय	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
009 सूचना प्रौद्योगिकी	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8
011 पेट्रोल तेल आदि	80	80	80	80	80	70	70	60	0	50	60	6	60
013 किराया, महसूल, कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग उद्देश्य 04	**315**	**310**	**315**	**285**	**320**	**275**	**272**	**197**	**140**	**202**	**208**	**149**	**212**
#07- कार्यभारिता/ आकस्मिकता स्थापना													
001 वेतन	150	150	0	180	150	150	150	240	150	150	150	150	150
003 महंगाई भत्ता	180	180	0	190	180	180	180	260	180	180	180	180	180
006 मकान किराया भत्ता	15	15	0	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10
008 नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
012 वाहन भत्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 यात्रा भत्ता	2	2	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2
014 अन्य भत्ते	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	2	2	0	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
018 भविष्य निधि अंशदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 पेंशन अंशदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

020 त्यौहार अग्रिम	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4
021 घटाईये-वापसियां	-8	-8	0	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-4	-4
024 चिकित्सा अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025 घटाईये-वापसियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग उद्देश्य #07	**360**	**360**	**0**	**400**	**361**	**361**	**361**	**525**	**356**	**356**	**356**	**355**	**355**
24-अनुरक्षण कार्य 012-अन्य अनुरक्षण कार्य	25	25	25	20	20	20	25	15	20	20	20	15	15
महायोग	**14873**	**13469**	**10634**	**8192**	**15750**	**9094**	**10463**	**6590**	**7584**	**8033**	**8863**	**6795**	**5488**

	कोरबा	कोरिया	महा समुन्द	नारायणपुर	बीजापुर	बलौदा बाजार	गरियाबंद	बालोद	बेमेतरा	मुंगेली
उद्देश्य शीर्ष	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01 वेतन भत्ते आदि										
001 वेतन	3000	2200	3500	2400	2200	2000	2400	2000	2000	2500
003 मंहगाई भत्ता	3960	2904	4620	3168	2904	2640	3168	2640	2640	3300
006 मकान किराया भत्ता	180	160	150	100	115	140	150	130	140	170
014 अन्य भत्ते	75	75	50	100	60	40	50	30	30	40
015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10
020 त्यौहार अग्रिम	24	24	20	16	16	16	16	16	16	16
021 घटाईये-वापसियां	-24	-24	-20	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
022 अनाज अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023 घटाईये-वापसियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024 चिकित्सा अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025 घटाईये-वापसियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
026 नियमित कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

योग उद्देश्य 01	**7225**	**5349**	**8350**	**5778**	**5289**	**4830**	**5778**	**4810**	**4820**	**6020**
02-मजदूरी										
005-दैनिक वेतन भोगी	**30**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03 यात्रा भत्ता										
001यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	35	35	35	30	30	15	20	25	20	35
003 यात्रा भत्ता प्रशिक्षण पर	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2
006 अवकाश यात्रा सुविधा	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0
योग उद्देश्य 03	**41**	**41**	**40**	**35**	**40**	**17**	**22**	**27**	**22**	**37**
04- कार्यालय व्यय										
001 डाक तार पर व्यय	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10
002 दूरभाष पर व्यय	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	12	12	13	12	12	20	20	20	20	20
004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	10	7	7	7	7	10	10	10	10	10
005 बिजली एवं जल प्रभार	30	20	30	25	25	20	20	20	20	20
006 वर्दियां	10	10	10	5	5	10	10	10	10	10
007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	30	30	30	25	35	30	30	30	30	30
008 अन्य आकस्मिक व्यय	15	15	15	10	10	10	15	15	15	15
009 सूचना प्रौद्योगिकी	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
011 पेट्रोल तेल आदि	60	60	60	0	0	60	0	0	0	0
013 किराया, महसूल, कर	0	140	0	0	0	0	130	140	0	0
योग उद्देश्य 04	**210**	**337**	**208**	**122**	**132**	**198**	**273**	**283**	**143**	**143**
#07-कार्यभारिता/आकस्मिकता स्थापना										
001 वेतन	200	0	150	150	0	0	0	0	0	150
003 महंगाई भत्ता	220	0	180	180	0	0	0	0	0	180
006 मकान किराया भत्ता	10	0	10	10	0	0	0	0	0	10
008 नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

012 वाहन भत्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 यात्रा भत्ता	2	0	3	3	0	0	0	0	0	3
014 अन्य भत्ते	10	0	10	10	0	0	0	0	0	10
015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	3	0	3	3	0	0	0	0	0	3
018 भविष्य निधि अंशदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 पेंशन अंशदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 त्यौहार अग्रिम	8	0	4	4	0	0	0	0	0	4
021 घटाईये-वापसियां	-8	0	-4	-4	0	0	0	0	0	-4
024 चिकित्सा अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025 घटाईये-वापसियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग उद्देश्य #07	**446**	**0**	**356**	**356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356**
24-अनुरक्षण कार्य 012-अन्य अनुरक्षण कार्य	15	15	20	15	15	15	20	20	20	15
महायोग	**7967**	**5742**	**8974**	**6306**	**5576**	**5060**	**6093**	**5140**	**5005**	**6571**

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/11/योजना बजट/2017/383 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-: आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक **1**/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-11 मुख्य शीर्ष**-**2852**-**उद्योग (80) सामान्य 102-औद्योगिक उत्पादकता 0101- राज्य आयोजना (सामान्य) (8928) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना #13-आर्थिक सहायता 001- प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 150.00 लाख में से निम्नांकित मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये 1,50,00,000 /-**(रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	**जिलो के नाम**	**प्रथम छः मास हेतु आबंटित राशि**
1.	2.	3.
1	रायपुर	16,00,000
2	दुर्ग	12,25,000
3	बिलासपुर	16,00,000
4	सरगुजा	4,30,000

5	रायगढ़	16,25,000
6	जगदलपुर	5,00,000
7	राजनांदगांव	9,70,000
8	कोरबा	4,30,000
9	जांजगीर-चांपा	6,00,000
10	धमतरी	10,00,000
11	महासमुंद	9,75,000
12	कबीरधाम	7,75,000
13	कोरिया	2,80,000
14	कांकेर	3,75,000
15	गरियाबंद	4,75,000
16	बलौदाबाजार	4,40,000
17	बेमेतरा	2,80,000
18	बालोद	4,40,000
19	मुंगेली	7,00,000
20	सूरजपुर	2,80,000
	योगः-	**1,50,00,000**

संचालक द्वारा अनुमोदित

सही/-

उप संचालक(वित्त)

क्रमांक 11/योजना बजट /2017/8044-88 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।

4- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा/रायगढ़/जगदलपुर/राजनांदगांव/कोरबा/जांजगीर-चांपा/धमतरी/महासमुंद/कबीरधाम/कोरिया/कांकेर/गरियाबंद/बलौदाबाजार/बेमेतरा/बालोद/मुंगेली/ सूरजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

5- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा/ रायगढ़/ जगदलपुर/राजनांदगांव/कोरबा/जांजगीर-चांपा/धमतरी/महासमुंद/कबीरधाम/ कोरिया/कांकेर/गरियाबंद/बलौदाबाजार/बेमेतरा/बालोद/मुंगेली/सूरजपुर।

6- उप संचालक, मु.मं.यु.स्व.यो. कक्ष उद्योग संचालनालय, रायपुर।

7- श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/12/योजना बजट/2017/389 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक **1**/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ा-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-41 मुख्य शीर्ष**-**2852**-**उद्योग (80) सामान्य 102-औद्योगिक उत्पादकता 0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना (8928) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना #13-आर्थिक सहायता 001- प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 114.00 लाख में से निम्नांकित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये 1,14,00,000 /-**(रूपये एक करोड़ चैदह लाख मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	**जिलो के नाम**	**प्रथम छःमास हेतु आबंटित राशि**
1.	2.	3.
1	सरगुजा	10,00,000
2	जगदलपुर	8,00,000
3	राजनांदगांव	2,00,000
4	कोरबा	10,00,000
5	जशपुर	13,00,000
6	धमतरी	3,00,000
7	कबीरधाम	2,00,000
8	कोरिया	5,00,000
9	कांकेर	6,00,000
10	दंतेवाड़ा	7,80,000
11	बीजापुर	6,50,000
12	नारायणपुर	6,50,000
13	गरियाबंद	5,00,000
14	बालोद	3,40,000
15	कोण्डागांव	7,80,000
16	सुकमा	6,50,000
17	बलरामपुर	6,50,000
18	सूरजपुर	5,00,000
	योगः-	**1,14,00,000**

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u> **सही/-**

उप संचालक(वित्त)

क्रमांक 12/योजना बजट /2017/8243-83 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।

4- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सरगुजा/ जगदलपुर/राजनांदगांव/कोरबा/जशपुर/धमतरी/कबीरधाम/कोरिया/कांकेर/ दंतेवाड़ा/बीजापुर/नारायणपुर/गरियाबंद/बालोद/कोण्डागंाव/सुकमा/बलरामपुर/सूरजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

5- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, सरगुजा/ जगदलपुर/राजनांदगांव/कोरबा/ जशपुर/धमतरी/कबीरधाम/कोरिया/कांकेर/दंतेवाड़ा/बीजापुर/नारायणपुर/ गरियाबंद/बालोद/कोण्डागंाव/सुकमा/बलरामपुर/सूरजपुर।

6- उप संचालक, मु.मं.यु.स्व.यो. कक्ष उद्योग संचालनालय, रायपुर।

7- श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/13/योजना बजट/2017/391 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक **1**/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ः-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-64 मुख्य शीर्ष**-**2852**-**उद्योग (80) सामान्य 102-औद्योगिक उत्पादकता 0103- अनुसूचित जाति उपयोजना (8928) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना #13-आर्थिक सहायता 001- प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 36.00 लाख में से निम्नांकित मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये 36,00,000 /-**(रूपये छत्तीस लाख मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	**जिलो के नाम**	**प्रथम छःमास हेतु 40% आबंटित राशि**
1.	2.	3.
1	रायपुर	4,00,000
2	दुर्ग	4,00,000
3	बिलासपुर	4,00,000
4	जांजगीर-चंापा	7,00,000
5	बलौदाबाजार	6,00,000
6	बेमेतरा	5,00,000
7	मुंगेली	6,00,000
	योगः-	**36,00,000**

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u> **सही/-**

उप संचालक(वित्त)

क्रमांक 13/योजना बजट /2017/8284-32 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

प्रतिलिपिः-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।

4- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जांजगीर-चंापा/बलौदाबाजार/बेमेतरा/मुंगेली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

5- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जांजगीर-चंापा /बलौदाबाजार/बेमेतरा/मुंगेली ।

6- उप संचालक, मु.मं.यु.स्व.यो. कक्ष उद्योग संचालनालय, रायपुर।

7- श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/14/योजना बजट/2017/380 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आंबटन आदेशः-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-11 मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग (80)-सामान्य 102-औद्योगक उत्पादकता 0101- राज्य आयोजना (सामान्य) (9068) औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान #13-आर्थिक सहायता 001-प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 8000.00 लाख में से निम्नांकित मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये 41,74,26,642/- **(रूपयेइकतालीस करोड़ चैहत्तर लाख छब्बीस हजार छः सौ ब्यालीस मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	जिले का नाम	आबंटित राशि	प्रथम त्रैमास व्यय की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत	द्वितीय त्रैमास व्यय की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत
1	बलौदाबाजार	2,21,14,258	1,38,21,411	82,92,847
2	रायपुर	8,89,13,024	5,55,70,640	3,33,42,384
3	बेमेतरा	1,51,49,983	94,68,739	56,81,244
4	राजनांदगांव	5,44,17,295	3,40,10,809	2,04,06,486
5	कबीरधाम	1,32,56,185	82,85,116	49,71,069
6	रायगढ	33,58,612	20,99,133	12,59,480
7	धमतरी	6,18,64,443	3,86,65,277	2,31,99,166
8	जांजगीर-चांपा	46,91,848	29,32,405	17,59,443
9	दुर्ग	11,51,40,745	7,19,62,966	4,31,77,779
10	बिलासपुर	3,85,20,249	2,40,75,156	1,44,45,093
	योगः-	41,74,26,642	26,08,91,651	15,65,34,991

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u> **सही/-**

उप संचालक(वित्त)

क्रमांक /14/योजना बजट /2017/8000-23 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर ।

4- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलौदाबाजार/रायपुर /बेमेतरा/राजनांदगांव/कबीरधाम/रायगढ़/धमतरी/जांजगीर-चंापा/दुर्ग/ बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

5- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, बलौदाबाजार/रायपुर /बेमेतरा/राजनांदगांव/कबीरधाम/रायगढ़/धमतरी/जांजगीर-चंापा/दुर्ग/बिलासपुर ।

6- उप संचालक, (वि. सहा. ला.पू.अनु.कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर।

7- श्री रविन्द्र केसरिया, सहा0 प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/15/योजना बजट/2017/378 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आंबटन आदेशः-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ृ-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना मुख्य शीर्ष**-** 2852**-** उद्योग (80)-सामान्य (102) औद्योगिक उत्पादकता 0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना (9068) औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान #13-आर्थिक सहायता 001-प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना) के अन्तर्गत प्राप्त राशि को वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 1200.00 लाख में से निम्नांकित मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये**5,37,87,569/-(रूपयेपांच करोड़ सैंतीस लाख सत्यासी हजार पांच सौ उनहत्तर मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	जिले का नाम	आबंटित राशि	प्रथम त्रैमास व्यय की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत	द्वितीय त्रैमास व्यय की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत
1	जशपुर	1,31,35,000	82,09,375	49,25,625
2	बिलासपुर	92,89,676	58,06,048	34,83,629
3	बलरामपुर	54,91,802	34,32,376	20,59,426
4	सरगुजा	2,05,36,091	1,28,35,057	77,01,034
5	सूरजपुर	53,35,000	33,34,375	20,00,625
	योगः-	5,37,87,569	3,36,17,231	2,01,70,338

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u> **सही/-**

उप संचालक(वित्त)

-

क्रमांक/15/योजना बजट /2017/7970-85 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

<u>प्रतिलिपि</u>ः-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर ।

4- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

5- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जशपुर/बिलासपुर/ बलरामपुर/सरगुजा/सूरजपुर हेतु।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

6- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जशपुर/बिलासपुर/ बलरामपुर/सरगुजा/ सूरजपुर ।

7- उप संचालक, (वि. सहा. ला.पू.अनु.कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर।

8- श्री रविन्द्र केसरिया, सहा0 प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/16/योजना बजट/2017/379 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ा-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-64 अनुसूचित जाति उपयोजना मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग 80-सामान्य (102) औद्योगिक उत्पादकता 0103-अनुसूचित जाति उप योजना (9068)-औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान #13-आर्थिक सहायता 001-प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 300.00 लाख में से निम्नांकित मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्ोर को राशि रूपये 3,00,00,000/- **(रूपयेतीन करोड़ मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	**जिले का नाम**	**प्रस्तावित आबंटन राशि (रू. में)**	**प्रथम त्रैमास व्यय की अधिकतम सीमा 25 प्रति.**	**द्वितीय त्रैमास व्यय की अधिकतम सीमा 15 प्रति.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**रायपुर**	45,35,404	28,34,628	17,00,777
2	**जांजगीर-चांपा**	1,43,38,071	89,61,294	53,76,777
3	**मुंगेली**	1,11,26,525	69,54,078	41,72,447
4	**बिलासपुर**	-	-	-
	योग:-	3,00,00,000	1,87,50,000	1,12,50,000

संचालक द्वारा अनुमोदित

सही/-

उप संचालक (वित्त)

क्रमांक 16/योजना बजट/2017/7986-99 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर ।

4- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

5- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर/जांजगीर चांपा/मुंगेली/बिलासपुर की ओर आवष्यक कार्यवाही हेतु ।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा।

6- कोषालय अधिकारी, जिला रायपुर/जांजगीर चांपा/मुंगेली/बिलासपुर।

7- उप संचालक, (ला.पूं.अनु. कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर ।

8- श्री रविद्र केसरिया, सहा0 प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक (वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/17/योजना बजट/2017/388 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-11, मुख्य शीर्ष**-**2851**-**ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (102) लघु उद्योग 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (6857) उद्योगो को ब्याज अनुदान #13-आर्थिक सहायता 001-प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 3000.00 लाख का 40 प्रतिशत राशि निम्नांकित मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये**12,00,00,000/-(रूपये बारह करोड़ मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	**जिले का नाम**	**प्रथम छःमास हेतु 40ः आबंटित राशि**
1	**रायपुर**	3,64,06,000
2	**दुर्ग**	1,75,28,000
3	**बिलासपुर**	56,67,000
4	**रायगढ़**	28,61,000
5	**राजनांदगांव**	1,08,99,000
6	**महासमुन्द**	72,66,000
7	**धमतरी**	1,41,24,000
8	**बलौदाबाजार**	1,12,62,000
9	**जांजगीर**	30,52,000
10	**कबीरधाम**	23,25,000
11	**गरियाबंद**	34,88,000
12	**बालोद**	18,16,000
13	**बेमेतरा**	32,70,000
14	**मुंगेली**	36,000
	योग	12,00,00,000

संचालक द्वारा अनुमोदित

सही/-

उप संचालक (वित्त)

क्रमांक/17/योजना बजट /2017/8210-42 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।

4- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/रायगढ़/राजनांदगांव/महासमुंद्/धमतरी/जांजगीर-चांपा/ कबीरधाम / गरियाबंद/बालोद/बलौदाबाजार/बेमेतरा/मुंगेली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

5- कोषालय अधिकारी, जिला रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/रायगढ़/बालोद/राजनांदगांव /महासमुंद/धमतरी/जांजगीर-चांपा/कबीरधाम/गरियाबंद/बलौदाबाजार/बेमेतरा/मुंगेली।

6- उप संचालक, (ब्याज अनुदान कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर ।

7- श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवष्यक प्रविष्टि हेतु ।

उप संचालक (वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/18/योजना बजट/2017/386 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आंबटन आदेशः-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मुख्य शीर्ष-2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (102)-लघु उद्योग 0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना (6857) उद्योगों को व्याज अनुदान #13-आर्थिक सहायता 001- प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 800.00 लाख का 40 प्रतिशत राशि निम्नांकित मुख्य महाप्रबन्धक /महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये 3,15,27,000 /- **(रूपयेतीन करोड़ पन्द्रह लाख सताइस हजार मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	**जिले का नाम**	**प्रथम छःमास हेतु 40% आबंटित राशि**
1	2	**6**
1	बिलासपुर	21,00,000
2	रायगढ़	8,10,000
3	धमतरी	4,12,000
4	कोरबा	16,00,000
5	बस्तर	15,00,000
6	कांकेर	19,00,000
7	दंतेवाड़ा	1,50,000
8	सरगुजा	80,00,000
9	कोरिया	30,00,000
10	जशपुर	40,05,000
11	बीजापुर	50,000
12	गरियाबंद	15,00,000
13	सूरजपुर	40,00,000
14	बलरामपुर	10,00,000
15	बालोद	7,00,000

16	कोण्डागांव	8,00,000
योग		**3,15,27,000**

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u> **सही/-**

उप संचालक (वित्त)

-2-

क्रमांक /18/योजना बजट /2017/8154-91 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

<u>प्रतिलिपि</u>:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर ।

4- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

5- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर/ रायगढ़/धमतरी/जगदलपुर/कांकेर/दंतेवाड़ा/सरगुजा/कोरिया/जशपुरनगर/ बीजापुर/गरियाबंद/बलरामपुर/बालोद/सूरजपुर/कोण्डागांव/कोरबा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

इस राषि का वितरण केवल अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को ही किया जाना है। उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

6- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, बिलासपुर/ रायगढ़/धमतरी/जगदलपुर/कांकेर /दंतेवाड़ा/सरगुजा/कोरिया/जशपुरनगर/बीजापुर/गरियाबंद/बलरामपुर/बालोद/सूरजपुर/कोण्डागांव/कोरबा।

7- उप संचालक, (ब्याज अनुदान .कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर।

8- श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक (वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/19/योजना बजट/2017/387 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-64 अनुसूचित जाति उपयोजना मुख्य शीर्ष**-**2851**-** ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (102) लघु उद्योग 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना (6857) उद्योगांे को ब्याज अनुदान #13-आर्थिक सहायता 001- प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 200.00 लाख का 40 प्रतिशत राशि निम्नांकित मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये **80,00,000/- (रूपये अस्सी लाख मात्र)** का आवंटन किया जाता है।

क्र.	**जिलो के नाम**	**प्रथम छःमास हेतु 40% आबंटित राशि**
1	रायपुर	25,60,000
2	जांजगीर-चांपा	28,16,000
3	बिलासपुर	10,88,000
4	मुंगेली	5,12,000
5	बलौदाबाजार	6,40,000
5	बेमेतरा	3,84,000
	योग	**80,00,000**

संचालक द्वारा अनुमोदित **सही/-**

उप संचालक (वित्त)

क्रमांक /19/योजना बजट/2017/8192-209 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

<u>प्रतिलिपि</u>:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर ।

4- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

5- मुख्य महाप्रबन्धक /महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर/ जांजगीर चांपा/ बिलासपुर/मुंगेली/बलौदाबाजार/बेमेतरा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक <u>5487/अ.जा</u>.<u>वि./वि</u>.स.<u>प्र./25-3/2006</u> दिनांक 12.7.2007 के द्वारा अनुसूचित जाति विकास खण्डों यथा अकलतरा, बालोद, जांजगीर, पामगढ़, मालखरौदा, मसतूरी, मुंगेली, पथरीया, नवागढ़, आरंग, पलारी, बिलाईगढ़ में स्थापित उद्योगों को इस राषि का वितरण किया जावे। उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

6- कोषालय अधिकारी, जिला रायपुर/जांजगीर चांपा/बिलासपुर/मुंगेली/बलौदाबाजार /बेमेतरा।

7- उप संचालक, (ब्याज अनुदान कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर ।

8- श्री रविद्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक (वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/20/योजना बजट/2017/391 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ः-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-11 लेखा शीर्ष 2852-उद्योग, (80)सामान्य, (102) औद्योगिक उत्पादकता, 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (5451)-अंशपूंजी सहायता योजना #14-सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 200.00 लाख का 40 प्रतिशत राशि रू. 80.00 लाख में से महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये 62,50,000/-**(रूपये बैसठ लाख पचास हजार मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	**जिलो के नाम**	**प्रथम छःमास हेतु 40% आबंटित राशि**
1	2	5
1	बालोद	8,25,000
2	महासमुन्द	39,25,000
3	जांजगीर-चांपा	15,00,000
	योग:-	**62,50,000**

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

सही/-

उप संचालक(वित्त)

क्रमांक 20/योजना बजट /2017/8303-13 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।

4- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बालोद/महासमुंद/जांजगीर चांपा की ओर आवष्यक कार्यवाही हेतु ।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

5- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, बालोद/महासमुंद/जांजगीर चांपा ।

6- उप संचालक, (ला.पूं.अनु.कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर ।

7- श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/21/योजना बजट/2017/385 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/एल 1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ः-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-41 मुख्य शीर्ष**-**2852**-**उद्योग 80-सामान्य (102) औद्योगिक उत्पादकता 0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना (5451)-अंशपूंजी सहायता योजना #14-सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 20.00 लाख का 40 प्रतिशत राशि रू. 8.00 लाख में से महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलरामपुर को राशि रूपये 2,50,000/-**(रूपये दो लाख पचास हजार मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

सही/-

उप संचालक(वित्त)

क्रमांक 21/योजना बजट /2017/8147-53 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

<u>प्रतिलिपि</u>:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।

4- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलरामपुर की ओर आवष्यक कार्यवाही हेतु।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

5- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, बलरामपुर।

6- उप संचालक, (ला.पूं.अनु.कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर ।

7- श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/22/योजना बजट/2017/392 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/एल 1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ृ-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-64 अनुसूचित जाति उपयोजना मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग 80-सामान्य (102) औद्योगिक उत्पादकता 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना (5451)-अंशपूंजी सहायता योजना #14-सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 130.00 लाख का 40 प्रतिशत राशि रू. 52.00 लाख में से महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये16,92,500/-**(रूपयेे सोलह लाख ब्यानबे हजार पंाच सौ मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	**जिलो के नाम**	**प्रथम छःमास हेतु 40% आबंटित राशि**
1	2	5
1	बेमेतरा	8,92,500
2	जांजगीर-चंापा	8,00,000
	योग:-	**16,92,500**

संचालक द्वारा अनुमोदित **सही/-**

उप संचालक(वित्त)

क्रमांक 22/योजना बजट /2017/8314-22 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

प्रतिलिपिः-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।

4- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बेमेतरा/जांजगीर-चांपा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

5- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, बेमेतरा/जांजगीर-चांपा।

6- उप संचालक, (ला.पूं.अनु.कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर।

7- श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/10/योजना बजट/2017/384 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-11 मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग (80) सामान्य 800-अन्य व्यय 0101- राज्य आयोजना (सामान्य) (9283) प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां तथा प्रचार #09-विज्ञापन एवं प्रचार (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए निम्नांकित मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये 20,00,000/- **(रूपये बीस लाख मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्रं	जिलो के नाम	प्रथम छः मास हेतु 40% आबंटित राशि
1	कोरिया	75000
2	कोरबा	75000
3	सरगुजा	100000
4	कोण्डागॉव	50000
5	नारायणपुर	75000
6	रायगढ़	100000
7	सूरजपुर	50000
8	रायपुर	100000
9	सुकमा	50000
10	महासमुंद	75000
11	मुगेली	50000
12	दुर्ग	100000
13	धमतरी	75000
14	कबीरधाम	100000
15	कांकेर	50000
16	जशपुर नगर	75000
17	बीजापुर	50000
18	राजनांदगांव	100000
19	जगदलपुर	100000
20	जांजगीर चांपा	100000
21	बिलासपुर	100000

22	बलरामपुर	50000
23	गरियाबंद	50000
24	बालोद	50000
25	बेमेतरा	50000
26	दंतेवाड़ा	100000
27	बलौदा बाजार	50000
	योग-	2000000

संचालक द्वारा अनुमोदित **सही/-**

उप संचालक(वित्त)

क्रमांक 10/योजना बजट /2017/8089-146 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।

4- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग/ रायगढ़/धमतरी/राजनांदगांव/बिलासपुर/जांजगीरचांपा/महासमुंद/रायपुर/कोरबा /सरगुजा/जगदलपुर/दंतेवाड़ा/कांकेर/कोरिया/जशपुरनगर/कबीरधाम/बीजापुर/नारायणपुर/ गरियाबंद/बलौदाबाजार/बालोद/बेमेतरा/सुकुमा/कोंण्डागांव/ मुंगेली/सूरजपुर/बलरामपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

5- कोषालय अधिकारी, जिला दुर्ग/रायगढ़/धमतरी/राजनांदगांव/बिलासपुर /जांजगीरचांपा/महासमुंद/रायपुर/कोरबा/सरगुजा/जगदलपुर/दंतेवाड़ा/कांकेर /कोरिया/जशपुरनगर/कबीरधाम/बीजापुर/नारायणपुर/गरियाबंद/बलौदाबाजार/ बालोद/बेमेतरा/सुकुमा/कोंण्डागांव/मुंगेली/सूरजपुर/बलरामपुर।

6- श्री रविन्द्र केसरिया, सहा0वर्ग-2, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़

(योजना बजट कक्ष)

क्रमांक/23/यो.ब./2017/382 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आबंटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक **1**/वित्त/ब-4/चार/2016 दिनांक 01-04ा-2017 से प्राप्त आवंटन मंे से मांग संख्या-11 मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग (80) सामान्य (800) अन्य व्यय 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (7396) मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुदान 14-सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान (आयोजना) मद के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधानित राशि रू.61.00 लाख में से महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये 30,25,367/- **(रूपयंे तीस लाख पच्चीस हजार तीन सौ सड़सठ मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	**जिलो के नाम**	**प्रथम छःमास हेतु 40% आबंटित राशि**
1	बालोद	4,65,177
2	बलौदा बाजार	25,60,190
	योग	**30,25,367**

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

सही/-

उप संचालक(वित्त)

पृ0 क्रमांक/23/यो.ब./2017/8035-43 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।

2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।

3. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।

4. महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बालोद/बलौदाबाजार, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, बालोद/बलौदाबाजार,।

6. उप संचालक, मंडी शुल्क कक्ष, उद्योग संचालनालय की ओर सूचनार्थ।

7. श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनाल रायपुर की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि करने हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/25/योजना बजट/2017/381 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

-ः आंबटन आदेशः-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक **1**/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ा-2017 प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-11 मुख्य शीर्ष**-**2852**-**उद्योग (80)-सामान्य (102) औद्योगिक उत्पादकता 0101- राज्य आयोजना (सामान्य) (7785) पंूजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता #13-आर्थिक सहायता 001-प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 700.00 लाख में से मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों कोे राशि रूपये**7,00,00,000/-(रूपय सात करोड़ मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	**जिलो के नाम**	**प्रथम छःमास हेतु आबंटित राशि**
1	राजनांदगांव	6,10,91,882
2	रायपुर	15,20,001
3	बालोद	73,88,117
	योग	**7,00,00,000**

संचालक द्वारा अनुमोदित

सही/-

उप संचालक(वित्त)

क्रमांक/25/योजना बजट /2017/8024-37 रायपुर, दिनांक 13.04.2017

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर ।

4- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राजनांदगांव/रायपुर/बालोद की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

5- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, राजनांदगांव/रायपुर/बालोद।

6- उप संचालक, (औ. नीति प्रकोष्ठ कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर।

7- श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/27/योजना बजट/2017/399 रायपुर, दिनांक 18.04.2017

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ु-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-11 लेखा शीर्ष 2852-उद्योग, (80)सामान्य, (102)औद्योगिक उत्पादकता, 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (4826)-आई.एस.ओ. 9000 के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति 13-आर्थिक सहायता 001-प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 2.00 लाख में से 40 प्रतिशत राशि निम्नांकित मुख्य महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग को राशि रूपये **80,000/-शब्दों में (रूपये अस्सी हजार मात्र)** का आबंटन किया जाता है।

संचालक द्वारा अनुमोदित **सही/-**

उप संचालक(वित्त)

क्रमांक/27/योजना बजट/2017/8520-26 रायपुर, दिनांक 18.04.2017

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय,रायपुर।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।

4- मुख्य महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा।

5- जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, दुर्ग।

6- उप संचालक, (वि. सहा. कक्ष) उद्योग संचालनालय रायपुर ।

7- श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/24/योजना बजट/2017/398 रायपुर, दिनांक 18.04.2017

-ः आंबटन आदेशः-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ृ-2017 प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-11 मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग (80)-सामान्य (102) औद्योगिक उत्पादकता 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (711) औद्योगिक तथा परियोजना सर्वेक्षण की योजना #14-सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 20.00 लाख का 40 प्रतिशत राशि मुख्य महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायपुर को राशि रूपये 8,00,000/-**(रूपये आठ लाख मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

संचालक द्वारा अनुमोदित

सही/-

उप संचालक(वित्त)

क्रमांक/24/योजना बजट /2017/8503-19 रायपुर, दिनांक 18.04.2017

प्रतिलिपिः-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर ।

4- मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा।

5- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर।

6- उप संचालक, (वि. सहा. कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर।

7- श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/26/योजना बजट/2017/397 रायपुर, दिनांक 18.04.2017

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04्-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-11 मुख्य शीर्ष-2851-ग्रामोद्योग और लघुउद्योग 200-अन्य ग्रामोद्योग 0101- राज्य आयोजना (सामान्य) (1175) ग्रामीण उद्यमी विकास योजना प्रशिक्षण #11-छात्रवृत्तियां,वृत्तियां एवं अन्य हितलाभ 001-शिष्य वृत्ति (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 10.00 लाख में से 40 प्रतिशत राशि निम्नांकित मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये 4,00,000/- **(रूपये चार लाख मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	**जिलो के नाम**	**प्रथम छःमास हेतु 40% आबंटित राशि**
1.	2.	3.
1	रायपुर	15,000
2	बिलासपुर	15,000
3	दुर्ग	15,000
4	राजनांदगांव	15,000
5	धमतरी	15,000
6	महासमुंद	15,000
7	कांकेर	15,000
8	नारायणपुर	15,000
9	जगदलपुर	15,000
10	बीजापुर	13,000
11	दंतेवाड़ा	15,000
12	जांजगीर-चांपा	15,000
13	कोरबा	15,000
14	रायगढ़	15,000
15	जशपुर	15,000
16	सरगुजा	15,000
17	कोरिया	15,000
18	कबीरधाम	15,000
19	गरियाबंद	15,000
20	बलौदाबाजार	15,000

21	बालोद	15,000
22	बेमेतरा	15,000
23	मंगेली	15,000
24	सुकमा	12,000
25	कोण्डागांव	15,000
26	सूरजपुर	15,000
27	बलरामपुर	15,000
	योग-	**4,00,000**

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

सही/-

उप संचालक(वित्त)

क्रमांक 26/योजना बजट /2017/8444-502 रायपुर, दिनांक 18.04.2017

<u>प्रतिलिपि</u>:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।

4- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग/रायगढ़/धमतरी/राजनांदगांव/बिलासपुर/जांजगीरचांपा/महासमुंद/रायपुर/कोरबा/सरगुजा/जगदलपुर/दंतेवाड़ा/कांकेर/कोरिया/जशपुरनगर/कबीरधाम/बीजापुर/नारायणपुर/गरियाबंद/बलौदाबाजार/बालोद/बेमेतरा/सुकुमा/कोंण्डागांव/मुंगेली /सूरजपुर/बलरामपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा।

5- कोषालय अधिकारी, जिला दुर्ग/रायगढ़/धमतरी/राजनांदगांव/बिलासपुर/जांजगीरचांपा/महासमुंद/रायपुर/कोरबा/सरगुजा/जगदलपुर/दंतेवाड़ा/कांकेर/कोरिया/जशपुरनगर/कबीरधाम/बीजापुर/नारायणपुर/गरियाबंद/बालोद/मुंगेली/बलौदाबाजार/बेमेतरा/सुकुमा/कोंण्डागांव /सूरजपुर/बलरामपुर।

6- उप संचालक, (ई.डी.पी.कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर ।

7-   श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, की ओर मेन सर्वर में आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/09/योजना बजट/2017/445 रायपुर, दिनांक 24.04.207

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04्-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-11, मुख्य शीर्ष**-**2851**-**ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (102) लघु उद्योग 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (7825) स्टार्टअप छत्तीसगढ़ #14-सहायक अनुदान 012-अन्य अुनदान (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 300.00 लाख का 40 प्रतिशत राशि अपर संचालक, उद्योग संचालनालय रायपुर को राशि रूपये**1,20,00,000/-(रूपये एक करोड़ बीस लाख मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

सही/-

उप संचालक (वित्त)

क्रमांक/09/योजना बजट /2017/8947-52 रायपुर, दिनांक 24.04.2017

<u>प्रतिलिपि</u>:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।

4- आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उद्योग संचालनालय, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

5- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर।

6- उप संचालक, (स्टार्टअप कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर ।

सही/-

उप संचालक (वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/09/योजना बजट/2017/446 रायपुर, दिनांक 24.04.2016

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ं-2017 से प्राप्त बजट आंवटन में से मांग संख्या-11, मुख्य शीर्ष**-**2852**-** उद्योग 80-सामान्य (102) औद्योगिक उत्पादकता 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (8890) खाद्य प्रसंस्कण सहायता अनुदान #14-सहायक अनुदान 012-अन्य अुनदान (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रावधान राशि रू. 1400.00 लाख में से राशि अपर संचालक, उद्योग संचालनालय रायपुर को राशि रूपये 4**,00,00,000/- (रूपये चार करोड़ मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

संचालक द्वारा अनुमोदित

सही/-

उप संचालक (वित्त)

क्रमांक/09/योजना बजट /2017/8953-58 रायपुर, दिनांक 24.04.2017

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।

4- आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उद्योग संचालनालय, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उक्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा। अर्थात् आपको आबंटित राशि में से प्रथम तिमाही में 5/8 एवं द्वितीय तिमाही में 3/8 राशि व्यय किया जाना है।

5- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर।

6- उप संचालक, (स्टार्टअप कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर ।

सही/-

उप संचालक (वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़,

(योजना एवं बजट कक्ष)

क्रमांक/21/योजना बजट/2017/551 रायपुर, दिनांक 31.05.2017

-ः आंबटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरकी बजट संसूचना क्रमांक1/एल 1/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ं-2017 से प्राप्त बजट आंवटन एवं पुनर्विनियोजन से प्राप्त राशिं से मांग संख्या-41 मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग 80-सामान्य (102) औद्योगिक उत्पादकता 0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना (5451)-अंशपूंजी सहायता योजना #14-सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान (आयोजना) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए निम्नांकित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रोर, को राशि रूपये 43,20,000/- **(रूपये तैतालीस लाख बीस हजार मात्र**) का आबंटन किया जाता है।

क्र.	**जिलो के नाम**	**प्रथम छःमास हेतु आबंटित राशि**
1	जशपुर नगर	3,18,000
2	सरगुजा	10,42,001
3	बलरामपुर	29,60,000
	योग	**43,20,000**

संचालक द्वारा अनुमोदित

सही/-

उप संचालक(वित्त)

क्रमांक 21/योजना बजट /2017/11603-08 रायपुर, दिनांक 31.05.2017

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.।

2- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर.।

3- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।

4- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जशपुर नगर, सरगुजा,बलरामपुर की ओर आवष्यक कार्यवाही हेतु।

क्तानुसार आबंटित राशि का व्यय छ.ग.वित्त विभाग की बजट संसूचना दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में व्यय किया जाना है।

5- कोषालय अधिकारी, जशपुर नगर, सरगुजा,बलरामपुर।

6- उप संचालक, (ला.पूं.अनु.कक्ष) उद्योग संचालनालय, रायपुर ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़

(योजना बजट कक्ष)

क्रमांक/08/यो.ब./2017/648 रायपुर, दिनांक 04.07.2017

-ः आवंटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरके बजट संसूचना क्रमांक **1**/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ा-2017 से प्राप्त आवंटन में से मांग संख्या-11 शीर्ष- 2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, 200-अन्य ग्रामोद्योग (0000) 1464-जिला उद्योग केन्द्र 024-चिकित्सा अग्रिम मद के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए मुख्य महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग को राशि रूपये **2,27,480**/- (शब्दों में दो लाख सताईस हजार चार सौ अस्सी मात्र) का आबंटन किया जाता है।

संचालनालय के स्वीकृति आदेश क्र. 55/सामा./2017/646 दिनॉक 03.01.2017 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 01 से 04 तक के शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

सही/-

उप संचालक(वित्त)

पृ0 क्रमांक/08/यो.ब./2017/13162-68 रायपुर, दिनांक 04.07.2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग ।
5. कोषालय, अधिकारी, जिला कोषालय, जिला दुर्ग
6. उप संचालक, लेखा कक्ष, उद्योग संचालनालय रायपुर।

7. श्री रविन्द्र केसरिया, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय रायपुर की ओर मेन सर्वर में

आवंटन की आवश्यक प्रविष्टि हेतु ।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़

(योजना बजट कक्ष)

क्रमांक/08/यो.ब./2017/709 रायपुर, दिनांक 21.07.2017

-ः आवंटन आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुरके बजट संसूचना क्रमांक **1**/वित्त/ब-4/चार/2017 दिनांक 01-04ा-2017 से प्राप्त आवंटन मंे से मांग संख्या-11 शीर्ष- 2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, 200-अन्य ग्रामोद्योग (0000) 1464-जिला उद्योग केन्द्र (आयोजनेत्तर) मद के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को राशि रूपये **92,500**/- (शब्दों में ब्यानवे हजार पांच सौ मात्र) का अतिरिक्त आबंटन किया जाता है।

क्रं	जिलों के नाम	03-यात्रा भत्ता-001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर			04-कार्यालय व्यय-009-सूचना प्रौद्योगिकी			04-कार्यालय व्यय-005-बिजली एवं जल प्रभार		
		पूर्व में आबंटित राशि	अतिरिक्त आबंटन	कुल आबंटन	पूर्व में आबंटित राशि	अतिरिक्त आबंटन	कुल आबंटन	पूर्व में आबंटित राशि	अतिरिक्त आबंटन	कुल आबंटन
	दुर्ग	30,000	40,000	70,000	0	0	0	0	0	0
	कबीरधाम	0	0	0	8,000	10,000	18,000	0	0	0
	जांजगीर चांपा	0	0	0	0	0	0	30,000	42,500	72,500
कुल योग-		30,000	40,000	70,000	8,000	10,000	18,000	30,000	42,500	72,500

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

सही/-

उप

संचालक(वित्त)

पृ0 क्रमांक/08/यो.ब./2017/14626-34 रायपुर, दिनांक 21.04.2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2 अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग/कबीरधाम/ जांजगीर-चांपा।
5. कोषालय, अधिकारी, जिला कोषालय दुर्ग/कबीरधाम/जांजगीर-चांपा।

सही/-

उप संचालक(वित्त)

अध्याय 13 मेनुअल

अनुदान / राज्य सहायता कार्यक्रमा के क्रियान्वयन की रीति

(1)- कार्यक्रम/योजना का नाम - औद्योगिके निवेश प्रोत्साहन हेतु छूट/ रियायतें

13.1 राज्य योजनाएं

राज्य के औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए 01 नवम्बर 2014 से प्रभावशील नवीन औद्योगिक नीति 2014-19 में निम्नानुसार औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाएं रखी गई है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है:-

13.1.1 ब्याज अनुदान योजना -

सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की नवीन स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण/फारवर्ड इंटीग्रेशन हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैकों से लिये गये सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान ।

(1) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग:-

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों को सामान्य उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत, 05 वर्ष की अवधि तक-अधिकतम सीमा रूपये 10.00 लाख वार्षिक ।

प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 50 प्रतिशत, 06 वर्ष की अवधि तक-अधिकतम सीमा रूपये 15.00 लाख वार्षिक ।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 06 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रूपये 20.00 लाख वार्षिक एवं प्राथमिकता उद्योगों की स्थापना पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 07 वर्ष की अवधि तक-अधिकतम सीमा रूपये 25.00 लाख वार्षिक ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र- सामान्य वर्ग के उद्यमियों को सामान्य उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 50 प्रतिशत, 06 वर्ष की अवधि तक-अधिकतम सीमा रूपये 20.00 लाख वार्षिक ।

प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की स्थापना पर भुगतान किये गये ब्याज का 60 प्रतिशत, 07 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रूपये 30.00 लाख वार्षिक ।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 06 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रूपये 40.00 लाख वार्षिक एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की स्थापना पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 07 वर्ष अवधि तक-अधिकतम सीमा रूपये 50.00 लाख वार्षिक ।

(2) मध्यम एवं वृहद् उद्योग -

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों को सामान्य उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 25 प्रतिशत, 05 वर्ष की अवधि तक-अधिकतम सीमा रूपये 10.00 लाख वार्षिक ।

प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की स्थापना पर भुगतान किये गये ब्याज का 50 प्रतिशत, 05 वर्ष की अवधि तक-अधिकतम सीमा रूपये 20.00 लाख वार्षिक ।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को सामान्य उद्योगों की श्रेणी में भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 06 वर्ष की अवधि तक- अधिकतम सीमा रूपये 25.00 लाख वार्षिक एवं प्राथमिकता उद्योगों की श्रेणी में भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 07 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रूपये 40.00 लाख वार्षिक ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों को सामान्य उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 50 प्रतिशत, 05 वर्ष की अवधि तक-अधिकतम सीमा रूपये 25.00 लाख वार्षिक ।

प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की स्थापना पर भुगतान किये गये ब्याज का 60 प्रतिशत, 07 वर्ष की अवधि तक-अधिकतम सीमा रूपये 40.00 लाख वार्षिक ।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 06 वर्ष की अवधि तक-अधिकतम सीमा रूपये 40.00 लाख वार्षिक एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 07 वर्ष की अवधि तक-अधिकतम सीमा रूपये 60.00 लाख वार्षिक ।

(3) मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स उद्योग -

(केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्टिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई,टी. सेक्टर, बायो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट-मशीनरी एवं उपकरण तथा साइकिल निर्माण एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स) के उद्योगों हेतु

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 50 प्रतिशत, 06 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रूपये 60.00 लाख वार्षिक।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 06 वर्ष की अवधि तक- अधिकतम सीमा रूपये 70.00 लाख वार्षिक

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 70 प्रतिशत, 08 वर्ष की अवधि तक-अधिकतम सीमा रूपये 100.00 लाख वार्षिक।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 08 वर्ष की अवधि तक- अधिकतम सीमा रूपये 120.00 लाख वार्षिक।

13.1.2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान

सूक्ष्म एवं लघु, उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट को नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योग के विस्तार/शवलीकरण पर किये गये स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान।

(1) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 30.00 लाख। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 60.00 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य श्रेणी एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा- सामान्य श्रेणी के उद्योग रूपये 40.00 लाख एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग रूपये 80.00 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 60.00 लाख। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 80.00 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य श्रेणी एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा- सामान्य श्रेणी के उद्योग रूपये 80.00 लाख एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग रूपये 120.00 लाख ।

(2) मध्यम उद्योग

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 60 लाख। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रूपये 70.00 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य श्रेणी एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा- सामान्य श्रेणी के उद्योगों को रूपये 80.00 लाख एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को रूपये 100.00 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा**-** रूपये 70.00 लाख। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम सीमा रूपये 100.00 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम सीमा- सामान्य श्रेणी के उद्योगों को रूपये 90.00 लाख एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को रूपये 125.00 लाख।

(3) वृहद उद्योग:-

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा रूपये 90.00 लाख। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा- रूपये 110.00 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य श्रेणी एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा- सामान्य श्रेणी के उद्योगों को रूपये 100.00 लाख एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को रूपये 120.00 लाख ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा**-** रूपये 100.00 लाख। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम सीमा रूपये 120.00 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम सीमा- सामान्य श्रेणी के उद्योगों को रूपये 120.00 लाख एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को रूपये 140.00 लाख ।

(4) मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा किसी भी श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा 350.00 लाख रूपये

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा किसी भी श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा 500.00 लाख रूपये।

13.1.3 विद्युत शुल्क से छूट (केवल पात्र नवीन उद्योगों की स्थापना पर)

(1) सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों केे नवीन उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर 05 वर्ष तक एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर 07 वर्ष तक पूर्ण छूट।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों के केवल नवीन उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से सामान्य उद्योग/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर 10 वर्ष तक पूर्ण छूट ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों के नवीन उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से सामान्य उद्योग स्थापित करने पर 07 वर्ष तक एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर 10 वर्ष तक पूर्ण छूट ।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों केे सामान्य उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनाँक से 10 वर्ष तक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनाँक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट।

(2) मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों के नवीन उद्योगों में सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट ।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को केवल नवीन उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर 10 वर्ष तक पूर्ण छूट ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों के नवीन उद्योगों में सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट ।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को केवल नवीन उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से सामान्य उद्योग/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर 12 वर्ष तक छूट ।

13.1.4- स्टाम्प शुल्क से छूट (निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को कोर सेक्टर सहित)

1- नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण हेतु- भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर एवं हस्तांतरण से संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)

2- नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण हेतु- ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक,

3- औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भू-खण्डों/औद्योगिक प्रयोजन तथा भूमि बैंक हेतु अधिग्रहित भूमि/ क्रय की गई भूमि के प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा भू-अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक भू-अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर, (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)

4- भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर एवं इनमें स्थापित होने वाले उद्योग

5- औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू-खण्ड/औद्योगिक प्रयोजनों, भूमि बैंक एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा क्रय/लीज पर ली जाने वाली भूमि पर

6- बंद/बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर क्रय-विक्रय से संबंधित विलेखों पर

7- फिल्म स्टूडियों, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली गई भूमि पर

8- लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज एवं ग्रेन साइलो की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली गई भूमि पर ।

13.1.5 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्को में भू आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/ रियायत

(1) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट ।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट, प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर भू-प्रब्याजि में 60 प्रतिशत छूट ।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट ।

(2) वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र- भू-प्रब्याजि में 20 प्रतिशत छूट।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र- भू-प्रब्याजि में 25 प्रतिशत छूट।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट ।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर विशेष रियायतें एवं सुविधाएँ

1- औद्योगिक प्रयोजनों एवं सेवा उद्यमों पर भी भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट।

2- भू-भाटक की दर 1 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक।

3- औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू-खण्डों का औद्योगिक क्षेत्रों में 02 वर्ष तक आरक्षण।

4- अनुसूचित जनजाति उप योजना एवं अनुसूचित जाति उप योजना के बजट से लघु शेडों का निर्माण।

5- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना।

13.1.6 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान

नवीन सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग:

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 1.00 लाख

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1.50 लाख

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र- सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.00 लाख

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2.50 लाख ।

13.1.7 भूमि उपयोग में परिवर्तन

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को औद्योगिक दृष्टि से विकासशील एवं पिछड़े क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भू-पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट।

13.1.8 औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर (भूमि बैंक) भू-आबंटन सेवा शुल्क

औद्योगिक प्रयोजनार्थ (भूमि बैंक) हेतु निजी भूमि के अर्जन/शासकीय भूमि के हस्तांतरण से प्राप्त भूमि के संबंध में सेवा शुल्क निम्नानुसार निरंतर रूप से जारी है:-

1- निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू-अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि।

2- औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी द्वारा निजी/शासकीय भूमि आबंटन पर भूमि अर्जन के मूल्य के बराबर की राशि पर 10 प्रतिशत राशि ।

13.1.9 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान

नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग-

सामान्य वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य/ प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को आई0एस0ओ0-9000, आई0एस0ओ0-14000, आई.एस.ओ.-18000, आई.एस.ओ.-22000, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक, या अन्य समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम राशि रूपये 1.00 लाख (प्रत्येक प्रमाणीकरण) की प्रतिपूर्ति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को किये गये व्यय की 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम रूपये 1.25 लाख की प्रतिपूर्ति।

13.1.10 तकनीकी पेटेंट अनुदान

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग-

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के नवीन एवं विद्यमान उद्योगों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत प्रत्येक पेटेंट हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रूपये 5.00 लाख की प्रतिपूर्ति।

अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के उद्यमियों को किये गये व्यय की 60 प्रतिशत, अधिकतम राशि रूपये 6.00 लाख की प्रतिपूर्ति।

13.1.11 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान -

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रांे से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5 लाख की प्रतिपूर्ति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख की प्रतिपूर्ति।

13.1.12 मार्जिन मनी अनुदान

राज्य के महिला उद्यमी, सेवा निवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं निःशक्तजन वर्ग के उद्यमियों द्वारा औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में रूपये 5.00 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, अधिकतम सीमा रू. 35 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी उपरोक्तानुसार दर से अनुदान देय है, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा रूपये 40.00 लाख है, जिन्हें राज्य शासन की आदिवासी उप योजना/अनुसूचित जनजाति विशेषांश योजना से दिया जावेगा।

13.1.13-औद्योगिक पुरस्कार योजना (राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति में अपात्र/संतृप्त उद्योगों की श्रेणी को छोड़कर)

(1) राज्य स्तर पर

राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बेहतर कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करने, निर्यात एवं पर्यावरण संरक्षण पर किये गये कार्य को महत्ता प्रदान करने, राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को औद्योगिक विकास की प्रमुख धारा में लाने, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नांकित 04 श्रेणियों में प्रति वर्ष चयनित उद्योगों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रू. 1.00 लाख, रू.0.51 लाख एवं रू.0.31 लाख रूपये एवं प्रशस्ति पत्र:-

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन हेतु,
2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
3. निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
4. महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग

(2) जिला स्तर पर

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार, पुरस्कार राशि रूपये 25,000 एवं प्रशस्ति पत्र।

13.1.14 राज्य में प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों का विकास

राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का राज्य में ही मूल्य आवर्धन करने, राज्य में कोर सेक्टर के अतिरिक्त अन्य सेक्टर में औद्योगिक विकास करने, समूह आधारित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने एवं ऐसे उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने जिनका राज्य में पूर्ण विकास नहीं हुआ है किन्तु विकास की पर्याप्त संभावनाएं है, की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए **राज्य में प्राथमिकता उद्योगों के विकास** की योजना को निरंतर रखा गया है। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में वर्गीकरण आधारित एवं उत्पाद आधारित उद्योगों को "राज्य शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले न्यूनतम पूंजी निवेश, प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेश करना आवश्यक होगा।"

वर्तमान में वर्गीकरण के आधार पर 22 श्रेणी के उद्योगों को एवं उत्पाद के आधार पर 25 उद्योगों को प्राथमिकता उद्योगों की सूची में सम्मिलित किया गया है जो औद्योगिक नीति 2014-19 के **परिशिष्ट-3** पर अंकित है ।

13.1.15 प्रवेश कर भुगतान से छूट -

निवेशकों की दृष्टि से सभी श्रेणी के उद्योगों को सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर परिशिष्ट-4 में दर्शित स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्यूमीनियम संयंत्र सहित) की स्थापना पर

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल (राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/ मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर 5 वर्ष तक छूट एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को 6 वर्ष छूट।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार ही क्रमशः सामान्य उद्योगों को 06 वर्ष तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को 07 वर्ष छूट।

टीपः-

1- कोर सेक्टर की श्रेणी में आने वाले उद्योगों को सामान्य उद्योगों की भांति प्रवेश कर से छूट प्राप्त होगी।

2- औद्योगिक नीति 2014-19 की कालावधि में भारत सरकार द्वारा गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (GST)लागू करने पर प्रवेश कर भुगतान से छूट नियत दिनांक 01 नवम्बर 2014 से गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (GST)लागू होने की तिथि तक सीमित होगी।

3.1.16 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान -

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्योग, वृहद तथा समस्त मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (कोर सेक्टर परिशिष्ट-4 में दर्शित स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्यूमीनियम संयंत्र सहित) को भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत् निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति।

13.1.17 इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)-

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के द्वारा पर्यावरण प्रबंधन की दृष्टि से यदि कोई ऐसी तकनीक अपनाई जाती है, जिससे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है एवं कार्बन फूटप्रिंट कम होता है तो ऐसे प्रत्येक तकनीक पर मशीनरी लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये अनुदान।

13.1.18 क्लस्टर विकास

राज्य में क्लस्टर विकास की नई योजना प्रारंभ की गई है। जिसमें भारत सरकार से स्वीकृत होने वाले क्लस्टर को राज्य शासन द्वारा भी 10 प्रतिशतअनुदान, अधिकतम सीमा रूपये 50.00 लाख प्रति क्लस्टर।

13.1.19 राईस मिलों का आधुनिकीकरण

राज्य में स्थापित राईस मिलों के आधुनिकीकरण हेतु प्लांट एवं मशीनरी पर किये गये पूंजी निवेश पर अधिकतम सीमा के अधीन औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगें। आधुनिकीकरण हेतु प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 1.00 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश करना आवश्यक हैं।

13.1.20 निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्को की स्थापना

राज्य मंे निजी औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम 25 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5 करोड़ का अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू-पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट।

भारत सरकार से स्वीकृत अनुदान यदि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक है तो राज्य शासन के अनुदान की पात्रता नहीं तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य शासन के अनुदान से कम है तो अंतर की राशि का अनुदान।

13.1.21 अन्य विशेष प्रोत्साहन

1- अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशकों को सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में एक वर्ष अधिक की छूट।

2- महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्तों को सामान्य वर्ग उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट।

3- औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में नवीन भू-आबंटन प्राप्त करने वाले उद्योगों को अनुदान से संबंधित प्रकरणों में निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से दिये जाने वाले अनुदान प्रकरणों में 10 प्रतिशत अधिक अनुदान, अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक सहित तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक।

4- राज्य में लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना, पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज का विस्तार में निवेश करने पर औद्योगिक नीति में प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतें तथा राज्य में “फिल्म उद्योग” के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग

स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर औद्योगिक नीति में प्रावधानित सामान्य लघु उद्योगों हेतु प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतें।

13.1.22 स्टार्ट अप छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की स्टार्ट-अप इकाईयों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 2016 द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में संशोधन कर स्टार्ट अप पैकेज समावेशित किया गया है। जिसके तहत् भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्ट अप यूनिट को औद्योगिक नीति 2014-19 में प्राथमिकता उद्योग माना जाएगा व इसके लिये निवेश की कोई न्यूनतम् सीमा नहीं होगी।उसे स्टार्ट अप पैकेज के रूप में निम्न अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगीः-

1 ब्याज अनुदान - सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 70 लाख रूपये वार्षिक।

2 स्थायी पंूजी निवेश अनुदान- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 60 लाख, मध्यम उद्योग को 35 प्रतिशत, अधिकतम रू. 70 लाख, वृहद उद्योग को 35 प्रतिशत अधिकतम रू. 110 लाख तथा मेगा उद्योग को स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 350 लाख।

3 विद्युत शुल्क छूट- शत प्रतिशत छूट।

4 भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

5 लिये गये ऋण पर भी तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट

6 (अ) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान - मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,

(ब) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान- प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.25 लाख।

(स) तकनीकी पेटंेट अनुदान- पेटेंट प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख ।

(द) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान- प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख ।

7 उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योेगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर सभी स्टार्ट अप को भू-प्रब्याजी में 60 प्रतिशत छूट ।

8 श्रम कानूनों में स्व-प्रमाणन व्यवस्था।

9 पहले 36 स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षाें तक राज्य सरकार के समस्त कर जो उसके द्वारा पटाए गए हों, रिफण्ड को छोड़कर, की शत-प्रतिशत् प्रतिपूर्ति की जाएगी।

10 किराया अनुदान- किराये के भवन में स्टार्ट अप यूनिट स्थापित करने की दशा में, पटाये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम रू. 8000/- की प्रतिपूर्ति 03 वर्षों तक।

पैकेज की प्राप्ति हेतु यह भी आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाला स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया वैबसाईट पर Validate Startup Recognition में वैध हो।

13.1.23 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत पुर्नस्थापन/पुनर्वास हेतु पात्र उद्योगांे को पैकेज-

(1) किसी भी बंद/बीमार घोषित उद्योग का क्रय करने पर -

(i) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट

(ii) पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट

(iii) औद्योगिक क्षेत्रो/लैण्ड बैंक में उद्योग स्थापित होने की दशा में वर्तमान में प्रचलित भू-प्रब्याजि का 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से भू-हस्तंातरण शुल्क।

(2) औद्योगिक नीति 2014-19 के औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहनों की पात्रता को आधार मानकर बंद/बीमार उद्योग के उद्योग स्वामी को या बंद/बीमार उद्योग के क्रेता को (यथा स्थिति जो लागू हो) निम्नानुसार पूर्णतः/शेष बची अनुदान, छूट एवं रियायत दी जावेगी, जिसका उपयोग बंद/बीमार उद्योग ने अपने उद्योग के संचालित रहने की अवधि में नही किया हो/आंशिक किया होः-

2.1 ब्याज अनुदान	2.2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान
2.3 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान	2.4 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान
2.5 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान	2.6 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान
2.7 निःशक्त अनुदान	2.8 विद्युत शुल्क से छूट
2.9 प्रवेशकर भुगतान से छूट	2.10 मंडी शुल्क छूट

(3) उद्योग के बंद घोषित होने तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों को देय राशियों का भुगतान 03 माह की अवधि के भीतर एकमुश्त करने पर पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार की छूट, एकमुश्त भुगतान न करने पर पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार सहित 36 समान मासिक किस्तों/12 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा,

बीमार घोषित उद्योगों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों को देय राशियों का भुगतान पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार सहित 36 समान मासिक किस्तों/12 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा।

(4) बंद/बीमार उद्योग के क्रेता के पक्ष में विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन, कन्सेंट टू आॅपरेट, राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले फारेस्ट क्लीयरेंस, स्थानीय निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि का हस्तांतरण ।

13.1.24 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012-19 के अन्तर्गत अनुदान, छूट एवं रियायतें

क्र.	पात्रता एवं सुविधा का विवरण	अनुदान, छूट व रियायतों का विवरण
1	मूल्य संवर्धित कर केन्द्रीय विक्रयकर में रियायत प्रतिपूर्ति	स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 150 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयवाधि 10 वर्ष की अवधि जो पूर्व अवसान हो, तक। यह छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के द्वारा तैयार की गई सामग्री के विक्रय के संबंध में भुगतान किये गये मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रयकर के समतुल्य राशि होगी । यह छूट पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त होगी। इकाई को यह विकल्प रहेगा कि वह इस नीति के अन्तगत यह ''प्रोत्साहन सहायता'' प्राप्त करे अथवा तत्समय में प्रचलित राज्य शासन की औद्योगिक नीति में लागू स्थाई पूंजी निवेश अनुदान का लाभ ले। सहायता राशि की गणना निर्मित माल के विक्रय पर देय वेट कर तथा निर्मित माल के अंतर्राज्यीय विक्रय कर पर देय केन्द्रीय विक्रयकर के आधार पर की जावेगी।
2	प्रवेश कर	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से शत् प्रतिशत छूट 7 वर्ष की अवधि हेतु ।
3	विद्युत शुल्क छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष हेतु शत प्रतिशत छूट ।
4	मंडी शुल्क छूट	कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण इकाईयों को राज्य की मंडी से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से पांच वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों (परिशिष्ट एक में वर्णित उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी

क्र.	पात्रता एवं सुविधा का विवरण	अनुदान, छूट व रियायतों का विवरण
		शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जावेगी, छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किये गये स्थाई पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी।
5	सं्ंविदा खेती(Contract Farming) पर सुविधा	प्रदेश में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम -1972 के प्रावधान लागू किये गये हैं। इसके सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत मंडी द्वारा विक्रेता (उत्पादक) एवं क्रेता के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध किया जावेगा एवं इसके माध्यम से सं्ंविदा खेती (Contract Farming) करायी जावेगी एवं दोनों पक्षों के हितों का संरक्षण किया जावेगा।
6	एकल लायसेंस प्रणाली	एकल लायसेंस के आधार पर पूरे प्रदेश में अधिसूचित कृषि उपज मंडियों में क्रय-विक्रय कर सकते हैं ।
7	कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ	प्रोसेसिंग इकाई से जुड़े उत्पादक कृषकों को योजनाओं का लाभ दिया जावेगा। उत्पादक कृषकों को विद्युत लाईन विस्तार अनुदान, नलकूप पर अनुदान, पम्प प्रतिस्थापन पर अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, रियायती दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध होगी ।
8	एन.एच.एम., आर.के.व्ही.वाय. आदि के अनुरूप सुविधाएँ	एन.एच.एम., आर.के.व्ही.वाय. अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार प्रोसेसर्स को भी अधोसंरचना के लिए आवश्यक सुविधाओं का लाभ दिया जायेगा । जैसे- कोल्ड स्टोरेज, शीतगृह श्रंखला, पैकेजिंग हाउस, नेटशैड, ग्रीन हाउस, रायपनिंग चेंबर आदि ।

टीपः-

1- इस नीति के अन्त्रगत नवीन इकाईयों की स्थापना/ विद्यमान इकाईयों द्वारा विस्तार योजना अन्तर्गत विस्तार करने पर उपरोक्तानुसार सुविधाएं प्राप्त करने हेतु प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम रू0 1.00 करोड़ का निवेश राज्य शासन के साथ निष्पादित एम.ओ.यू./आई.ई.एम./ई.एम. पार्ट-1 जारी होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर करना आवश्यक है।

2- कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 में उद्योग विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान, छूट व रियायतों का लाभ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 में परिशिष्ट-एक में अंकित अपात्र उद्योगों की सूची में से दिनांक 01 नवंबर 2014 से पोहा उद्योग को विलोपित करते हुये सम्पूर्ण राज्य हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु पात्र तथा राईस मिल, पैडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लिनिंग एवं मुरमुरा, हालर मिल, राईस ब्रांड साल्वेंट एक्स्टेªक्शन प्लांट, खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई) को औद्योगिक दृष्टि क्षेत्रों में पात्र घोषित किया गया हैं।

3- "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012" में उल्लेखित उपरोक्त अनुदान छूट एवं रियायतों के अतिरिक्त औद्योगिक नीति 2014-19 में अधिसूचित औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगें।

3.1.25 ''छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन''

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति के तहत ''छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन'' की नयी योजना प्रारंभ हुई है, इस मिशन में निम्न योजनाएँ समावेशित हैः-

क्र.	योजना का नाम	अनुदान की दर	अधिकतम राशि
1.	खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण	संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यो की लागत का 25 प्रतिशत	50.00 लाख
2.	उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन (शीतश्रृंखला) हेतु, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास	(अ) परियोजना लागत का 35 प्रतिशत का अनुदान (ब) बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से आया वास्तविक ब्याज, 5 वर्ष की अवधि हेतु	500.00 लाख 200.00 लाख
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत	250.00 लाख
4.	रीफर वाहन योजना	कूलिंग की लागत का 50 प्रतिशत	50.00 लाख

13.1.26 आॅटोमोटिव उद्योग नीति 2012-17 के अन्तर्गत अनुदान, छूट एवं रियायतें

1- पात्र उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन

क्र.	पात्रता एवं सुविधा का विवरण	अनुदान, छूट व रियायतों का विवरण
1	मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति (निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्रदान की जावेगी)	मूल एवं सहायक इकाई को स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 115 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयवाधि 18 वर्ष की अवधि जो पूर्व अवसान हो, तक। यह छूट आटोमोटिव उद्योग इकाईयों के द्वारा तैयार की गई सामग्री के विक्रय के संबंध में भुगतान किये गये मूल्य संवर्धित कर के समतुल्य राशि होगी । यह छूट पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त होगी।

क्र.	पात्रता एवं सुविधा का विवरण	अनुदान, छूट व रियायतों का विवरण
		इकाई को यह विकल्प रहेगा कि वह इस नीति के अंर्तगत यह ''प्रोत्साहन सहायता'' प्राप्त करे अथवा तत्समय में प्रचलित राज्य शासन की औद्योगिक नीति में लागू स्थाई पूंजी निवेश अनुदान का लाभ ले।
2	केन्द्रीय विक्रयकर में छूट	तत्समय प्रचलित दर का 50 प्रतिशत, 18 वर्षों की अवधि तक।
3	प्रवेश कर भुगतान से छूट	परियोजना हेतु कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 100 प्रतिशत छूट 8 वर्ष की अवधि हेतु ।
4	विद्युत शुल्क छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 10 वर्ष ।
5	स्टाम्प ड्यूटी छूट अ- भूमि, भवन, शेड प्रकोष्ठ पर ब- ऋण विलेखों पर	भूमि, भवन, शेड प्रकोष्ठ के क्रय/पट्टे से संबंधित विलेखों पर 100 प्रतिशत औद्योगिक नीति 2009-14 के अनुरूप देय ।
6	पंजीयन शुल्क पर छूट	भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ पर 100 प्रतिशत छूट।
टीप- इकाई द्वारा तीन वर्ष में उद्योग स्थापना हेतु प्रभावी कदम नहीं लेने पर क्रमांक 5 एवं 6 की छूट निरस्त की जा सकेगी।		

2- इस नीति के अन्तगत नवीन इकाईयों की स्थापना/ विद्यमान इकाईयों द्वारा विस्तार योजना अन्तर्गत विस्तार, शवलीकरण, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फारवर्ड इंटीग्रेशन करने पर उपरोक्तानुसार सुविधाएं प्राप्त करने हेतु आॅटोमोटिव उद्योगों में न्यूनतम रू. 1000 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादन होने के दिनांक से 7 वर्ष के भीतर करना है एवं आॅटोमोटिव उद्योग के अनुषांगिक उद्योगों/आटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स निर्माण इकाईयों के लिए स्थायी पूंजी निवेश की कोई सीमा नहीं है।

3- “आॅटोमोटिव उद्योग नीति-2012” में उल्लेखित उपरोक्त अनुदान छूट एवं रियायतों के अतिरिक्त औद्योगिक नीति 2014-19 में अधिसूचित औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगें।

13.1.27 मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना

1- युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ है।

2- इस योजना के अन्तर्गत राज्य शासन की ओर से युवा वर्ग को आर्थिक सहायता, समर्थन, आर्थिक प्रोत्साहन, बैंक गारंटी शुल्क व वार्षिक सेवा शुल्क देकर युवा वर्ग को यह एहसास कराया है कि उनके स्वरोजगार स्थापना में राज्य शासन उनके साथ है।

3- पात्रता -

3.1 आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हों।

3.2 आवेदक न्यूनतम आठवी कक्षा उत्तीर्ण हों।

3.3 आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य हों।

(अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/निःशक्तजन उद्‌यमी/नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य/सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट)

3.4 आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (defaulter) नहीं हो।

3.5 एक परिवार से मात्र एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा अर्थात् इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा।

3.6 आवेदक की परिवार की वार्षिक आय रू. 3,00,000/- से अधिक नहीं हो (परिवार की परिभाषा में आवेदक के पति/पत्नि एवं बच्चे सम्मिलित होंगे। आवेदक के अविवाहित होने की स्थिति में आवेदक के माता-पिता, अविवाहित भाई- बहन की आय भी सम्मिलित होगी)

3.7 आवेदक जिन्होने प्रमंरोयो, प्रमंरोसृका या भारत सरकार/राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लिया हो, पात्र नहीं होंगे।

4- इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है -

4.1- ऋण

विनिर्माण उद्‌यम - परियोजना लागत अधिकतम रू0 25.00 लाख

सेवा उद्‌योग - परियोजना लागत अधिकतम रू0 10.00 लाख

व्यवसाय - परियोजना लागत अधिकतम रू0 02.00 लाख

4.2- हितग्राहियों को सुविधायें -

वर्ग	मार्जिन मनी अनुदान	ब्याज अनुदान	भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट हेतु गारंटी शुल्क /वार्षिक सेवा शुल्क
सामान्य वर्ग	**बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख रू0 तक**	**5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु (प्रथम ऋण वितरण दिनांक से) अधिकतम सीमा सावधि ऋण पर रू. 50,000.00 एवं कार्यशील पूंजी पर रू0 25,000.00**	**बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क**
अ.पि.वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक/ नक्सल प्रभावित	**बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रू0 तक**	**8 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु (प्रथम ऋण वितरण दिनांक से) अधिकतम सीमा सावधि ऋण पर रू. 75,000.00 एवं कार्यशील पूंजी पर रू0 40,000.00**	**बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क**
अ.जा./अ.ज.जा.	**बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रू0 तक**	**8 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु (प्रथम ऋण वितरण दिनांक से) अधिकतम सीमा सावधि ऋण पर रू. 75,000.00 एवं कार्यशील पूंजी पर रू0 40,000.00**	**बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क**

4.3- उपरोक्त के अतिरिक्त उद्यमियों को प्रचलित औद्योगिक नीति में प्रावधानित ब्याज अनदान एवं योजना में प्रचलित ब्याज अनुदान की राशि का अंतर तथा औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक विकास से संबंधित नीतियों के अन्तर्गत देय औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी प्राप्त हांेगे ।

5- परियोजनाओं की स्वीकृति प्रत्येक जिले में कलेक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अध्यक्षता में टास्कफोर्स समिति द्वारा दी जावेगी।

औद्योगिक नीति 2014-19 के क्रियान्वयन हेतु जारी अधिसूचनाएं

क्र.	विषय	शासन द्वारा जारी अधिसूचना का क्रमांक व दिनांक
21.	औ.नीति 2009-14 की अधिसूचनाओं में एकजाई संशोधन बाबत् संशोधित अधिसूचना	क्रमांक एफ 20-23/2015/11/(6), दिनांक 02.05.2015/ 05.05.2015
22.	प्राथमिकता उद्योग हेतु न्यूनतम पूंजी निवेश निर्धारण बाबत्	क्रमांक एफ 20-22/2015/11/(6), दिनांक 26.05.2015
23.	औद्योगिक क्षेत्रों / औद्योगिक पार्कों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/ रियायत	क्रमांक एफ 20-24/2015/11/(6), दिनांक 06.05.2015/ 07.05.2015
24.	स्टाम्प शुल्क से छूट	1. क्रमांक एफ 10-22/ 2015/ वा.क. (पं.)/पांच (41), दिनांक 23.04.2015 2. क्रमांक एफ 10-22/ 2015/ वा.क. (पं.)/पांच (42), दिनांक 23.04.2015 3. क्रमांक एफ 10-22/ 2015/ वा.क. (पं.)/पांच (43), दिनांक 23.04.2015 4. क्रमांक एफ 10-22/ 2015/ वा.क. (पं.)/पांच (44), दिनांक 23.04.2015
25.	छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम-2014	क्रमांक एफ 20-31/2015/11/(6), दिनांक 04.06.2015
26.	कंडिका 15.19 के प्रावधान अनुसार विकल्प प्रावधान का आदेश	क्रमांक एफ 20-27/2015/11/(6), दिनांक 18.05.2015
27.	कंडिका 6 के तहत् 1. ''उद्यमिता विकास समिति का गठन'' 2. CGCON का गठन	1. क्रमांक एफ 20-28/2015/11/(6), दिनांक 02.05.2015/ 05.05.2015 2. क्रमांक एफ 20-28/2015/11/6, दिनांक 02.05.2015/ 05.05.2015
28.	विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट संबंधी अधिसूचना	क्रमांक एफ 21/07/ 2015/18/ 2/ऊवि दिनांक 18.03.2016

क्र.	विषय	शासन द्वारा जारी अधिसूचना का क्रमांक व दिनांक
29.	छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम 2014	क्रमांक एफ 20-54/2015/11/(6), दिनांक 17.06.2015
30.	छत्तीसगढ़ राज्य विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम 2014	क्रमांक एफ 20-63/2015/11/ (6), दिनांक 17.06.2015
31.	प्रवेश कर भुगतान से छूट संबंधी अधिसूचना	क्रमांक एफ- 10-28/2016/वाक/ पांच (67), दिनांक 19.07.2016
32.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान संबंधी अधिसूचना	क्रमांक एफ 20-68/2015/11/ 6, दिनांक 21.08.2015
33.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2014 अधिसूचना	क्रमांक एफ 20-82/2015/11/(6), दिनांक 24.09.2015
34.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2014 संबंधी अधिसूचना	क्रमांक एफ 20-81/2015/11/(6), दिनांक 24.09.2015
35.	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2014 संबंधी अधिसूचना	क्रमांक एफ 20-83/2015/11/(6), दिनांक 28.09.2015
36.	ब्रांड ''विश्वसनीय छत्तीसगढ़'' के कार्य हेतु प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी को नोडल अधिकारी नामांकित करने आदेश	क्रमांक एफ 20-77/2015/11/(6), दिनांक 28.09.2015
37.	उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करने सक्षम प्राधिकारी बाबत् आदेश	क्रमांक एफ 20-06/2016/11/ (6), दिनांक 13.04.2016
38.	छ.ग. बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2015	क्रमांक एफ 20-103/2015/11/ (6), दिनांक 09.06.2016
39.	छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों/ पार्को की स्थापना अनुदान नियम 2014	क्रमांक एफ 20-102/2015/ग्यारह /(छै), दिनांक 15.01.2016
40.	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान संबंधी अधिसूचना	क्रमांक एफ 20-23/2016/11/(6), दिनांक 22.07.2016

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012-19 के क्रियान्वयन हेतु जारी अधिसूचनाएं

क्र.	विषय	शासन द्वारा जारी अधिसूचना का क्रमांक व दिनांक
8.	पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20-9/2013/ग्यारह/ (छैः), दिनांक 30.11.2015
9.	प्रवेश कर छूट	वित्त तथा योजना विभाग (वाणिज्यिक कर) की अधिसूचना क्र. एफ-10/30/2013/वाक /पांच (38) दिनांक 29.05.2013
10.	विद्युत शुल्क से छूट	ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्र. 2897/एफ-21/06/2013/13/2, दिनांक 03.10.2016
11.	मण्डी शुल्क से छूट	कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2617/डी-15/ 116/पार्ट-2/14-2 दिनांक 11.06.2014 एवं क्र./2615/डी-15/ 116/पार्ट-2/2004/ 14-2 दिनांक 11.06.2014
12.	मॉडल प्रोजेक्ट प्रोफाईल बनाने विषयक	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20-25/2013/11/ (6) दिनांक 04.04.2013
13.	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगों के विकास हेतु लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना बाबत् नोडल अधिकारी की नियुक्ति	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20-26/2013/11/ (6) दिनांक 04.04.2013
14.	औद्योगिक नीति में प्रचलित अनुदान, छूट व रियायतें दिये जाने विषयक	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20-12/2013/ग्यारह/ (छैः) दिनांक 15.04.2013

आटोमोटिव उद्योग नीति 2012-19 के क्रियान्वयन हेतु जारी अधिसूचनाएं

क्र.	विषय	शासन द्वारा जारी अधिसूचना का क्रमांक व दिनांक
6.	प्रवेश कर छूट	वित्त तथा योजना विभाग (वाणिज्यिक कर) की अधिसूचना क्र. एफ-10/29/2013/वाक /पांच (37) दिनांक 29.05.2013
7.	विद्युत शुल्क से छूट	ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्र. 2899/एफ-21/25/2013/13/2, दिनांक 03.10.2016
8.	पंजीयन शुल्क में छूट	वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 10-32/2013/वाक.(पं.)/पांच (43) दिनांक 25.06.2013

क्र.	विषय	शासन द्वारा जारी अधिसूचना का क्रमांक व दिनांक
9.	आॅटो कम्पोनेंट्स की सूची तैयार करने हेतु समिति गठित करने संबंधी आदेश	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20-24/2013/11/ (6) दिनांक 04.05.2013
10.	औद्योगिक नीति में प्रचलित अनुदान, छूट व रियायतें दिये जाने विषयक	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. 2080/2013/11/6, दिनांक 04.04.2013

13.2 केन्द्रीय योजनाएं

3.2.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

मुख्य बिन्दु -

उद्देश्य	-	देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मंे रोजगार के अवसरों का सृजन।
परियोजना लागत	-	विनिर्माण - अधिकतम 25.00 लाख सेवा एवं व्यवसाय- अधिकतम 10.00 लाख
लाभार्थी का अंशदान	-	सामान्य वर्ग - 10 प्रतिशत अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य - 5 प्रतिशत
अनुदान की दर	-	सामान्य वर्ग - शहरी 15 प्रतिशत, ग्रामीण 25 प्रतिशत अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य-शहरी 25 प्रतिशत, ग्रामीण 35 प्रतिशत
पात्रता	-	आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण, स्वसहायता समूह/ सोसायटी भी पात्र

3.2.2 ''स्टेण्ड अप इण्डिया योजना'':-

भारत सरकार द्वारा स्टेण्ड अप इण्डिया योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एवं सेवा क्षेत्र में नए उद्यम लगाने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक शाखा को न्यूनतम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराना है। ऋण की सीमा 10.00 लाख रूपये से 1.00 करोड़ तक है।

13.2.3 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:-

इस योजना में तीन श्रेणियों हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाता है। श्रेणियाॅ निम्नानुसार है:-

1. ''शिशु'' में रू. 50000 तक
2. ''किशोर'' में रू. 50000 से अधिक एवं रू. 5 लाख तक
3. ''तरूण'' रू. 5 लाख से अधिक एवं रू. 10 लाख तक ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है।

यह योजना सूक्ष्म श्रेणी हेतु स्वयं का व्यवसाय/ उद्यम की स्थापना के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

13.2.4 निर्यात अधोसंरचना व सहायक गतिविधियों के विकास हेतु सहायता योजना (ASIDE)

भारत सरकार की एसाईड योजना (Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities Scheme) के तहत निर्यात को बढ़ावा देने में सहायक विकास कार्यों के लिए राज्य सरकारों को राज्य से होने वाले निर्यात के अनुपात में प्रति वर्ष धनराशि प्रदान की जाती थी।

भारत सरकार की ''एसाईड'' योजना के छŸीसगढ़ राज्य में क्रियान्वयन हेतु सीएसआईडीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। एसाईड योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित ''राज्य निर्यात संवर्धन समिति'' के द्वारा योजनाओं/कार्यो का चयन एवं स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। राज्य से होने वाले निर्यात के अनुपात में प्रतिवर्ष केन्द्र से मिलने वाली राशि के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन का निर्णय शासन स्तर पर लिया जाता रहा है।

एसाईड योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03 से अब तक औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं रावांभाठा-भनपुरी, जिला रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी जिला बिलासपुर, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई जिला-दुर्ग एवं इनलैण्ड कंटेनर डिपो कांपा, रायपुर में आयात निर्यात गतिविधियों से संबंधित अधोसंरचना विकास कार्य संपादित किये गये है। उक्त योजना कें अंतर्गत वर्ष 2003-04 से अब तक छŸीसगढ़ राज्य को राज्य से होने वाले निर्यात (Export Performance)के अनुपात में पात्रता के अनुसार कुल राशि रू. 62.47 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

वर्तमान में एसाईड योजना के अंतर्गत विŸीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्राप्त राशि से डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, ग्राम तूता, नया रायपुर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों के साथ-साथ निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित सेमीनार, वर्कशॉप, व्यावसायिक सम्मेलन, प्रदर्शनी इत्यादि के आयोजन के दृष्टिकोण से एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन कम कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कुल लागत राशि रू. 24.05 करोड़ से किया जा रहा है। उपरोक्त परियोजना निर्माण कार्य हेतु रू. 19.10 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार से एसाईड योजनांतर्गत स्वीकृत है, शेष राशि राज्य शासन द्वारा प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2015-16 से केन्द्र शासन द्वारा उपरोक्त योजना को Delink कर दिया गया है। जिसके फलस्वरूप योजना के अंतर्गत वर्तमान में चल रहे कार्योें (Ongoing works) को पूर्ण करने के लिये शेष राशि राज्य शासन द्वारा प्रदान की जा रही है।

13.2.5 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIDC)

भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु उद्योगों की स्थापना हेतु निम्नानुसार आई.आई.डी.सी. की स्थापना की जा चुकी है-

क्रमांक	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	अद्यतन स्थिति
1	बिरकोनी, जिला महासमुंद	49	स्थापित
2	हरिनछपरा, जिला कबीरधाम	21	स्थापित
3	नयनपुर-गिरवरगंज, जिला सरगुजा	24	स्थापित

4	कापन, जिला जांजगीर-चांपा	43	स्थापित
5	तिफरा सेक्टर डी, जिला बिलासपुर	57	स्थापित
6	बरतोरी (तिल्दा), जिला रायपुर	32.32	स्थापित
7	तेंदुआ, जिला रायपुर	21	स्थापित

13.2.6 माईक्रो एण्ड स्माल इन्टरप्राईजेस - क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MSE-CDP)

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। इसके अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिये औद्योगिक अधोसंरचना विकास के लिये भारत सरकार से परियोजना लागत के 60 प्रतिशत के अनुदान की पात्रता है, शेष राशि की व्यवस्था राज्य शासन/ राज्य शासन क्रियान्वयनी एजेंसी द्वारा की जानी है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकि केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित है, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं:-

क्र.	परियोजना	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	परियोजना लागत (लाख)
1	बनगांव, जिला जशपुर	16.59	1276.00
2	सेलर, जिला बिलासपुर	38.44	2860.00
3	सियारपाली/महुआपाली जिला रायगढ़	15.78	1392.00
4	खम्हरिया, जिला मुंगेली	24.28	1868.00
5	मुक्ताराजा, जिला जांजगीर-चांपा	44.92	3049.00
6	लखनपुरी, जिला कांकेर	53.01	2987.00
7	महरुमकला, जिला राजनांदगांव	40.46	2374.00

13.2.7 स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की संशोधित औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) परियोजना का राज्य में क्रियान्वयन

12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा संशोधित आई.आई.यू.एस. योजना लागू है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के लिये अनुदान प्रदान किया जाता है । इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजंेसी है।

औद्योगिक अधोसंरचना के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित संशोधित एकीकृत अधोसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र उरला जिला रायपुर एवं सिरगिट्टी जिला बिलासपुर के लिये अधोसंरचना यथा सड़क, बिजली, जलप्रदाय के उन्नयन एवं

सुदृढ़ीकरण हेतु पृथक-पृथक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर भारत सरकार को अग्रेषित किया गया था। भारत सरकार से दोनों परियोजनाओं हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ।

परियोजना लागत निम्नानुसार है -

I. औद्योगिक विकास केन्द्र उरला, जिला रायपुर

परियोजना लागत	रु. 5480.94 लाख
केन्द्र सरकार से अनुदान	रु. 1215.00 लाख
राज्य शासन का हिस्सा	रु. 4265.94 लाख

II. औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर

परियोजना लागत	रु. 4459.33 लाख
केन्द्र सरकार से अनुदान	रु. 1204.00 लाख

राज्य शासन का हिस्सा रु. 3435.33 लाख

इसके विरुद्ध सिरगिट्टी हेतु केन्द्र सरकार से रु. 262.00 लाख एवं राज्य शासन से रुपये 1030.00 लाख, कुल राशि रु. 1292.00 लाख प्राप्त हो चुकी है ।

इस योजनांतर्गत औद्योगिक क्षेत्र उरला में अब तक योजना अंतर्गत रु. 622.00 लाख की लागत से 21.50 किमी डी.आई. पाईप लाईन तथा रु. 1120.00 लाख की लागत से 7.92 किमी लंबाई में 7.50 मी चैड़ी सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं 4.17 कि.मी. आरआर मेसनरी नाली तथा 6.50 किमी आरसीसी नाली निर्माण किया गया है । जलप्रदाय योजना के अंतर्गत 10 एमएलडी क्षमता का जल शुद्धिकरण संयंत्र, 26.50 किमी स्ट्रीट लाईन, 8 मीटर व्यास का इंटेकवेल एवं पूर्व निर्मित आरआर मेसनरी नालियों की उंचाई बढ़ाने हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है एवं कार्य प्रगति पर है ।

औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर में कुल व्यय रु. 1526.61 लाख से 7800 मीटर डामरीकृत सड़कों को उन्नयन, 2990 मीटर आरसीसी पक्की सतही नाली, 8498 मीटर डीआई पाईप प्रदाय किया गया है एवं लगाने का कार्य प्रगति पर है एवं 4500 मीटर सड़क बत्ती हेतु पोल एवं एसेसरीज़ प्रदाय किया गया तथा लगाने का कार्य प्रगति पर है। उच्च स्तरीय आरसीसी ब्रिज एवं 1.0 एमएलडी क्षमता के सी.ई.टी.पी. हेतु निविदा आमंत्रित है ।

13.2.8 सीपेट की स्थापना (सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आॅफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी)

इस इंस्टीट्यूट की स्थापना अप्रैल अप्रैल-2016 में भारत सरकार के सहयोग से औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी में की गई है। इसका उद्देश्य राज्य एवं राज्य के आसपास के क्षेत्रों में प्लास्टिक उद्योगों का विकास एवं प्लास्टिक उद्योगों हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। यह केन्द्र आवश्यक टूल-रूम, डिजाईन,

प्रोसेसिंग तथा टेस्टिंग की व्यवस्था से सुसज्जित है, तथा डिप्लोमा एवं पोस्ट-ग्रेज्वेट डिप्लोमा कोर्स हेतु ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमति भी प्राप्त है।

इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2016-17 में दीर्घ कालीन कार्यक्रम, (जैसे डी.पी.टी/डी.पी.एम.टी/पी.जी.डी-पी.पी.टी.) तथा कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जा चुका है।

दीर्घ कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	**कोर्स**	ए.आई.सी.टी.ई. के मापदण्ड अनुसार इन्टेक केपेसिटी
1.	डी.पी.टी.	60
2.	डी.पी.एम.टी.	60
3.	पी.जी.डी.-पी.पी.टी.	30

उक्त संस्था द्वारा वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री कौंशल विकास योजना अन्तर्गत निम्नानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:-

मुख्यमंत्री कौंशल विकास योजना (एम.एम.के.व्ही.वाय.) वर्ष 2016-17					
क्र.	पंजीकृत प्रशिणार्थीयों की संख्या	प्रशिक्षण पूर्ण किये गये प्रशिणार्थीयों की संख्या (07.03.2017 की स्थिति में)		रोजगार प्राप्त किये गये प्रशिणार्थीयों की संख्या	प्रशिक्षणरत् प्रशिणार्थीयों की संख्या
		पंजीकृत	पूर्ण		
1.	**1994**	**1107**	**730**	**474**	**887**

इंस्टीट्यूट द्वारा चलाये जाने वाले कौशल विकास के मुख्य कोर्स हैं:-

प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन आॅपरेटर, सहायक मशीन आॅपरेटर, असिस्टेन्ड इंजेक्शन मोल्डिंग आॅपरेटर, आॅन-साईट ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, इन्टप्रोन्योरशिप अवेरनेस, सी.एन.सी. लेथ प्रोग्रामिंग एण्ड आॅपरेशन फॉर प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, ब्लो एण्ड रोटो मोल्डिंग मशीन आॅपरेशन, प्लास्टिक मोल्ड डिजाईन मैन्युफेक्चरिंग, फिल्म एक्सड्रुसन मशीन आॅपरेशन, टेस्टिंग एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट, इन्जेक्शन मोल्डिंग मशीन आॅपरेशन, एफ.आर.पी. प्रोडक्ट मैन्युफेक्चरिंग आॅपरेशन।

अध्याय-14 (मेनुअल-13)
रियायता, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंधं में विवरण

Chapter-14 (Manual-13)

Particulars of Recipients of Concessions, permits or

विद्युत शुल्क से छूट हेतु अनुशंसा पत्र जारी किये गये इकाईयों की सूची

(दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक)						
क्र.	**आवेदक इकाई का नाम व पता**	**आवेदन प्राप्ति क्रमांक एवं दिनांक/नस्ती क्रमांक**	**उत्पाद**	**प्लांट एवं मशीनरी में पंूजी निवेश (रू. लाखों मे)**	**उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक**	**निराकरण का दिनांक**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	मेसर्स एमसन आटो, औ.क्षेत्र भनपुरी, वि.खं. धरसींवा, जिला रायपुर।	1400/28.01.2015	कल्टीवेटर, केजव्हील, एम.बी. प्लाउ, सिड ड्रिल, थ्रेसर, ट्रॉली,	30.39	01.10.2008 से 30.09.2018	6661/05.04.2016
2.	मेसर्स मूर्ति एग्रो इण्डस्ट्रीज चरमुड़िया रोड कुरूद जिला धमतरी	1444/ 29.01.2014	राईस मिलिंग	22.00	30.07.2009 से 29.07.2019	6754/06.04.2016
3.	मेसर्स अन्नपूर्णा राईस मिल, ग्राम सियादेही, तह0 नगरी, जिला धमतरी	1280/06-02-2013	राईस, ब्रोकन राईस, राईस ब्रान	40.00	30.11.2009 से 29.11.2019	7252/12-04-2016
4.	मेसर्स परफेक्ट हर्बल एण्ड आॅयल औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला महासमुंद	2231/28-02-2013	एसेन्सियल आॅयल	67.46	09.09.2009 से 08.09.2019	7255/12-04-2016

(दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक)						
क्र.	**आवेदक इकाई का नाम व पता**	**आवेदन प्राप्ति क्रमांक एवं दिनांक/नस्ती क्रमांक**	**उत्पाद**	**प्लांट एवं मशीनरी में पंूजी निवेश (रू. लाखों मे)**	**उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक**	**निराकरण का दिनांक**
5.	मेसर्स श्री राईस मिल कुरूद, जिला-धमतरी	3842/20-03-2014	राईस, ब्रोकन राईस, राईस ब्रान	159.95	24.04.2006 से 24.04.2016	7264/12-04-2016
6.	मेसर्स राधेश्याम राईस मिल, ग्राम करेली छोटी, जिला धमतरी	3899/11-04-2013	राईस, राईस ब्रान, राईस ब्रोकन	22.01	10.01.2008 से 09.01.2018	7332/13-04-2016
7.	मेसर्स श्री कन्सलटेंटस प्रा0लि0, जिंदल औ0 पार्क पूंजीपथरा, तह0 तमनार, जिला रायगढ़	10483/ 21.08.2014	एम.एस. इंगाट	91.28	02.05.2005 से 01.05.2015	12135/ 25.06.2016
8.	मेसर्स बांके बिहारी इस्पात प्रा0लि0, जिंदल औ0पार्क पूंजी पथरा, तह0 तमनार, जिला रायगढ़	11273/ 08.09.2014	एम.एस. इंगाट	70.88	15.05.2005 से 14.05.2015	12138/25.06.2016
9.	मेसर्स गंगा इस्पात प्रा0लि0, जिंदल औ0 पार्क पूंजी पथरा, तह0 तमनार, जिला रायगढ़	10478/ 21.08.2014	एम.एस. इंगाट	96.50	28.04.2005 से 27.04.2015	12141/ 25-06-2016
10.	मेसर्स यूरेका आयरन एण्ड एनजी प्रा0लि0, जिंदल औ0पार्क पूंजी	11272/ 08.09.2014	एम.एस. इंगाट	70.23	01.11.2005 से 30.10.2015	12144/ 25.06.2016

(दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक)						
क्र.	**आवेदक इकाई का नाम व पता**	**आवेदन प्राप्ति क्रमांक एवं दिनांक/नस्ती क्रमांक**	**उत्पाद**	**प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (रू. लाखों मे)**	**उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक**	**निराकरण का दिनांक**
	पथरा, तह0 तमनार, जिला रायगढ़					
11.	मेसर्स यू0बी0 वेन्चर्स प्रा0लि0, औ0क्षेत्र नयनपुर गिरवरगंज,	8479/ 21.04.2015	टी0एम0टी0 बार एण्ड राउण्ड	405.22	01.08.2012 से 31.07.2019	12170/ 25-06-2016
12.	मेसर्स मनमीत इस्पात प्रा0लि0, प्लाट नं. 10, हल्का औ0क्षेत्र भिलाई जिला दुर्ग	7401/23.5.2015	एम.एस.इंगाट एण्ड बिलेट्स	237.75	17.07.2010 से 16.07.2015	12176/ 25-06-2016
13.	मेसर्स राशि स्टील एण्ड पावर लिमि0, ग्राम पाराघाट, जिला बिलासपुर	9223/10.6.2016	आयरन ओर पैलेट	1132.60	13.12.2014 से 12.12.2014	15373/10-08-2016
14.	मेसर्स श्री बजरंग मेटालिक्स एण्ड पावर लिमि. (वर्तमान नाम श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि.) गोंदवारा, औ.क्षेत्र उरला, रायपुर	13044/03-12-2013	टी.एम.टी. बार, पॉवर जनरेशन	110.08 करोड़	27.10.2008 (11.03.2003) से 10.03.2018	16467/ 30-08-2016
15.	मेसर्स सूर्योदय, वायर्स, सिलतरा,	16930/2-12-2015	जी0आई0 वायर	76.50	08.01.2011 से 07.01.2016	17253/15-06-2016

(दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक)						
क्र.	**आवेदक इकाई का नाम व पता**	**आवेदन प्राप्ति क्रमांक एवं दिनांक/नस्ती क्रमांक**	**उत्पाद**	**प्लांट एवं मशीनरी में पंूजी निवेश (रू. लाखों मे)**	**उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक**	**निराकरण का दिनांक**
16.	मेसर्स राधास्वामी राईस मिल, ग्राम तुलसी, पो0 नेवरा, जिला रायपुर	8812/14.07.2014	राईस, ब्रोकन राईस, ब्रान	68.29 लाख	27.04.2006 से 26.04.2016	17256/15-09-2016
17.	मेसर्स अनुज राईस मिल प्रा0लि0, औ0क्षेत्र उरला, रायपुर	4782/06-04-2015	राईस, ब्रोकन राईस, राईस ब्रान	236.00	16.06.2008	17489/22-09-2016
18.	मेसर्स सांईराम स्टील्स प्रा0लि0, औ0पार्क पूंजीपथरा, जिला रायगढ़	10477/21.8.2014	एम.एस.इंगाट	81.15	23.06.2006	17500/22.092016
19.	मेसर्स अंकित इलेक्ट्रोगेरिंग, गोदवारा, वि.खं. धरसीवा, रायपुर	13587/ 26.9.2015	फेब्रीकेटेड मेटल	159.15	28.05.2012	17655/24.09.2016
20.	मेसर्स जय माता दी पेपर मिल्स प्रा.लि., ग्राम तरपोंगी, तिल्दा, जिला रायपुर	14767/ 16.10.2015	क्राफ्ट पेपर	303.31	15.05.2011	17797/26.09.2016
21.	मेसर्स सूर्या फीड्स प्रा0लि0, ग्राम गोढी, तह0 आरंग, जिला रायपुर	1383/ 22.01.2016	पोल्ट्री एंड केटल फीड	88.00	20.08.2008 से 19.08.2018	19061/14.10.2016
22.	मेसर्स प्रगति पाईप इंण्ड. औ.क्षेत्र उरला,	12717/ 09.09.2015	ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, एच.डी.पी.ई. स्प्रिंगकलर इरीगेशन	211.00	18.06.2014 से 17.06.2021	21243/ 23-11-2016

(दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक)						
क्र.	**आवेदक इकाई का नाम व पता**	**आवेदन प्राप्ति क्रमांक एवं दिनांक/नस्ती क्रमांक**	**उत्पाद**	**प्लांट एवं मशीनरी में पंूजी निवेश (रू. लाखों मे)**	**उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक**	**निराकरण का दिनांक**
	धरसींवा, जिला रायपुर		सिस्टम, एच.डी.पी.ई. एवं पी.व्ही.सी.पाईप फिटिग्स			
23.	मेसर्स पिलानिया इण्ड. इंडिया प्रा.लि., प्लाट नं. 43, भारी औ.क्षे. भिलाई, जिला दुर्ग	11446/ 11.08.2015	टी.एम.टी. बार, वायर रॉड	852.00	29.04.2010 से 28.04.2015	21340/ 25-11-2016
24.	पंजवानी फुड्स, ग्राम तुलसी, पो. नेवरा, वि.खं. तिल्दा, जिला रायपुर	8810/ 14-07-2016	राईस, ब्रोकन राइस, राईस ब्रान	50.16 करोड़	30.10.2010 से 29.10.2020	21622/ 29-11-2016
25.	मेसर्स विनायक इंटरप्राईजेस, औ.क्षे. नयनपुर गिरवरगंज जिला सूरजपुर (छ.ग.)	6073/ 29.04.2015	आक्सीजन गैस, नाईट्रोजन गैस	125.65 लाख	05.04.2012 से 04.04.2019	22102/ 05-12-2016
26.	मेसर्स इकोरेक्स बिल्डटेक प्रा0लि0, ग्राम -भुरवाडीहखुर्द, तहसील- तिल्दा, जिला- रायपुर	14705/ 17.08.2016	आटोक्लेव्ड एरेटेड कांक्रीट व्लाक्स	1931.61	28.11.2014 से 27.11.2019	23090/ 22-12-2016
27.	मेसर्स सतनाम इण्डस्ट्रीज, ग्राम-पारागांव, वि.खं.-	10139/ 30.06.2016	राइस राव,राईस परबाईल्ड, ब्रोकन राइस, राइस ब्रॉन	224.56	26.09.2008 से 25.06.2018	23097/ 22-12-2016

(दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक)						
क्र.	**आवेदक इकाई का नाम व पता**	**आवेदन प्राप्ति क्रमांक एवं दिनांक/नस्ती क्रमांक**	**उत्पाद**	**प्लांट एवं मशीनरी में पंूजी निवेश (रू. लाखों मे)**	**उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक**	**निराकरण का दिनांक**
	अभनपुर,, जिला रायपुर					
28.	मेसर्स जी0आर0 मिनरल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, प्रा0लि0, फेस-2, औ. क्षेेेत्र सिलतरा, वि.ख.-धरसीवां, जिला-रायपुर	1399/ 28.01.2015	फेरो एलॉय एवं सिलिको मैगनीज एवं कास्ट आय	74.31	27.04.2007 से 26.04.2017	23229/ 23-12-2016
29.	मेसर्स जी0आर0 मेटालिक्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, प्रा0लि0, फेस-2, औ. क्षेेेत्र सिलतरा, वि.ख.-धरसीवां, जिला-रायपुर	1398/ 28.01.2015	आयरन ओर पैलेट्स	932.86	21.05.2011 **से** 20.05.2016	23226/ 23-12-2016
30.	मेसर्स श्री सुदर्शन स्टील, औ. क्षेत्र उरला, वि.खं. धरसींवा, जिला रायपुर	12788/ 10-09-2015	रि-रोल्ड्स प्रोडक्ट (बार, रॉड, एंगल्स)	75.11	04.07.2012 से 03.07.2017	213/04-01-2017
31.	मेसर्स भारत इण्डस्ट्रीज, ग्राम सड्डू, शिवाजी पार्क के पास, वि.खं. धरसींवा, रायपुर	1903/ 02.02.2016	कोरोगेटेड बाक्सेस, फाइल कव्हर एंड बोर्ड, रजिस्टर एवं एक्सरसाईज नोट बुक	25.49	07.10.2008 से 06.10.2018	216/ 04-01-2017

(दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक)						
क्र.	आवेदक इकाई का नाम व पता	आवेदन प्राप्ति क्रमांक एवं दिनांक/नस्ती क्रमांक	उत्पाद	प्लांट एवं मशीनरी में पंूजी निवेश (रू. लाखों मे)	उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	निराकरण का दिनांक
32.	मेसर्स सनटेक जियोटेक्स टाईल प्रा0लि0, ग्राम नाथुनवागांव, तह0 डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	2642/ 11.02.2016	जियोटेक्सटाइल्स फेब्रिक्स	388.38	08.04.2014 से 07.04.2024	221/ 05-01-2017
33.	मेसर्स महामाया फुड्स, भोथली रोड कुरूद, जिला धमतरी	15966/ 20.9.2016	राईस, ब्रोकन राइ्स, ब्रान	468.40	09.06.2015 से 08.06.2022	232/ 05-01-2017
34.	मेसर्स राजश्री एग्रो फुड्स प्रा.लि., ग्राम कपसदाखार, तह. धमधा, जिला दुर्ग	17037/ 21.10.2016	Macaroni noudles cousecous and similar farinaccous products' manufacturing service] Vermecilli	66.72	29.09.2015 से 28.09.2020	236/ 05-01-2017
35.	मेसर्स वरू एंड सन्स कोल्ड स्टोरेज, ग्राम घोरदा, वि.खं. डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	16995/ 18.10.2016	कोल्ड स्टोरेज सर्विसेस	105.05	29.06.2013 से 28.06.2020	682/ 07-01-2017
36.	मेसर्स वेदान्त पॉली एग्रो, 19-21, औ. संस्थान, जिला राजनांदगांव	12011/ 24-09-2014	एच.डी.पी.ई. पाईप्स, पी.व्ही.सी. पाईप्स, पाईप फिटिंग	125.22	06.04.2012 से 05.04.2017	1110/ 12-01-2017

(दिनांक 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक)						
क्र.	आवेदक इकाई का नाम व पता	आवेदन प्राप्ति क्रमांक एवं दिनांक/नस्तीक्रमांक	उत्पाद	प्लांट एवं मशीनरी में पंूजी निवेश (रू. लाखों मे)	उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक से पात्रता अवधि	निराकरण का दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	मेसर्स इन्द्रा पॉवरजेन प्रा.लि., औ. क्षेत्र नयनपुर, गिरवरगंज, तह. व जिला सूरजपुर	18590/ 07-12-2016	बायोमॉस आधारित विद्युत उत्पादन 10 मेगावाट	2898.00	19.09.2009 से 18.09.2024	9029/ 26.04.2017
2.	मेसर्स ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पॉवरटेक प्रा.लि., औ. विकास केंद्र, सिलतरा, फेस-2, जिला रायपुर	16-01-2015	एम.एस. स्टील, इनगाट एण्ड बिलेक्ट, पॉवर	91.18	09.06.2006 से 08.06.2016	11641/ 31.05.2017
3.	मेसर्स सपना स्टील्स यूनिट-2, ग्राम सरोरा, वि.खं. धरसीवा, जिला रायपुर	18246/ 25-11-2016	एम.एस. इनगाट/बिलेक्ट,	169.65	01.09.2015 से 31.08.2020	16016/ 16.08.2017
4.	मेसर्स भवानी हाईटेक स्टील एण्ड पावर प्रा.लि., ग्राम अछोली, वि.खं. धरसींवा, जिला रायपुर	18248/ 25-11-2016	एम.एस. नान एलायज स्टील, सी.आई. इंगाट मोल्ड्स	108.60	06.05.2015 से 05.05.2020	16342/ 22.08.2017
5.	मेसर्स वाधवा ग्लास वर्क्स प्रा.लि., जे.एस.के. मेटल्स के पास हीरापुर रोड, ग्राम बेन्द्री, पो. उरला, वि.खं.	18999/ 15-12-2016	ग्लास टफन्ड	495.24	14.09.2015 से 13.09.2020	16345/ 22-08-2017

(दिनांक 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक)						
क्र.	आवेदक इकाई का नाम व पता	आवेदन प्राप्ति क्रमांक एवं दिनांक/नस्तीक्रमांक	उत्पाद	प्लांट एवं मशीनरी में पंूजी निवेश (रू. लाखों मे)	उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक से पात्रता अवधि	निराकरण का दिनांक
	धरसींवा, जिला रायपुर					
6.	मेसर्स कल्पतरू पॉवर ट्रांसमिशन लिमि., पुराना धमतरी रोड, ग्राम खोरपा, तह. अभनपुर, जिला रायपुर	159/ 04-01-2017	ट्रांसमिशन लाईन टावर पार्ट	51.32 करोड़	01.03.2013 से 28.02.2016	16348/ 22-08-2017
7.	मेसर्स एस.एस. राइ्रस प्रोडक्ट्स, ग्राम मोहतरा, वि.खं. मस्तुरी, जिला बिलासपुर	3507/ 21-03-2017	ब्रान राईस, गोला, राईस ब्रोकन, राईस हस्क, राईस रॉ	70.95	06.12.2016 से 05.12.2023	16486/ 23-08-2017
8.	मेसर्स इण्डस्ट्रीयल टूल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स इंडिया प्रा.लि., प्लाट नं.-30 ई एवं एफ, सेक्टर-ए, औ.क्षेत्र सिरगिट्टी, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर	322/ 06-01-2017	नूडल्स, मेक्रोनी पापड़	92.61	25.05.2015 से 24.05.2022	16491/ 23-08-2017
9.	मेसर्स सालासर पॉलीमर्स, ग्राम परसदा, वि.खं. धरसींवा, जिला बिलासपुर	18441/ 02-12-2016	प्लास्टिक/पॉलीथिन ग्रेन्युअल	51.77	17.11.2015 से 16.11.2020	16494/ 23-08-2017

(दिनांक 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक)						
क्र.	आवेदक इकाई का नाम व पता	आवेदन प्राप्ति क्रमांक एवं दिनांक/नस्तीक्रमांक	उत्पाद	प्लांट एवं मशीनरी में पंूजी निवेश (रू. लाखों मे)	उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक से पात्रता अवधि	निराकरण का दिनांक
10.	मेसर्स मूर्ति राईस मिल, चरमुड़िया रोड कुरूद, जिला धमतरी	3841/ 20-03-2014	परबायल्ड राईस, रॉ राईस, ब्रोकन राईस	99.00	25.12.2004 से 24.12.2014	16860/ 31-08-2017
11.	मेसर्स श्री बालाजी फूड, ग्राम किरारी, वि.खं. मस्तुरी, जिला बिलासपुर	5798/ 23-05-2017	ब्रान राईस, राईस ब्रोकन, राईस रा	81.70	09.03.2016 से 08.03.2023	16865/ 31-08-2017
12.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्रा.लि., युनिट-2, ग्राम अमलीडीह, वि.खं. डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	17059/ 21-10-2016	सोया डी.ओ.सी., क्रुड आयल, रिफन्ड आयल, पेट फिड	75.14	17.12.2013 से 16.12.2023	16868/ 31-08-2017

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कोल आबंटन अनुशंसा इकाईयों की सूची

1.	मेसर्स विष्णु शैलेक फैक्ट्री, यूनिट-2, ग्राम-सक्ती, जिला- जांजगीर-चांपा,	72.00 मे0 टन
2.	मेसर्स विष्णु शैलेक फैक्ट्री, ग्राम- सक्ती, तहसील- सक्ती, जिला- जांजगीर- चांपा	245.00 मे0 टन
3.	मेसर्स चेम्पियन रिफ्राटेक प्रा.लि. ग्राम-सिवनी, चांपा जिला-जांजगीर चांपा	2086.00
4.	मेसर्स राज इण्डस्ट्रीज, ग्राम- सिवनी, तहसील- चांपा, जिला- जांजगीर- चांपा	1275.00 मे0 टन

5.	मेसर्स जय अम्बे लाईम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- खम्हरिया, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा	3998.00 मे0 टन
6.	मेसर्स ब्राईट इण्डस्ट्रीज, ग्राम- खम्हरिया, जिला- बलौदाबाजार	3348.00 मे0 टन
7.	मेसर्स शिवा लाइम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- मसनियाकला, जिला- जांजगीर- चांपा	1283.00 मे0 टन
8.	मेसर्स दहमी इण्डस्ट्रीज, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	1947.00 मे0 टन
9.	मेसर्स एम.एस.व्ही. इन्जीकॉन प्रा.लि., ग्राम- धमनी, जिला- मुंगेली	4020.00 मे0 टन
10	मेसर्स केल्शीथर्म इंजिनियर्स प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस- 1, रायपुर	510.00 मे0 टन
11.	मेसर्स श्याम ट्रेड लिंक, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	1743.00 मे0 टन
12.	मेसर्स मंगल इण्डस्ट्रीज, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	3129 मे0 टन
13.	मेसर्स श्याम लाईम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- मसनियाकला, जिला- जांजगीर चांपा	893.00 मे0 टन
14.	मेसर्स स्टार एलायज एण्ड केमिकल्स प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा	2463.00 मे0 टन
15.	मेसर्स चांपा ब्रिक्स, ग्राम- कुदरी, चांपा, जिला- जांजगीर चांपा	550.00 मे0 टन
16.	मेसर्स बालाजी लाईम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- मसनियाकला, जिला- जांजगीर चांपा	3634.00 मे0 टन
17.	मेसर्स राधाकृष्णा लाइम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- मसनिया कला, तहसील- सक्ती, जिला- जांजगीर- चांपा	336.00 मे0 टन

18.	मेसर्स राधावल्लभ लाइम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- मसनियाकला, जिला- जांजगीर- चांपा	1448.00 मे0 टन
19.	मेसर्स महामाया केल्शिनेंशस, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, जिला- बिलासपुर	3419.00 मे0 टन
20.	मेसर्स महामाया मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्लांट नं0 18/ए-4, भारी औ0क्षेत्र, भिलाई जिला- दुर्ग	-
21.	मेसर्स जय माता दी ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम- थोर, जिला- सरगुजा	125.00 मे0 टन
22.	मेसर्स रॉयल उद्योग, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	2100.00 मे0 टन
23.	मेसर्स क्वालिटी स्टील्स, प्लाट नं. 57/बी., औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला-दुर्ग	885.00 मे0 टन
24.	मेसर्स पिलानिया स्टील्स, प्रा0लि0, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला-दुर्ग	391.00 मे0 टन
25.	मेसर्स शारदा इन्शुलेशन एण्ड रिफ्रेक्टरीज, ग्राम - घुटिया, तहसील- बलौदा, जिला- जांजगीर चांपा	858.00 मे0 टन
26.	मेसर्स मनियारी माईनकेन, ग्राम- धमनी जिला- मुंगेली	2667.00 मे0 टन
27.	मेसर्स दीपक इण्ड., औद्योगिक क्षेत्र भिलाई, जिला-दुर्ग	3029.00.74 मे0 टन
28.	मेसर्स श्री नारायण इण्डस्ट्रीज, ग्राम - सिवनी, चांपा, जिला- जांजगीर चांपा	3840.00 मे0 टन
29.	मेसर्स एस.पी. सीमेंट वर्क्स, औद्योगिक प्रक्षेत्र चांपा, जिला- जांजगीर चांपा	3840.00 मे0 टन

30.	मेसर्स नीतू ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम- सूर,तह0-सीतापुर, जिला-सरगुजा	171.00 मे0 टन
31.	मेसर्स गुप्ता ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम - सोनतराई, तहसील- सीतापुर जिला- सरगुजा	154.00 मे0 टन
32.	मेसर्स जी. एस. रिफ्रेक्ट्रीज, ग्राम- शंकरगढ़, तहसील- मनेन्द्रगढ़, जिला- कोरिया	3697.00 मे0 टन
33.	मेसर्स चेम्पियन सिरामिक्स,औद्योगिक प्रक्षेत्र चांपा, जिला- जांजगीर- चापंा	1920.00 **एम.टी.**
34.	मेसर्स मां महामाया ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम- पचिरा, तहसील व जिला- सूरजपुर	173.00 मे0 टन
35.	मेसर्स जगमोहन ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम- नयनपुर, तहसील व जिला- सूरजपुर	224.00 मे0 टन
36.	मेसर्स श्री अमर ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम- सोनवाही, जिला- सूरजपुर	216.00 मे0 टन
37.	मेसर्स एस.के.आर. ब्रिक्स, ग्राम- नारायणपुर, तहसील व जिला- सूरजपुर	176.00 मे0 टन
38.	मेसर्स अमन ईंट उद्योग, ग्राम- पेण्डरखी, तहसील व जिला- सूरजपुर	168.00 मे0 टन
39.	मेसर्स अर्थव ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम-दतिमा, तहसील व जिला- सूरजपुर	169.00 मे0 टन
40.	मेसर्स सिंघल ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम- महेशपुर, जिला- सूरजपुर	224.00 मे0 टन
41.	मेसर्स शनी ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम- रामनगर, पोस्ट- विश्रामपुर, जिला- सूरजपुर	249.00 मे0 टन
42.	मेसर्स अट्ठूमल कान्ट्रेक्टर, ग्राम- कुम्हारी, तहसील- धमधा, जिला- दुर्ग	200.00 मे0 टन

43.	मेसर्स जयकुमार बजाज एण्ड सन्स, ग्राम- भालेसर, तहसील- बेरला, जिला- बेमेतरा	376.00 मे0 टन
44.	मेसर्स राकेश ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम-पचिरा, जिला- सूरजपुर	245.00 मे0 टन
45.	मेसर्स अरपा ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम- लावर, तहसील- मस्तुरी, जिला- बिलासपुर	414.00 मे0 टन
46.	मे0 रामा पावर एण्ड स्टील प्रा0 लिमि0 तेन्दुआ, हीरापुर रोड, रायपुर	90990.72
47.	मेसर्स उमेश कुमार भावनानी, ग्राम- कुम्हारी, तहसील- धमधा, जिला- दुर्ग	331.00 मे0 टन
48.	मेसर्स सुरेश कुमार भावनानी, ग्राम- कुम्हारी, तहसील- धमधा, जिला- दुर्ग	439 मे0 टन
49.	मेसर्स मांझी ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम- मेण्ड्राखुर्द,, जिला- सरगुजा	330.00 मे0 टन

संचालनालय द्वारा इकाईयों को कोल आबंटन हेतु जारी अनुषंसा की जानकारी वर्ष 2017-18

क्र.	इकाई का नाम व पता	वर्ष 2017-18 हेतु अनुशंसा (मे0 टन)
1	2	13
1	मेसर्स ब्राईट इण्डस्ट्रीज, ग्राम- खम्हरिया, जिला- बलौदाबाजार	**3446.00 मे0 टन**
2	मेसर्स एम.एस.व्ही. **इ**न्जीकॉन प्रा.लि., ग्राम- धमनी, जिला- मुंगेल	**3790.00 मे0 टन**
3	मेसर्स स्टार एलायज एण्ड केमिकल्स प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा	**2207.00 मे0 टन**
4	मे0 रामा पावर एण्ड स्टील प्रा0 लिमि0 तेन्दुआ, हीरापुर रोड, रायपुर	**2306.00**
5	मेसर्स महामाया केल्शिनेंशस, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, जिला- बिलासपुर	**2477.00 मे0 टन**
6	मेसर्स राज इण्डस्ट्रीज, ग्राम- सिवनी, तहसील- चांपा, जिला- जांजगीर- चांपा	**1250.00 मे0 टन**
7	मेसर्स राधाकृष्णा लाइम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- मसनिया कला, तहसील- सक्ती, जिला- जांजगीर- चांपा	**994.00 मे0 टन**
8	मेसर्स विष्णु शैलेक फैक्ट्री, ग्राम- सक्ती, तहसील- सक्ती, जिला- जांजगीर- चांपा	**209.00 मे0 टन**
9	मेसर्स शिवा लाइम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- मसनियाकला, जिला- जांजगीर- चांपा	**1327.00 मे0 टन**
10	मेसर्स बालाजी लाईम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- मसनियाकला, जिला- जांजगीर चांपा	**3415.00 मे0 टन**
11	मेसर्स श्याम लाईम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- मसनियाकला, जिला- जांजगीर चांपा	**944.00 मे0 टन**

12	मेसर्स राधावल्लभ लाइम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- मसनियाकला, जिला- जांजगीर- चांपा	**995.00 मे0 टन**

स्टाम्प शुल्क से छूट भूमि एवं भवन

01.04.2016 से 31.03.2017 तक प्राप्त प्रकरणों का विवरण

क्र0	इकाई का नाम	प्राप्ति दिनांक	वर्तमान स्थिति	मीटिंग तिथि
1	2	3	4	5
1	मे. अनिमेष बलौदाबाजार	12.05.2016	प्रमाण पत्र जारी 25.10.2016 पुनः संषोधित 09.05.2017	08.10.2016 एवं 01.04.2017
2	मे. महेन्द्रा पावर जांजगीर-चांपा	27.05.2016		13.02.2017 एवं 15.03.2017 प्रमाण पत्र जारी 328.04.2017
3	मे. रामा उद्योग रायपुर	30.06.2016	प्रमाण पत्र जारी 30.03.2016	29.03.2017
4	मे. कर्नाटका पावर जांजगीर	11.07.2016	प्रमाण पत्र जारी 05.08.2016	28.07.2016
5	मे. जांजगीर थर्मल पावर जांजगीर	08.09.2016	प्रमाण पत्र जारी 23.11.2016	15.09.2016, 24.09.2016, 23.11.2016
6	मे. एन.आर. टीएमटी रायगढ़	24.09.2016	प्रमाण पत्र जारी 15.12.2016	21.10.2016
7	मे. परम पूज्य सोलर	27.09.2016	प्रमाण पत्र जारी 09.12.2016	29.10.2016 01.12.2016
8	मे. सिवाना स्टील रायगढ़	07.02.2017	प्रमाण पत्र जारी 20.03.2017	23.02.2017 एवं 17.03.2017

स्टाम्प शुल्क से छूट भूमि एवं भवन

01.04.2017 से 03.10.2017 तक प्रमाण पत्र जारी

क्र0	इकाई का नाम
1	2
1	मे. आरकस बायोकॉन राजनांदगांव
2	मे. अजय इंगाट रायगढ़
3	मे. माषिवा स्टील एण्ड एलायूज रायगढ़
4	श्री श्याम लीजिंग रायपुर
5	मे. लता बांग रायपुर
6	मे. रायपुर फ्रेगट रायपुर

7	मे. शताब्दी लीजिंग रायपुर
8	मे. श्री इन्फ्रास्टक्चर रायपुर

प्रवेश कर भुगतान से छूट एवं वाणिज्यिक कर

01.04.2016 से 31.03.2017 तक प्राप्त प्रकरणों का विवरण

क्र0	इकाई का नाम	प्राप्ति दिनांक	वर्तमान स्थिति	मीटिंग तिथि
1	2	3	4	5
1.	मे0 डी.बी. पावर जांजगीर-.चांपा			
2.	मे. रोजर पावर टेक्नो. रायपुर			
3.	मे. श्री रायपुर सीमेन्ट प्लांट ग्राम-खपराडीह, सिमगा, बलौदाबाजार-भाटापारा	16.12.2016	प्रवेशकर पात्रता प्रमाण पत्र हेतु	58 वीं. बैठक 25.04.2017 पत्र जारी 09.05.2017 अनुबंध अपेक्षित
4.	मे. एबीस एक्सपोर्ट (इं) प्रा0लि0 यूनिट-2, ग्राम अमलीडीह राजनांदगांव	07.01.2017	प्रवेशकर पात्रता प्रमाण पत्र हेतु	58 वीं. बैठक 25.04.2017 पत्रता प्रमाण पत्र जारी 04.08.2017
5.	मे. जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट लिमि. ग्राम मलपुरीखुर्द, खासाडीह, धमधा जिला-दुर्ग	11.01.2017	प्रवेशकर पात्रता प्रमाण पत्र हेतु	58 वीं. बैठक 25.04.2017 पत्र जारी 09.05.2017 अनुबंध प्राप्त । रोजगार एवं पुनर्वास के संबंध में जानकारी अपेक्षित ।

पूंजीगत निवेष प्रोत्साहन सहायता अनुदान

01.04.2016 से 31.03.2017 तक प्राप्त प्रकरणों का विवरण

क्र0	इकाई का नाम	प्राप्ति दिनांक	वर्तमान स्थिति	मीटिंग तिथि
1	2	3	4	5
1.	मे. एबीस एक्सपोर्ट (इं) प्रा0लि0 यूनिट-2, ग्राम अमलीडीह राजनांदगांव	20.07.2016	329 दिनांक 29.03.2017 को प्रमाण पत्र जारी संषोधित प्रमाण पत्र 22.05.2017 को जारी	21.03.2017 एवं 24.03.2017

2.	मे. विवेक एग्रोटेक (प्रा0)लि0 ग्राम-बोरिदकला, गुरूर जिला-बालोद	25.07.2016	328 दिनांक 29.03.2017 को प्रमाण पत्र जारी संषोधित प्रमाण पत्र 22.05.2017 को जारी	21.03.2017 एवं 24.03.2017
3.	मे. एस.के. साल्वेंट (इं) प्रा0लि0 ग्राम-रसनी, विकासखण्ड-आरंग, रायपुर	21.10.2016	327 दिनांक 29.03.2017 को प्रमाण पत्र जारी संषोधित प्रमाण पत्र 24.05.2017 को जारी	21.03.2017 एवं 24.03.2017

मंडी शुल्क से छूट

01.04.2016 से 31.03.2017 तक प्राप्त प्रकरणों का विवरण

क्र0	इकाई का नाम	प्राप्ति दिनांक	वर्तमान स्थिति	मीटिंग तिथि
1	2	3	4	5
1.	मे. एबीस एक्सपोर्ट (इं) प्रा0लि0 यूनिट-2, ग्राम अमलीडीह राजनांदगांव	20.07.2016	59 दिनांक 23.01.2017 को प्रमाण पत्र जारी	02.11.2016 एवं 11.11.2016

बंद एवं बीमार उद्योग के अन्तर्गत पंजीयन शुल्क से छूट भूमि एवं भवन

01.04.2016 से 31.03.2017 तक प्राप्त प्रकरणों का विवरण

क्र0	इकाई का नाम	प्राप्ति दिनांक	वर्तमान स्थिति	मीटिंग तिथि
1	2	3	4	5
1.	मे. अनिमेष बलौदाबाजार	12.05.2016	प्रमाण पत्र जारी 25.10.2016 पुनः संषोधित 09.05.2017	08.10.2016 एवं 01.04.2017
2.	मे. महेन्द्रा पावर जांजगीर-चांपा	27.05.2016	प्रमाण पत्र जारी 28.04.2017	13.02.2017 एवं 15.03.2017 प्रमाण पत्र जारी 28.04.2017
3.	मे. रामा उद्योग रायपुर	30.06.2016 पुनः प्रस्तुत 21.03.2017	वापस दिनांक 30.10.2017 प्रमाण पत्र जारी 30.03.2016	29.03.2017

1	SHRI BALAJI INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED	Chhattisgarh	Durg	Approved	Acknowledgement Generated	06/10/2016	22/11/2016
2	janvi rcc precast industries	Chhattisgarh	Bilaspur	Approved	Acknowledgement Generated	24/11/2016	20/12/2016

3	Tirumala Balaji Smelters Private Limited	Chhattisgarh	Durg	Approved	Acknowledgement Generated	28/11/2016	20/12/2016
4	BSL FREIGHT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	Chhattisgarh	Dhamtari	Approved	Acknowledgement Generated	05/01/2017	09/02/2017
5	VAKRANGEE PACKAGING LLP	Chhattisgarh	Raipur	Approved	Acknowledgement Generated	06/03/2017	28/03/2017
6	KRIPAL ENTERPRISES	Chhattisgarh	Durg	Approved	Acknowledgement Generated	09/01/2017	28/03/2017
7	NRTMT (India) Pvt. Ltd.	Chhattisgarh	Raigarh	Approved	Acknowledgement Generated	27/03/2017	27/08/2017
8	SHREE VASU LOGISTICS PVT. LTD. UNIT 1	Chhattisgarh	Raipur	Approved	Acknowledgement Generated	08/08/2017	27/08/2017
9	SHREE VASU LOGISTICS PVT. LTD. UNIT 2	Chhattisgarh	Raipur	Approved	Acknowledgement Generated	16/08/2017	20/09/2017
10	Tirumala Balaji Smelters Private Limited	Chhattisgarh	Raipur	Approved	Acknowledgement Generated	06/09/2017	20/09/2017

फोरम से प्राप्त निर्णयानुसार लागत- स्थाई पूंजी निवेश अनुदान के प्रकरण

क्र.	अनुदान प्रकरण
1	मेसर्स एस.बी. कढ़ाही, ग्राम- पतेराटोला, पेण्ड्रारोड, जिला- बिलासपुर
2.	मेसर्स श्याम शक्ति फ्लाई एश ब्रिक्स, ग्राम- गुरनबोड़, जिला- बेमेतरा
3	मेसर्स छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग, सरोरा, जिला- रायपुर
4.	मेसर्स सुराना खाण्डसारी प्रोडक्ट प्रा.लि., ग्राम- कण्डरका, तहसील- बेरला, जिला- बेमेतरा
5.	मेसर्स सिंह रूरल इण्ड0 बेमेतरा
6.	मेसर्स छाबड़ा इण्ड., प्लांट नं. 107, सेक्टर-बी, औद्योगिक क्षेत्र-सिरगिट्टी, जिला- बिलासपुर
7.	मेसर्स शिवम् हाईटेक स्टील्स प्रा.लि., भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, दुर्ग
8.	मेसर्स मां देवसर भवानी, प्लांट नं. 16, भारी औद्योगिक क्षेत्र- भिलाई, जिला- दुर्ग
09	मेसर्स रेडियेंट इण्ड0 पुरई रोड, ग्राम उतई, भिलाई, दुर्ग

10	मेसर्स ओमकमल इण्ड., भारी औद्योगिक क्षेत्र, दुर्ग
11	मेसर्स इफेक्टिव इंटर प्राइजेस प्रा.लिमि. भारी औ0क्षेत्र, हथखोज, भिलाई, दुर्ग
12	मेसर्स गंगा एण्ड उमा इंटरप्राइजेस प्रा.लि., ग्राम- खेदामारा, जिला- दुर्ग
13	मेसर्स विठ्ठल पैकेजिंग प्रा.लि., ग्राम- चंद्रखुरी, जिला- दुर्ग
14	मेसर्स आदित्य स्टील्स औ0क्षेत्र भिलाई, दुर्ग
15	मेसर्स सोहम् फार्मास्युटिकल्स, दल्लीराजहरा, जिला- बालोद
16	मेसर्स अंबे इण्डस्ट्रीज, जिला- अंबिकापुर

अध्याय 15 (मैनुअल 14)
इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें
Chapter- 15 (Maanual 14)
Information available in an elctronic

वर्तमान में उद्योग विभाग की समस्त सूचनाऐं विभागीय वेबसाईट
www.industries.cg.gov.in

एवं उद्योग संचालनालय की ई-मेल आई डी
dtic-directorate.cg@gov.in

की सुविधाए उपलब्ध है।

अध्याय - 16 (मैनुअल - 15)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध

सुविधाओं का विवरण
Chapter 16 (Manual-15)

Particulars of the facilities available to citizens for obtaining information

obtaining information

बिन्दु क्रमांक 17 सी का **XV**

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग व्दारा की गयी व्यवस्था का विवरण:-

विभागीय वेबसाईड www.industries.cg.gov.in की साईड में विभाग के समस्त जानकारी एवं अधिसूचनाए अपलोड है, एवं अधिसूचनाए जारी होते ही अपलोड हो जाती है। उक्त सुविधा का लाभ जन सामान्य कही भी रहकर उठा सकता है।

उद्योग संचालनालय के पुस्तकालय में विभागीय नियमों व संबंधित विभिन्न अधिनियम की पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका अवलोकन, अध्ययन किया जा सकता है।

विभाग में होने वाली रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के पंजीयन हेतु सूचना आदि समय-समय पर अखबारों के व्दारा विज्ञापित की जाती है ।

राज्योत्सव के अवसर पर विभिन्न जिलों में आयोजित सांस्कृतिक मेलों में प्रदर्शनी तथा स्टाल लगाकर विभागीय क्रियाकलापों की जानकारी दी जाती है ।

विभागीय सूचनाएं आम जनता की जानकारी हेतु सूचना पटल पर चस्पा की जाती है ।

कार्यालयीन अभिलेखों का निरीक्षण कार्यालय अवधि में किया जा सकता है ।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में विहित विधि के अनुसार आम जनता को कार्यालयीन दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जा सकती है ।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संचालनालय का मेनुअल तैयार किया गया है जो आम जनता की जानकारी के लिए उपलब्ध है ।

राज्य के प्रत्येक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में जिला कार्यालयों संबंधित मैनुअल बनाये गये है ।

अध्याय - 17 (;मैनुअलु- 16)
अन्य उपयोगी जानकारिया

प्रश्नः- उद्योग की स्थापना के लिए पंजीयन कैसे करें?

उत्तरः- उद्योग संचालनालय की विभागीय आॅनलाईन सुविधा के तहत् प्रत्येक उद्यमी विभागीय वेबसाईड www.industries.cg.gov.in में जाकर स्वयं पंजीयन कर सकता है।
अर्थात उद्यम आकांक्षा एवं उद्यम आधार का कार्य स्वयं कर सकता है।

प्रश्नः- उद्योग स्थापना के लिए आनलाईन पंजीयन करते समय आने वाली समस्याओं का निपटारा कैसे करें ?

उत्तरः- उद्योग स्थापना के लिए आनलाईन पंजीयन करते समय आने वाली समस्याओं की सूचना प्रत्येंक जिला में स्थापित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में जाकर अपनी समस्याओं का निपटारा किया जा सकता है।

प्रश्नः- ऐसी समस्याए जिसका निपटारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में नहीं हो पा रही हो का समाधान कैसे किया जावे ?

उत्तरः- उद्योग संचालनालय में उद्योगों के संबंध में आने वाली समस्याओं का निपटारा करने के लिए एम.एस.एम.ई. हेल्फलाईन का काउन्टर स्थातिप किया गया है। जिसमें संचालनालयीन स्तर के अधिकारी की बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही उद्योग **टोल-फ्री हेल्फलाईन 1800-2333943** में सम्पर्क करके समस्याओं का निपटारा किया जा सकेगा।

प्रश्नः-		सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन कैसे करे?

उत्तरः-		सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालयों में उपलब्ध जानकारी प्राप्त करने हेतु जिस कार्यलय से जानकारी चाही गई हो नीचे दर्शाए अनुसार आवेदन किया जा सकता है:-

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी,

उद्योग संचानलाय रायपुर

(छ.ग.)

विषयः-		सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्रदाय करने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्नानुसार जानकारी प्रदाय करने का कष्ट करें।

चाही गई जानकारी - 1. उद्योग संचालनालय द्वारा मेंसर्स संगम फनीचर रायपुर के पक्ष में जारी ब्याज अनुदान की सम्पूर्ण जानकारी ।

सूचना प्राप्ति का प्रकार - सत्यापित प्रति।

उपरोक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु मैं निर्धारित शुल्क/तैयार जानकारी की लागत राशि देने के लिए मैं तैयार हूँ।

संलग्नः- 10/- का पोस्टल आर्डर।

भवदीय

अमीत मिश्रा

छोटापारा रायपुर छ.ग.

प्रश्न:- **प्रथम अपील कैसे करें?**

उत्तर:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई जानकारी निर्धारित समय-सीमा 30 दिवस के भीतर यदि प्राप्त नहीं होती हो उस कार्यालय में जानकारी हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तथा प्रथम अपील का आवेदन शुल्क राशि रू. 50/- आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।